


अध्ययन प्रतिवेदन

ग्राम पंचायतो की वित्तीय संरचना एवं स्थिति - एक आंकलन

(जिला राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद तथा सरगुजा जिले के संदर्भ में)

राज्य वित्त आयोग को
प्रस्तुत

प्रस्तुतकर्ता



समर्थन

सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट

1, तिलक नगर, सेक्टर-1, अवंति विहार, तेलीबांधा, रायपुर,
छत्तीसगढ़

फोन : (0771) 4057826,

E-Mail: samarthan_raipur@yahoo.co.in

अनुक्रमाणिका

अध्याय	अनुक्रमाणिका	पृष्ठ क्र.
१	अध्ययन प्रणाली एवं अध्ययन क्षेत्र का परिचय	१-१२
१.१	राज्य वित्त आयोग का परिचय एवं कार्य	
१.२	अध्ययन के उद्देश्य	
१.३	अध्ययन क्षेत्र एवं उसके चयन के मानदंड	
१.४	अध्ययन पद्धति एवं प्रक्रिया	
१.५	अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता	
१.६	अध्ययन क्षेत्र का सामाजिक परिचय	
२	ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली	१३-२७
२.१	ग्राम पंचायत में उपलब्ध सुविधा एवं लोगों की प्रतिक्रिया	
२.२	ग्राम सभा का आयोजन एवं कोरम की पूर्ति	
२.२.१	महिला संघटनों की भागीदारी	
२.३	ग्राम पंचायत की अनिवार्य एवं विशेष बैठके एवं कोरम की स्थिति	
२.४	पंचायत की स्थायी समितियों की बैठको का आयोजन	
३	पंचायतों की वित्तीय संरचना	२८-७०
३.१	ग्राम पंचायत के आय-व्यय का स्थिति	
३.२	पंचायत की आन्तरिक आय तथा आमदानी (करारोपन की स्थिति)	
३.२.१	पंचायत द्वारा करारोपण की स्थिति	
३.२.२	करो के स्रोतों के वर्गीकरण के अनुसार करारोपण की स्थिति	
३.२.३	आन्तरिक आय के स्रोतों पर कर आरोपण एवं अपेक्षित आय की तुलना में वास्तविक संकलन की स्थिति (वर्ष २०११-१२)	
३.२.४	अनिवार्य कर से आय प्राप्त करने की स्थिति	
३.२.५	वैकल्पिक कर	
३.२.६	वर्ष २०१०-११ की तुलना में वर्ष २०११-१२ में आन्तरिक आय के स्रोतों से आय वृद्धि का प्रतिशत	
३.३	ग्राम पंचायत में करारोपण की प्रक्रियाओं में करारोपण अधिकारी व सहायकों की	

अध्याय	अनुक्रमाणिका	पृष्ठ क्र.
	भूमिका	
३.३.१	सचिव के अनुसार करारोपण की प्रक्रिया में प्राप्त सहयोग की स्थिति	
३.३.२.	आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण अधिकारियों के विचार	
३.४	कर संकलन के माध्यम	
३.५	कर संकलन में दिक्कते	
३.६	कर नहीं लगाने के कारण	
३.७	पंचायत द्वारा आन्तरिक संसाधनो/स्त्रोतो से आय बढाने के अवसर एवं संकलन के उपाय	
३.८	पंचायत द्वारा किये गये कर संकलन के किये गये नये प्रयासों के परिणाम	
३.९	ग्राम पंचायत में वित्तीय अंतरण एवं उपाय	
	ग्राम पंचायत में राशि अंतरण में सुझाव	
४	पंचायत की वित्तीय जवाबदेही	७१-९६
४.१	वित्तीय व्यवस्थाओं की स्थापना एवं उसका संधारण	
४.१.१	पंचायत के निधि की स्थापना	
४.१.२	ग्राम पंचायत में योजना निर्माण एवं बजट अनुमान की स्थिति	
४.१.२.१	योजना निर्माण की स्थिति एवं प्रक्रिया	
४.१.२.२	बजट अनुमान तैयार करने की स्थिति एवं उसकी प्रक्रिया	
	बजट निर्माण की प्रक्रिया में उभरती चुनौतियां	
	बजट निर्माण की प्रक्रिया के मुख्य तथ्य	
	बजट निर्माण नहीं करने के कारण	
४.२	ग्राम पंचायत में दस्तावेजो का संधारण	
४.२. १	पंचायत में संधारित किये जा रहे दस्तावेज	
४.२.२	संधारित दस्तावेजो की गुणवत्ता	

अध्याय	अनुक्रमाणिका	पृष्ठ क्र.
४.२.३	दस्तावेजों के संधारण में दिक्कते	
४.३	ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे अंकेक्षण (ऑडिट) की स्थिति	
४.३.१	वित्तीय अंकेक्षण	
४.३.२	सामाजिक अंकेक्षण	
४.४	पंचायत की कमजोर आर्थिक व्यवस्था के मुख्य कारण	
४.५	ग्राम पंचायत का लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन की स्थिति	
५	ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों /कर्मचारियों की जानकारी, क्षमता निर्माण के प्रयास एवं संभावनाएं	६७-१२५
५.१	वार्ड पंच	
५.१.१	वार्ड पंच में महिला पंच का अनुपात	
५.१.२	वार्ड पंचों में शिक्षा एवं युथ वार्ड पंच का प्रतिशत	
५.१.३	वार्ड पंच की निर्वाचन श्रेणी एवं निर्वाचन की स्थिति	
५.२	ग्राम पंचायत में सरपंचों की स्थिति एवं क्षमता निर्माण के लिये किसे प्रयास	
५.२.१	निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंच का प्रतिशत	
५.२.२	सरपंचों की शैक्षणिक स्थिति	
५.२.३	निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में पंचायत में कार्य करने का अनुभवों की स्थिति	
५.२.४	सरपंचों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के आयोजक एवं प्रशिक्षण की सीख	
५.२.५	सरपंचों के बीच जानकारी/जागरूकता की स्थिति	
५.३	ग्राम पंचायत के सचिव की जानकारी	
५.३.१	सचिव का सामाजिक व शैक्षणिक परिचय	
५.३.२	शैक्षणिक स्थिति एवं कार्यअनुभव	
५.३.३	सचिवों का प्रशिक्षण, ओजक एवं उनकी सीख	
५.४	सचिव व सरपंच के स्थिति के तुलनात्मक तथ्य	
५.५	सचिव के कार्य एवं कार्यों में लगने वाला समय (दिन)	
६	अध्ययन के निष्कर्ष एवं रणनीतिगत सुझाव	१२६-१३६
६.१	पंचायत की वित्तीय संरचना	

अध्याय	अनुक्रमाणिका	पृष्ठ क्र.
६.२	वित्तीय अंतरण	
६.३	योजना निर्माण एवं बजट अनुमान	
६.४	वित्तीय प्रबंधन के लिये सुझाव	
६.५	पंचायत में लेखा संबंधित संधारित किये जा रहे दस्तावेज	
६.६	ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे अंकेक्षण	
६.७	पंचायतों को मजबूत करने के लिये सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था करना चाहिये	
६.८	प्रशासकीय सुधार	
६.९	ग्राम पंचायत प्रतिनिधि व सचिव की क्षमता निर्माण के लिये	
६.१०	पंचायत राज अधिनियम में संशोधन हेतु सुझाव	
६.११	ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली	
७	परिशिष्ट	१४०-१६०
७.१	ग्राम पंचायत की आय-व्यय का ग्राम पंचायत वार विवरण (२०११-१२)	
७.२	पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्रा. पं. के आन्तरिक आय के स्रोतों पर कर आरोपण एवं अपेक्षित आय की तुलना में वास्तविक संकलन का प्रतिशत वर्ष २०११.१२	
७.३	वर्ष २०१०-११ की तुलना में वर्ष २०११.१२ में आन्तरिक आय के स्रोतों से आय की वृद्धि का प्रतिशत	
७.४	मांग एवं संकलन राशि का विवरण	
७.५	ग्राम पंचायत में उपलब्ध सुविधा	
७.६	ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हे.)	
७.७	स्थानीय निधि संपरिक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के आडिट की स्थिति	
७.८	जनसंख्या का विवरण	
७.९	सचिव के कार्यों का विस्तृत विवरण	

अध्ययन प्रणाली एवं अध्ययन क्षेत्र का परिचय

9.9. राज्य वित्त आयोग का परिचय एवं कार्य

संविधान के ७३वें व ७४वें संशोधन एवं अनुच्छेद २४३ (आई) के अधीन राज्य में वित्त आयोग ५ वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है। इस कड़ी में प्रदेश के लिये यह तीसरा प्रतिवेदन है। आयोग राज्य के वित्तीय साधनों में से स्थानीय निकायों को किस आधार एवं सिद्धान्तों पर धनराशि उपलब्ध कराई जाए एवं राज्य द्वारा प्राप्त आय का वितरण राज्य एवं स्थानीय निकायों में कैसे हो यह अनुशंसा करता है। ऐसा करने के लिए आधार वह सिद्धान्त इस प्रकार बनाये जाये की जिससे..

- ☞ राज्य द्वारा कराधान इत्यादि के माध्यम से एकत्रित आय का बटवारा राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच किया जाए।
- ☞ स्थानीय निकायों को कौन से कर सौंपे जाएं।
- ☞ राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग के समक्ष रखे गए मुद्दों पर विचार करके उन पर अनुशंसा की जाए।
- ☞ स्थानीय निकायों को किस आधार पर अनुदान दिया जाए।
- ☞ स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति कैसे सुदृढ़ की जाए।

जाहिर है कि स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए उनका प्रशासनिक प्रबन्धन भी मजबूत होना चाहिए व इस संबंध में भी आयोग अपनी अनुशंसा दे सकता है। आयोग द्वारा प्रयत्न यह किया जाता है कि उसकी अनुशंसाएं कुछ हद तक ऐसी हों कि उनका दीर्घकालीन प्रभाव जहां एक ओर आय का बटवारा व्यवहारिक मान्य सिद्धान्तों के आधार पर हो वहीं दूसरी ओर स्थानीय निकायों को सहायता मिले जिससे वे उपलब्ध अधोसंरचना में सुधार ला सकें एवं उनका रखरखाव सुचारु रूप से कर सकें, और नागरिकों को बेहतर सेवायें उपलब्ध करा सकें। आयोग द्वारा इस ओर भी ध्यान दिया जाता है कि जो ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन संस्थाएं हैं उनमें कमजोर आर्थिक आधार की संस्थाओं को अधिक वित्तीय सहायता मिलें जिससे वे भी निर्धारित मापदंड के आधार पर एक स्वीकार योग्य विकसित स्तर पर आ सकें।

राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतो की व्यवहारिक स्थिति को समझने के लिये समर्थन एवं प्रदान संस्था को राज्य के विभिन्न जिलों की पंचायतो का अध्ययन कार्य सोपा गया है जिसके लिये २ माह की समय सीमा निर्धारित की गयी।

9.2 अध्ययन के उद्देश्य

- ☞ ग्राम पंचायत की क्षमता तथा उसके कार्यप्रणाली का आंकलन करना
 - पंचायत प्रतिनिधि के प्रशिक्षण की स्थिति एवं जानकारी का स्तर
 - सचिवों के प्रशिक्षण की स्थिति
 - पंचायत की कार्यप्रणाली
- ☞ विभिन्न स्रोतों से ग्राम पंचायत की आर्थिक आय एवं उसके उपयोग का आंकलन करना
 - आंतरिक स्रोतों से आय
 - अन्य स्रोतों से आय
 - व्यय
 - आय एवं व्यय में अंतर की पहचान करना।
- ☞ पंचायत में राशि आवंटन की स्थिति का आंकलन करना
 - पंचायत को प्रत्यक्ष राशि एवं उसके स्रोत
 - पंचायत को अप्रत्यक्ष राशि एवं उसके स्रोत
 - आवंटन में अंतर की पहचान करना।
- ☞ वित्तीय जवाबदेही का आंकलन करना
 - वित्तीय लेखा संधारण में गुणवत्ता का आंकलन
 - वित्तीय अंकेक्षण
 - बजट निर्माण
 - पंचायत द्वारा मलीन बस्ती, विकलांग, महिला उत्थान, ST. SC एवं सामुदायिक अस्तित्व के लिये किये गये वित्तीय कार्यों का आंकलन
 - वित्तीय जवाबदेही में अंतर एवं संभावनाओं की पहचान करना
- ☞ पंचायत की आर्थिक क्षमतावृद्धि करने वाले कारकों की पहचान करना
 - आंतरिक आय के स्रोत
 - वर्तमान में शुल्क/कर लिया जाता है
 - वर्तमान में शुल्क/कर नहीं लिया जाता है परन्तु समुदाय/ पंचायत के अनुसार लिया जा सकता है।
 - आंतरिक आय के स्रोतों से पंचायत की आय वृद्धि के संभावनाओं की खोज करना।
 - अन्य स्रोत

9.3 अध्ययन क्षेत्र एवं उसके चयन के मानदंड

पंचायतों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के चार जिले चयनित किये गये हैं। इन चारों जिले से ८ - ८ ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। ग्राम पंचायतों का चयन निम्न मापदण्ड के आधार पर किया गया है। ग्राम पंचायत चयन के मापदण्ड निम्नानुसार हैं..

- ☞ अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुलता वाली पंचायत
- ☞ ब्लॉक कार्यालय से दूर परन्तु उस क्षेत्र का मुख्य बाजार (साप्ताहिक) स्थल
- ☞ ब्लॉक के करीब वाली पंचायत
- ☞ शहरी क्षेत्र जैसी पंचायत,
- ☞ स्वयं के संसाधनों से आय (अन्य पंचायतों की तुलना में अधिक)
- ☞ अन्य पंचायतों की तुलना में मनरेगा, वित्त आयोग, मुलभूत, एसजीएसवाय एवं अन्य योजनाओं से अधिक व्यय
- ☞ ऐसी पंचायत जहां मुरूम खदान, नदी नाला एवं पहाड है
- ☞ मुख्य रास्तो से जुड़ी हुई पंचायत
- ☞ सामुदायिक संसाधनों की उपलब्धता (चारागाह, सार्वजनिक भूमि, जंगल एवं अन्य)
- ☞ जहां महिला सरपंच है, ऐसी पंचायत

अध्ययन में चयनित पंचायतों का विवरण

जिला	ग्राम पंचायत की कुल संख्या	तालिका क्र.9			
		जनपद पंचायत का नाम	चयनित क्षेत्र	ग्राम पंचायत का नाम	रिमार्क
राजनांदगांव	६६२	डोंगरगांव	४	अजुनी	
				आमलीडीह	
				कु.भाटागांव	
				खमेरा	
				मानपुर	४
				मानपुर	
				शिवनी	
				भरीटोला	
				अथरा	
				सिनोधा	
महासमुंद	४६१	पिथोरा	४	बिरकोनी	
				झलप	
				नांदगांव	
				महासमुंद	४
				खुटेरी	
				गोपालपुर	
				कनचनपुर	
				भिथीडीह	
सरगुजा	१०८७	लुण्ड्रा	४	धोरपुर	☞
				आसण्डी	
				करा	
				गगोली	
				लखनपुर	पोड़ी

तालिका क्र. 9					
जिला	ग्राम पंचायत की कुल संख्या	चयनित क्षेत्र			
		जनपद पंचायत का नाम	चयनित ग्राम पंचायते	ग्राम पंचायत का नाम	रिमार्क
				लहपटरा	
				कुन्नी	१
				कुवंरपुर	
बस्तर	५८०	दरभा	४	दरभा	
				चंद्रागीरी	
				बड़ेकड़मा	
				नेगानार	
		बस्तर		करमरी	
				कुंगरपाल	
				मुंडगांव	
				सोनरापाल	
कुल	२८५०	४	३२		

9.8 अध्ययन पद्धति एवं प्रक्रिया

ग्राम पंचायतो की वित्तीय स्थिति एवं कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने के लिये सहभागी अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है अध्ययन में अपनायी पद्धति एवं प्रक्रिया इस प्रकार है...

9.8.9 अध्ययन पद्धति

ऑकड़ो/तथ्यों को प्राप्त करने के लिये सहभागी शोध पद्धति के अधार पर प्राथमिक एवं द्वितीय जानकारी का संकलन किया गया है। जिसके लिये साक्षात्कार अनुसूची, ग्रामपंचायत से जानकारी संकलन के लिये प्रपत्र का निर्माण, सामुदायिक धारणाओं को समझने के लिये पंचायत स्तर पर समूह चर्चा तथा संसाधनों की पहचान के लिये ग्रामीण सहभागी आंकलन प्रविधि का उपयोग किया गया है साथ ही साथ पंचायत में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से प्राप्त तथ्यों को भी अध्ययन में शामिल किया गया है। जिसका विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है....

तालिका क्र. 2 जानकारी का संकलन			
स्त्रोत	साक्षात्कार का स्तर		
	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
प्राथमिक स्त्रोत			
साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग	ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के साथ अलग अलग साक्षात्कार किये गये है साथ ही साथ अन्य संबंधित विषयो पर विस्तृत चर्चा हुयी है।	जनपद पंचायत अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधि. के साथ निर्धारित अनुसूची के आधार पर साक्षात्कार किये गये है साथ ही विस्तृत चर्चा हुयी है।	जिला पंचायत अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ निर्धारित अनुसूची के आधार पर साक्षात्कार किये गये है साथ ही विस्तृत चर्चा हुयी है। साथ ही साथ जिलाधिश

तालिका क्र. २ जानकारी का संकलन			
स्त्रोत	साक्षात्कार का स्तर		
	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
			महोदय के साथ साक्षात्कार किये गये है।
केंद्रित समूह चर्चा	ग्राम पंचायत स्तर केंद्रित समूह चर्चा की गयी है जिसमें महिला समूह, विभिन्न समितियों के प्रतिनिधि, पंच वरीष्ठ नागरिक शामिल हुये है।	नहीं	नहीं
संसाधनों का आंकलन	पंचायत द्वारा करारोपण की संभावनाओं को स्पष्ट करने एवं समुदाय के विचारों को समझने के लिये पंचायत मुख्यालय स्तर पर ग्रामीण सहभागी आंकलन प्रविधि द्वारा संसाधनों का आंकलन किया गया। इस विधि के तहत प्रत्येक पंचायत स्तर पर संसाधन मानचित्र तैयार किये गये है।	नहीं	नहीं
अवलोकन विधि	अध्ययन के दौरान सरपंच या सचिव के साथ साक्षात्कार करते समय अथवा ग्राम पंचायत की आधारभूत जानकारी का प्रपत्र भरते समय ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है जिसके तथ्य प्रतिवेदन तैयार करते समय उपयोगी रहे है।	नहीं	नहीं
द्वितीय स्त्रोत			
अधारभूत जानकारी संकलन के लिये प्रपत्र का उपयोग	<ul style="list-style-type: none"> ☞ निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से पंचायत से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी का संकलन, आय-व्यय का ब्यौरा। ☞ ग्राम सभा एवं पंचायत बैठक की कार्यवाही, वित्तीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। ☞ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ☞ छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश खान एवं खनिज मेन्युअल ☞ छत्तीसगढ़ अबकारी अधिनियम १९१५ ☞ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता ☞ अन्य राज्यों के वित्त आयोग के प्रतिवेदन ☞ अन्य 		

9.4.2 अध्ययन प्रक्रिया

- i. डेस्क समिक्षा - कार्यालय स्तर पर पंचायत की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित शोध प्रतिवेदन, निबंध, कानून, निर्देशिका एवं अन्य दस्तावेजों का आंकलन किया गया जिनके अध्ययन के आधार पर प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया।
- ii. अध्ययन के विभिन्न टैक्स का लेकर राज्य वित्त आयोग के सदस्यों एवं सलाहकारों के साथ कई दौर की बातचीत हुई है तथा उन सभी के सुझावों को शामिल करते हुए अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप टूल्स का निर्माण किया गया।
- iii. जानकारी संकलन के प्रविधियों की फिल्ड टेस्टिंग राजनांदगांव व सरगुजा जिले में की गयी है।
- iv. अध्ययन क्षेत्र के चयन के लिये जिलों में कार्यरत विभिन्न स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों को चूना गया है जिनका पंचायत राज के क्षेत्र में अच्छा योगदान रहा है।
- v. अध्ययन दल के सदस्यों को रायपुर में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जिसमें एक दिन फिल्ड में जाकर टूल्स को चेक भी किया गया है।
- vi. अध्ययन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अध्ययन दल के टीम लीडर द्वारा संबंधित जिलों में जाकर सर्वप्रथम जिले के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से चर्चा की गयी है। उनके सहयोग से अध्ययन क्षेत्र का चयन निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया गया।
- vii. अध्ययन क्षेत्र का चयन - ग्रामपंचायत चयन के लिये जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत से सहयोग लिया जावेगा।
- viii. आवश्यक द्वितीय जानकारी का संकलन
- ix. प्राथमिक जानकारी का संकलन
 1. विभिन्न स्तरों पर साक्षात्कार
 2. सामुदायिक संसाधनों के आंकलन के लिये पीआरए
 3. केंद्रित समूह चर्चा
- x. जानकारी का समेकन एवं विश्लेषण
- xi. जानकारी का समेकन एवं विश्लेषण के पश्चात सम्बन्धित जिले की संक्षिप्त रिपोर्ट को जिला स्तरीय स्वेच्छिक उन संस्थाओं के साथ साझा की गयी है जो पंचायत राज क्षेत्र में कार्य करती है जिनके द्वारा प्राप्त तथ्यों को प्रतिवेदन को शामिल किया गया।
- xii. प्रथम ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार किया गया

- xiii. प्रथम ड्राफ्ट रिपोर्ट को पंचायत राज के विशेषज्ञों, राज्य वित्त आयोग के सदस्य एवं सलाहकारों के साथ साझा की गयी।
- xiv. सभी से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुये प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया।
- xv. राज्य वित्त आयोग में प्रस्तुत

9.५ अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता

प्राथमिक जानकारी संकलन के लिये समूह चर्चा एवं साक्षात्कार विधि को केंद्रीय स्थान दिया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।


9.५.१. समूह चर्चा में शामिल हिभागीयों का विवरण

तालिका क्र ३ समूह चर्चा के सहभागी					
जिला	स.क्र.	पंचायत का नाम	महिला	पुरुष	कुल
राजनांदगांव	1	अर्जुनी	15	20	35
	2	आमलीडीह	20	18	38
	3	कु.भाटागांव	14	18	32
	4	खमेरा	21	23	44
	5	मानपुर	18	16	34
	6	भर्रीटोला	5	20	25
	7	शिवनी	10	12	22
	8	अथरा	22	10	32
बस्तर	9	दरभा	18	23	41
	10	चंद्रागीरी	14	14	28
	11	बड़ेकड़मा	19	15	34
	12	करमरी	21	14	35
	13	नेगानार	22	12	34
	14	कुंगरपाल	14	11	25
	15	मुंडगांव	22	15	37
	16	सोनारपाल	16	14	30
महासमुंद	17	सिनोधा	19	11	30
	18	बिरकोनी	18	17	35
	19	झलप	14	13	27
	20	नांदगांव	17	14	31
	21	खुटेरी	16	20	36
	22	गोपालपुर	12	11	23

तालिका क्र ३ समूह चर्चा के सहभागी					
जिला	स.क्र.	पंचायत का नाम	महिला	पुरुष	कुल
	23	कनचनपुर	14	10	24
	24	भिथीडीह	17	8	25
सरगुजा	25	गगोली	18	11	29
	26	धोरपुर	13	10	23
	27	आसण्डी	21	10	31
	28	करा	14	10	24
	29	पोडी	21	12	33
	30	लहपटरा	22	15	37
	31	कुन्नी	11	22	33
	32	कुंवरपुर	22	21	43
	योग			540	470

उपरोक्तानुसार अध्ययन के चारो जिले की ३२ ग्राम पंचायतो में कुल १०१० लोगो के साथ समूह चर्चा हुई जिसमें ५४० महिला व ४७० पुरुष शामिल हुये है जिसमें पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या अधिक है। समूह चर्चा में निम्न संस्था, समूह से प्रतिनिधित्व रहा है।

- ☞ महिला स्वयं सहायता समूह।
- ☞ ग्राम पंचायत के वार्ड पंच।
- ☞ गांव में गठित अन्य समितियों के प्रतिनिधि जैसे वन सुरक्षा समिति, महतारी पंचायत समिति, जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति।
- ☞ वरिष्ठ नागरीक एवं ग्राम सभा सदस्य



१.५.२ साक्षात्कार प्रत्युत्तर (उत्तरदाता)

अध्ययन में वास्तवित तथ्य प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत स्तर से सचिव व सरपंच के साथ साक्षात्कार किये गये है, जनपद स्तर पर जनपद अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ साक्षात्कार किये गये है, जिला स्तर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिलाधीस के साथ साक्षात्कार किये गये है। जिसका विवरण निम्नानुसार है..

ग्राम पंचायत में साक्षात्कार - तालिका क्र ४

जिला	कुल पंचायत	सचिव की संख्या	सरपंच की संख्या	कुल उत्तरदाता
राजनांदगांव	८	८	८	१६
बस्तर	८	८	८	१६
महासमुंद	८	८	८	१६
सरगुजा	८	८	८	१६
योग	३२	३२	३२	६४

पंचायत स्तर के उत्तरदाता से संबंधित तथ्यों की पुनरावृत्ति टालने के लिये प्रस्तुत प्रतिवेदन के आवश्यक स्थान पर विवरण दिया गया है इसलिये यहां पर उत्तरदाता के संक्षिप्त रूप से आंकड़े ही दिये गये हैं।


जनपद पंचायत में साक्षात्कार - तालिका क्र ५

जिला	जनपद संख्या	मुख्य कार्यपालन अधिकारी की संख्या	अध्यक्ष जनपद पंचायत की संख्या	कुल उत्तरदाता
राजनांदगांव	२	२	२	४
बस्तर	२	२	२	४
महासमुंद	२	२	२	४
सरगुजा	२	२	२	४
योग	८	८	८	१६

जिला स्तर पर साक्षात्कार - तालिका क्र ६

जिला	जिला संख्या	जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि	जिला स्तरीय अधिकारी	कुल उत्तरदाता
राजनांदगांव	१	१	३	३
बस्तर	१	१	३	३
महासमुंद	१	१	३	३
सरगुजा	१	१	३	३
योग	४	४	१२	१२

- जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि में अध्यक्ष जिला पंचायत से साक्षात्कार किया गया
- जिला स्तरीय अधिकारियों में जिलाधीस, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक कल्याण से साक्षात्कार किया गया।




म पंचायत की आधारभूत जानकारी
उपलब्ध कराते समय सचिव



9.६. अध्ययन क्षेत्र का सामाजिक परिचय

पंचायतों की वित्तीय एवं कार्यप्रणाली की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के ४ जिलों की ३२ पंचायतों का अध्ययन किया गया इन पंचायतों में निवासरत् समुदाय का परिचयात्मक विवरण दिया गया है ताकि पंचायत की वित्तीय एवं कार्य करने की क्षमता का विश्लेषण करते समय समुदाय वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को देखा जा सके।

सामाजिक वर्गवार परिवारों का परिचय



अध्ययन क्षेत्रों की चयनित पंचायतों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्गों में सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यांक वर्ग के परिवार भी निवास करते हैं। इन सामाजिक वर्गों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है जोकि कुल परिवारों का ५१.० प्रतिशत है वहीं अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का क्रमशः ११.०, ३३.०, प्रतिशत है। अन्य वर्ग के परिवारों का प्रतिशत कुल परिवारों से केवल ५.०० प्रतिशत है जिसमें सामान्य, अल्पसंख्यांक वर्ग भी शामिल है। स्पष्टता है कि अध्ययन क्षेत्र की पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत अधिक है।

तालिका क्र ७ चयनित पंचायतो में समाजिक वर्गवार परिवारो का प्रतिशत

परिवार	सरगुजा (पोड़ी, कुन्नी, कुंवरपुर, लहपट्टरा, गगोली, कार्रा, आसण्डी व धौरपुर ग्राम पंचायत)	राजनांदगांव (आमलीडीह, अजुर्नी, कु.भाटागांव, खमेरा, मानपुर, भरीटोला, अथरा व शिवनी ग्राम पंचायत)	बस्तर (दरभा, चंद्रागीरी, बड़ेकमड़ा करमरी, नेगानार, कुंगरपाल, मुंडगांव, सोनारपाल ग्राम पंचायत)	महासमुंद (सिनोधा, बिरकोनी, झलप, नांदगांव, खुटेरी, गोपालपुर, कनचनपुर, भिथीडीह ग्राम पंचायत)	कुल
अनुसूचित जनजाति	57.3	42.1	75.7	24.3	50.2
अनुसूचित जाति	13.1	5.3	0.1	22.1	10.7
पिछड़ा वर्ग	22.5	51.9	18.4	39.2	31.7
अन्य वर्ग	7.1	0.7	5.9	4.3	4.8
कुल	100.0	100	100.0	89.9	97.3

स्त्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

परिवारों के प्रतिशत को जिलेवार देखने से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत बस्तर जिले में है जो कुल परिवारों का ७५.७ प्रतिशत है वही महासमुंद जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के परिवारों का सर्वाधिक २२.१ प्रतिशत महासमुंद जिले में है वही सबसे कम बस्तर जिले में है। पिछड़ा वर्ग के परिवारो का सबसे अधिक ५१.९ प्रतिशत राजनांदगांव में है वही सबसे कम प्रतिशत बस्तर में है। स्पष्टता होती है कि बस्तर व सरगुजा जिले में अनुसूचित जनजाति के परिवारो की बाहुलता है वही राजनांदगांव व महासमुंद में पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बहुलता है।

अध्याय २

ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली

- ग्राम पंचायत द्वारा लोगो को दी जा रही सुविधा,
ग्राम सभा, पंचायत, समितियों की बैठके तथा कोरम की स्थिति

पंचायतों की मुख्य जिम्मेदारी है कि पंचायत अपने क्षेत्र में निवासरत लोगो के उत्थान के लिये कार्य करे जिसके लिये आवश्यक यह है कि पंचायत एक निर्धारित कार्यप्रणाली के माध्यम से कार्य करे ताकि सही दिशा में कार्य कर पाये। पंचायत की कार्यप्रणाली की स्पष्टता छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 9६ में की गयी है।

यहां पर पंचायत द्वारा दी जा रही सुविधा के साथ ही पंचायत के उन कार्यों का विश्लेषण किया गया है जो विकास के कार्यों, निर्णय लेने में लोगो की भागीदारी बढ़ाने में, पंचायत की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है। ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली का विश्लेषण निम्न कार्यों के आधार पर किया गया है..


- ✍ ग्राम पंचायत द्वारा लोगो को दी जा रही सुविधा
- ✍ ग्राम सभा बैठकों का आयोजन (धारा ६)
- ✍ ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन (धारा ४४)
- ✍ ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की बैठकों का आयोजन (धारा ४६)

२.१ ग्राम पंचायत में उपलब्ध सुविधा एवं लोगो की प्रतिक्रिया

ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सुविधा को समझने के लिये अध्ययन के दौरान गांव में भ्रमण के माध्यम से अवलोकन किया गया साथ ही साथ सचिव, सरपंच एवं समूह चर्चा से प्राप्त तथ्यों का आधार लिया गया है। इन सुविधा को समझने के लिये ग्राम पंचायत भवन की उपलब्धता, गांव में सड़क की स्थिति, गांव में नाली निर्माण, नलजल योजना, गली में प्रकाश की व्यवस्था एवं सफाई की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन से स्पष्ट है कि शतप्रतिशत ग्राम पंचायतो में पंचायत भवन निर्माण किया गया है परन्तु कुछ स्थानो पर भवन की स्थिति बेहद खराब होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे, जिला सरगुजा के धौरपुर ग्राम पंचायत का भवन बहुत जर्जर होने के कारण ग्राम पंचायत के भवन में ग्राम पंचायत संचालित नहीं की जाती हैं।

ग्राम पंचायतों में सुविधाओं की स्थिति



तथ्यों से स्पष्ट है कि

- कुल ३२ ग्राम पंचायतों में से ८१.३ प्रतिशत ग्राम पंचायतों की सड़क पक्की है परन्तु यह स्थिति गांव के सभी गलियों की नहीं है। गांव में मुख्य रास्ता एवं मुख्य रास्ते से जुड़े कुछ सड़कें पक्की हैं। कहने का अर्थ यह है कि गांव की सभी सड़कें पक्की नहीं हैं बल्कि गांव का मुख्य रास्ता एवं गांव से जोड़ने वाला रास्ता ही पक्का होता है।
- बारीश के समय गांव की सड़कों पर अक्सर किचड़ होता है जिसका मुख्य कारण सड़क में पानी जमा होना होता है। अध्ययन के अनुसार ३२ ग्राम पंचायतों में से केवल ४६.६ प्रतिशत ग्राम पंचायतों की सड़कों पर नाली निर्माण की गयी है। गांव में जो भी नाली निर्माण की गयी है वो केवल मुख्य सड़कें पर ही है। समूह चर्चा में लोगो ने कहा है कि “गांव में नालियों का निर्माण किया गया है परन्तु उनकी सफाई नहीं होने के कारण वे चोक हो गयी हैं”
- ३२ ग्राम पंचायतों में से केवल ४३.८ प्रतिशत ग्राम पंचायत में नलजल योजना की सुविधा है। इसमें भी अधिकांश पंचायत की महिलाओं का समूह चर्चा के दौरान कहना था कि “पानी समय पर नहीं आता है और आता भी है तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है” कुछ पंचायतों में नलजल योजना की अच्छी स्थिति भी पायी गयी है।
- गली में प्रकाश की व्यवस्था को देखे तो स्पष्ट होता है कि ३२ ग्राम पंचायतों में से केवल ६२.५ प्रतिशत ग्राम पंचायत की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था की गयी है इसमें से अधिकांश पंचायतें ऐसी हैं जिनके द्वारा यह व्यवस्था पिछले ही वर्ष की गयी है जिसमें खासकर सरगुजा की पंचायतें शामिल हैं। परन्तु यह व्यवस्था गांव की सभी सड़कों पर उपलब्ध नहीं होती है।
- गांव में सफाई की व्यवस्था को समझने के लिये निर्मलग्राम पुरस्कार प्राप्त तथा कचरा पेटी की व्यवस्था को आधार माना गया है जिसके अनुसार स्पष्ट होता है कि ३२ पंचायतों में से २५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों को निर्मलग्राम का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें सबसे अधिक सरगुजा की ८ में से ६ ग्राम पंचायतों को निर्मलग्राम पुरस्कार प्राप्त हुये हैं। गांव में कचरे की व्यवस्था के लिये ४३.८ प्रतिशत पंचायतों में कचरा पेटी की व्यवस्था की गयी है।

पंचायत द्वारा दी जा रही सुविधा पर लोगो की प्रतिक्रियां

समूह में शामिल लोगो का कहना है कि पंचायत गांव के लोगो को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराये जिसके बदले पंचायत कर ले सकती है। कुछ सुविधाओं को उदाहरण के रूप में दिया गया

- ☞ पेयजल - समय पर नहीं आता है, स्वच्छ नहीं होता है, टंकी के पास गंदगी है। पेयजल की अनियमिता के कारण लोग शुल्क नहीं भरते हैं। वही कुछ पंचायतों में देखा गया है कि पिछले १५ साल से लोग नियमित शुल्क जमा कर रहे हैं क्योंकि उनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
- ☞ कुछ स्थानों पर नलजल योजना अधूरी है। समूह चर्चा में लोगो का कहना है इसकी पूरी व्यवस्था करके घर-घर पानी का वितरण करे तभी पंचायत को टैक्स देंगे।
- ☞ बीजली - मुख्य चौक और मुख्य रास्ते पर बल्ब लगे हैं परन्तु बीजली का कर सभी से लिया जाता है। गांव के सभी गलियों में गलि लाईट की व्यवस्था नहीं होने के कारण जिस गलि में लाईट नहीं है उन मोहल्ले के लोग बीजली कर के साथ मकान टेक्स भी नहीं देते हैं।

पंचायत को प्राप्त कर की आय से कार्यों की अपेक्षा

- ☞ गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, नाली की नियमित सफाई, नल की टोटी को सुधारणा, आन्तरिक गलियों की सफाई, पक्की सडका निर्माण, पानी निकासी की व्यवस्था, बारिश पूर्व मच्छर से बचने के लिये तैयारी।
- ☞ १५ अगस्त एवं २६ जनवरी को उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कर देना चाहिये
- ☞ आंगनबाड़ी के बच्चों/स्कूल के बच्चों नियमित उपस्थिति हो उसके लिये पालक एवं बच्चों को प्रेरित करना चाहियें
- ☞ प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को व्यवसायिक गतिविधियों से जोड़ना, जैसे शिलाई, अगरबत्ती निर्माण, साबून निर्माण आदि।
- ☞ विकलांग व्यक्ती को ट्राय सायकल प्रदान करना चाहिये।
- ☞ कमजोर वर्गों के लिये विशेष अभियान चलाकर उनको आय की गतिविधियों से जोड़ना चाहियें

२.२ ग्राम सभा का आयोजन एवं कोरम की पूर्ति

छत्तीसगढ़ के हर गांव में सालाना ६ अनिवार्य ग्राम सभा का आयोजन किया जाना आवश्यक है जिसमें २ ग्राम सभाएं सामाजिक अंकेक्षण के लिये है। इसके अलावा कलेक्टर, जिला पंचायत व जनपद पंचायत के द्वारा भेजे गये आदेशानुसार समय समय पर ग्राम सभा आयोजित की जाती है जिसको विशेष ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा आयोजन की स्थिति को समझने के लिये वर्ष २०११-१२ में आयोजित ग्राम सभा से संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का आधार लिया गया है

वर्ष २०११-१२ में अनिवार्य ग्राम सभा का आयोजन

तालिका क्र ८ ग्राम सभा की अनिवार्य एवं विशेष बैठके आयोजन कर्ता पंचायतो का प्रतिशत										
बैठकों की संख्या	सरगुजा		राजनांदगांव		बस्तर		महासमुंद		कुल	
	अनिवार्य	विशेष	अनिवार्य	विशेष	अनिवार्य	विशेष	अनिवार्य	विशेष	अनिवार्य	विशेष
7		12.5		12.5		0.0		0.0		3.1
6	50.0	00.0	50.0	00.0	12.5	00.0	25.0	00.0	34.4	00.0
5	12.5	0.0	0.0	25.0	12.5	0.0	12.5	0.0	9.4	6.3
4	0.0	12.5	50.0	0.0	12.5	12.5	37.5	25.0	25.0	12.5
3	37.5	12.5	0.0	25.0	25.0	0.0	12.5	0.0	18.8	9.4
2	0.0	37.5	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	37.5	6.3	31.3
1	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	12.5	0.0	18.8
0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	9.4
NA	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	12.5	6.3	6.3
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

छत्तीसगढ़ में ६ ग्राम सभा का आयोजन शासन द्वारा अनिवार्य किया गया है जिसके अनुपालन की स्थिति से सम्बन्धित तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है


- कि ३४.३ प्रतिशत पंचायतों में अनिवार्य ६ ग्राम सभा का आयोजन किया गया है वही ३.१ प्रतिशत ग्राम पंचायतों के द्वारा पिछले एक साल में सात विशेष ग्राम सभा आयोजित की गयी है।
- २५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा केवल २ से ३ ही अनिवार्य ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। वही २ विशेष ग्राम सभाएं ३१.३ प्रतिशत ग्राम पंचायतों में आयोजित की गयी है।

समूह चर्चा में शामिल लोगों का कहना है कि ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी नहीं होती है परन्तु विस्तृत चर्चा भी नहीं होती है। विशेषकर महिला समूह का कहना है कि ग्राम सभा में आय-व्यय सचिव द्वारा पढकर सुनाया जाता है परन्तु उस पर विस्तृत चर्चा नहीं होती है साथ ही आय - व्यय नहीं समझने के कारण मुद्दा भी नहीं उठाया जाता है।

- अध्ययन के अनुसार सरगुजा, राजनांदगांव व महासमुंद जिले में अनिवार्य बैठकों का आयोजन अधिकांश पंचायत द्वारा किया गया है उन्ही जिलो में उन्ही पंचायत को विशेष बैठकों की आवश्यकता भी हुई है वही बस्तर जिले में अनिवार्य बैठके को की संख्या कम है इसलिये विशेष बैठकों का आयोजन भी कम हुआ है।

ग्राम सभा बैठक में कोरम की पूर्ति

पंचायत राज अधिनियम में धारा ६ के अन्तर्गत ग्राम सभा आयोजन के लिये कोरम की आवश्यकता निर्धारित की है जो सामान्य क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये अलग अलग है। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के लिये कुल ग्राम सभा सदस्यों में से १० प्रतिशत सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है वही अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के लिये एक तीहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। बस्तर व सरगुजा जिले की सभी पंचायते अनुसूचित क्षेत्र में है वही राजनांदगांव की ५० प्रतिशत पंचायते अनुसूचित क्षेत्र की है।



(स्रोत-ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्ष २०११-१२ में आयोजित कुल अनिवार्य ग्राम सभा में से केवल २८.१ प्रतिशत ग्राम सभाओं में कोरम की पूर्ति हुयी है वही १६.२ प्रतिशत विशेष ग्राम सभा में कोरम की पूर्ति हुई है। स्पष्टता है कि अनिवार्य ग्राम सभा अपेक्षा विशेष ग्राम सभा में कोरम कम रहता है।

अनिवार्य ग्राम सभा की कोरम पूर्ति की स्थिति को

समूह चर्चा में पाया गया है कि

गांव के सभी लोगो को ग्राम सभा बैठक की पूर्व जानकारी नहीं होती है, ग्राम सभा में विस्तृत चर्चा नहीं होती है साथ ही आवेदन करने वाले लोग अधिक होने के कारण चर्चा नहीं होती है और अन्य लोग भी शामिल नहीं होते है इसलिए समूह में लोगो का कहना है कि ग्राम सभा के पहले ही आवेदन लिये जाये, एजेण्डा निर्माण किया जावे फिर ग्राम सभा बुलाकर चर्चा हो।

जिलेवार देखने से स्पष्ट है कि सबसे अधिक राजनांदगांव जिले की ४० प्रतिशत ग्राम सभाओं में कोरम पूर्ति दिखाई देती है वहीं सबसे कम बस्तर जिले की १२.० प्रतिशत ग्राम सभाओं में कोरम पूर्ति हुयी है। विशेष ग्राम सभा की कोरम की पुर्ति राजनांदगांव २५.६ प्रतिशत ग्राम सभा है ।


२.२.१ महिला संघटनों की भागीदारी

पूर्व के विश्लेषण में देखा गया है कि वार्ड पंच एवं महिला सरपंचों की संख्या परूष वार्ड पंच व पुरूष सरपंच की तुलना में अधिक है परन्तु ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है इस स्थिति में गांव में महिला समूह की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति निर्माण करने की आवश्यकता होती है ताकि समूह/संगठन के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में बढ़ाया जा सकें जिसके लिये पंचायत में गठित महिला समूह की स्थिति का आंकलन किया गया है। महिला स्थिति के आंकलन करने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी को आधार माना है साथ ही समूह चर्चा में हुयी महिला समूह से प्रत्यक्ष चर्चा के तथ्यों को केंद्रीय स्थान दिया गया है। महिला समूह का विश्लेषण निम्न बिन्दु पर किया गया है।

- ✍ ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी
- ✍ ग्राम सभा में महिलाओ द्वारा उठाये गये विषय
- ✍ व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल महिला समूह का प्रतिशत

ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी

छत्तीसगढ पंचायत राज के चुनाव में महिलाओं के ५० प्रतिशत आरक्षण ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। प्रस्तुत रिपोर्ट के विश्लेषण में स्पष्ट हुआ है कि परूषों की तुलना में वार्ड पंच, सरपंच में महिलाओं का अनुपात अधिक है जो पंचायत/ग्राम सभा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद करता है। यहां पर आयोजित ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी के स्थिति को सचिव द्वारा ग्राम सभा की उपलब्ध करायी जानकारी के अधार पर स्पष्ट किया गया है।



(स्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी कम दिखाई देती है परन्तु धारा ६ में बताई गयी अपेक्षित महिलाओं की ३३ प्रतिशत भागीदारी से अधिक है। ग्राम सभा में ५६.७ प्रतिशत पुरुषों की उपस्थिति होती है वही ४०.३ प्रतिशत महिलाये उपस्थित होती है। इसी स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि राजनांदगांव जिले की ग्राम सभा में ४३.४ प्रतिशत ग्राम महिलाओं की भागीदारी होती है जो कि महिला सशक्तिकरण को दर्शाता।

यहां पर सोचने वाली बात यह है कि

- ☞ पंचायत प्रतिनिधि में महिलाओं की भागीदारी अच्छी होने के साथ साथ ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति है लिहाजा यहां पर निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिये
- ☞ दूसरी बात विश्लेषण में यह पाया गया है कि वार्ड पंच एवं सरपंच के बीच शैक्षणिक स्तर कम है जिसके कारण पंचायत के कार्यों को महिला तथा महिला प्रतिनिधियों के समक्ष रखना, उनको समझाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
- ☞ समूह चर्चा में भी महिलाओ ने कहा है कि उनका महिला सरपंच पर विश्वास है परन्तु महिला सरपंच की भूमिका कम होती है जिसके कारण महिलाओं की महिला सरपंच से दूरी बनी हुयी रहती है जिसका प्रभाव ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति के साथ निर्णयों में भागीदारी पर भी होता है।
- ☞ अतः यह आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिये महिला पंचायत प्रतिनिधि की क्षमता निर्माण करना आवश्यक है। पंचायत प्रतिनिधि की क्षमता वर्धन प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधि की क्षमता वर्धन प्राथमिकता में रखने की जरूरत है।

समूह की महिलाओं द्वारा ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने की स्थिति


- ग्राम सभा में महिला समूह की अध्यक्ष एवं सचिव शामिल होते हैं,
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होती है इसके अलावा गांव की अन्य महिलाएं शामिल नहीं होती हैं।
- कुल 90 से 92 महिलाएं भाग लेती हैं।
- लगभग सभी स्थानों की पंचायतों में यही स्थिति है।

ग्राम सभा में मुद्दे रखने की स्थिति

- ☞ ग्राम सभा में महिलाएं कुछ नहीं बोलती हैं केवल वे सुनकर चली जाती हैं। महिलाओं के अनुसार “ ग्राम सभा में प्रस्तुत किये जा रहे तथ्य विस्तृत नहीं होते इस कारण समझ में नहीं आता है इसलिये नहीं बोल पाते हैं।
- ☞ ग्राम सभा केवल खाना पुर्ति के लिये आयोजित होती है। जिसमें विस्तृत चर्चा नहीं होती है,
- ☞ पंचायत द्वारा विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती है।
- ☞ सचिव द्वारा जल्दी जल्दी बोला जाता है,
- ☞ महिलाओं को पंचायत की जानकारी समझ में नहीं आती है इसलिये वे ग्राम सभा में नहीं जाती हैं।

व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल महिला समूह का प्रतिशत

अध्ययन में शामिल चारों जिलों की आठ-आठ पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के अनुसार कुल 980 महिला समूह गठित हुये हैं जिसमें राजनांदगांव 55, बस्तर 36, सरगुजा 92 तथा महासमुंद जिले के 39 समूह शामिल हैं। यह हो सकता है इन संख्याओं से अधिक संख्या में महिला समूह गांव में गठन किये गये हों परन्तु यहां उन महिला समूह को शामिल करने का प्रयास किया गया है समूह के रूप



में बचत या कोई व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं। (चयनित 32 पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 980 महिला समूह में केवल 41.4 प्रतिशत महिला समूह व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल हैं जिनके द्वारा आंगनवाड़ी, स्कूल का पोषण आहार तथा मध्याह्न भोजन पकाया जा रहा

है। इसी बात को जिलेवार देखने से स्पष्ट होता है कि सरगुजा व बस्तर जिले में अधिकांश महिला समूह व्यवसायिक कार्य कर रही है।


तालिका क्र ६ व्यवसायिक गतिविधि में शामिल महिला समूह का गतिविधिवार समूह का प्रतिशत					
कार्य	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
मध्यान्ह भोजन व पोषण आहार को पकाना	10.0	20.0	33.3	32.4	26.1
रेडी टू ईट तैयार करना	10.0	0.0	5.6	0.0	2.2
मक्का उत्पादन का कार्य	0.0	0.0	2.8	0.0	0.7
किराना दुकान/अन्य दूकान का संचालन।	30.0	1.8	22.2	0.0	8.7
केवल लेन देन/जमा	20.0	78.2	36.1	59.5	58.0
व्यवसायिक गतिविधि	30.0				2.2
पशुपालन				8.1	2.2
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्त्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ५८ प्रतिशत महिला समूह केवल बचत कार्य कर रही है वही ४१.४ प्रतिशत महिला समूह व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल है इन ४१.४ प्रतिशत समूह में २६.१ प्रतिशत समूह द्वारा स्कूलों तथा आंगणवाडी में पोषण आहार पकाने का कार्य किया जाता है।

२.३ ग्राम पंचायत की अनिवार्य एवं विशेष बैठके एवं कोरम की स्थिति

ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ४४(४) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक माह में एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य है जो कि एक वित्तीय वर्ष में १२ ग्राम पंचायत की बैठके आयोजित होगी। साथ ही समय समय पर आवश्यकता के अनुसार विशेष बैठक का आयोजन किया जा सकता है।



(स्त्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

तथ्यों से स्पष्ट है कि केवल २८.१ प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा ही शतप्रतिशत अनिवार्य ग्राम पंचायत की बैठको का आयोजन किया जाता है वहीं ३७.५ प्रतिशत पंचायतो को विशेष बैठकों के आयोजन की आवश्यकता हुई है। जब अनिवार्य बैठक हो चूकी होती है ऐसे समय में विशेष चर्चा या जनपद के आदेश पर विशेष बैठकों का आयोजन किया गया है। ७१.६ प्रतिशत पंचायतो द्वारा अनिवार्य सभी बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है साथ ही ६२.५ प्रतिशत ग्राम पंचायतो द्वारा विशेष बैठकों का आयोजन भी नहीं किया गया है अध्ययन में पाया गया है कि जहां अनिवार्य बैठकों का ही आयोजन नहीं किया जाता

है वहां विशेष बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। अनिवार्य बैठकों में २१.८ प्रतिशत ग्राम पंचायतों में एक साल में तीन के निचे ही अपनी बैठकों का आयोजन किया है।

बैठकों के आयोजन की स्थिति को निम्नानुसार जिले वार देखा जा सकता है

तालिका क्र १०. ग्राम पंचायत की अनिवार्य एवं विशेष बैठके आयोजन की स्थिति										
बैठको की संख्या	सरगुजा		राजनांदगांव		बस्तर		महासमुंद		कुल	
	अनिवार्य	विशेष	अनिवार्य	विशेष	अनिवार्य	विशेष	अनिवार्य	विशेष	अनिवार्य	विशेष
12	37.5	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	28.1	0.0
11	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	9.4	0.0
10	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	12.5	0.0
9	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	6.3	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	3.1	0.0
6	0.0	25.0	37.5	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	9.4
5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
4	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
3	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1
2	0.0	25.0	0.0	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	6.3	9.4
1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	3.1	6.3
0	0.0	12.5	0.0	75.0	37.5	87.5	0.0	75.0	9.4	62.5
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0


स्त्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

ग्राम पंचायत बैठकों की स्थिति को जिले की तुलनात्मकता से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत की अनिवार्य बैठकों के आयोजन का प्रमाण सरगुजा जिले में बेहतर है जहां पर शतप्रतिशत पंचायतों द्वारा १२ में से ६ अनिवार्य बैठकों का आयोजन किया गया है उसी जिले में सर्वाधिक विशेष बैठकों का आयोजन किया गया है वही बस्तर जिले में ग्राम पंचायत की अनिवार्य बैठकों के आयोजन का प्रमाण बहुत कम दिखाई देता है इसलिये बस्तर में विशेष बैठकों का आयोजन भी बहुत कम है। अतः स्पष्टता होती है कि जहां पर अनिवार्य बैठकों की संख्या अधिक है वहां पर विशेष बैठकों का आयोजन किया गया है और जहां पर अनिवार्य बैठकों का ही आयोजन नहीं होता है वहां पर विशेष बैठके आयोजन की जरूरत नहीं होती है।

अधिनियम की धारा ४४ (४) एवं (६) के अनुसार सरंपच सतत तीन अवसरो पर बैठक बुलाने में असफल रहते है तो उनके विरुद्ध धारा ४० के अधीन पर से हटाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

ग्राम पंचायत की अनिवार्य बैठकों में कोरम की पूर्ति

पंचायती राज अधिनियम की धारा ४४ में पंचायत की बैठक में कोरम की आवश्यकता बतायी गयी जिसके अनुसार पंचायत बैठक के कोरम पूर्ति के लिये ५० प्रतिशत सदस्यों की आवश्यकता होती है जिसके स्थिति को स्पष्ट करने के लिये सचिव द्वारा प्राप्त आकड़ों को केंद्रीत करते हुये कोरम की पूर्ति को विश्लेषित किया गया है।



स्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

उक्त तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि ८५.० प्रतिशत अनिवार्य बैठकों में कोरम पूर्ति होती है जो की बेहतर भागीदारी को दर्शाता है परन्तु केवल ३३.३ प्रतिशत ही विशेष बैठकों में कोरम की पूर्ति होती है। इसी बात को जिले के बीच देखने से स्पष्टता होती है कि सबसे अधिक महासमुंद जिले में ग्राम पंचायतों की ८६.७ प्रतिशत अनिवार्य बैठकों में कोरम पूर्ण होता है वही राजनांदगांव के ग्राम पंचायतों की विशेष बैठकों में सर्वाधिक कोरम रहता है।

सारांश में , ग्राम पंचायत की अनिवार्य बैठकों में कोरम पूर्ति की स्थिति बेहतर पायी गयी है वही ग्राम पंचायत की विशेष बैठकों में कोरम पूर्ति का अभाव दिखाई देता है इसका अर्थ यह होता है कि अनिवार्य बैठके माह में एक बार/पहली बार होने के कारण पंच उपस्थित हो पाते है वही उसी माह में होने वाली दूसरी बैठक में पंच की उपस्थिति नहीं होती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम पंचायत की अनिवार्य बैठको में ही विस्तृत चर्चा हो ताकि विशेष ग्राम पंचायत बैठक के आयोजन की जरूरत नहीं होगी इसके लिये आवश्यकता यह होगी कि एक निश्चित तिथि बैठक के लिये आयोजित करने की होगी और उस तिथि तक आवश्यक सभी विषयो पर बैठक का एजेण्डा निर्माण किया जाना चाहिये, पंचायत या अन्य संस्था, व्यक्ति द्वारा चर्चा के लिये कोई विषय प्रस्तावित करने की आवश्यकता हो तो उस निर्धारित तिथि के पूर्व में सचिव को भेज देना चाहिये ताकि एक विस्तृत एजेण्डे के साथ ग्राम पंचायत की अनिवार्य बैठक आयोजित हो और विशेष बैठक आयोजन की जरूरत न हों।

२.४ पंचायत की स्थायी समितियों की बैठको का आयोजन

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा ४६ के अनुसार ग्राम पंचायत में पाँच स्थायी समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है जिसमें :

- ✓ सामान्य प्रशासन समिति
- ✓ निर्माण एवं विकास समिति
- ✓ शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण तथा समाज कल्याण समिति
- ✓ पशुपालन एवं कृषि समिति
- ✓ वन एवं राजस्व समिति

पंचायत राज अधिनियम के अनुसार इन स्थायी समितियों की बैठके प्रति माह आयोजित करना अनिवार्य है जिसके पालन की स्थिति अध्ययन में देखा गया जो निम्नानुसार है....

- ☞ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थायी समितियों का गठन किया गया है उसके गठन का विवरण भी बहुत सी पंचायत की दीवार पर चस्पा किया गया है।
- ☞ अध्ययन में पाया गया है कि अधिकांश पंचायत में बैठके आयोजित नहीं हुये है।
- ☞ बहुत कम पंचायतों में देखा गया है कि समिति की बैठक कार्यवाही लिखने के लिये अलग अलग समितियों के लिये रजिस्टर तैयार किये गये है।
- ☞ ग्राम पंचायत में समिति की बैठके आयोजित नहीं की है।
- ☞ सामान्य प्रशासन समिति की जिम्मेदारी अनुमानित बजट निर्माण की प्रक्रिया में भी निर्धारित की गयी है परन्तु समिति सक्रिय नहीं होने के कारण वो सभव नहीं हो पाती है।

अतः अध्ययन स्पष्ट करता है कि समितियों का पंचायत स्तर पर नाम मात्र गठन किया गया है परन्तु वे कार्यरत नहीं है। साथ ही समूह चर्चा में पाया गया है जो पंच जिस समिति में शामिल है उसको उस समिति का नाम ही नहीं पता है साथ ही समुदाय के बीच पंचायत का अर्थ सविच, सरपंच तथा पंच के अलावा ग्राम सभा की बैठके, ग्राम पंचायत की बैठके तक ही समझा जाता है परन्तु स्थायी समितियों की कोई जानकारी नहीं होती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि स्थायी समिति को सक्रिय करे उनके लिये स्थानीय स्तर पर तकनीकी सहयोग इकाई की स्थापना करे और एक सुनियोजित प्रशिक्षण रणनीति के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण करें।

गाँव में समितियों की जानकारी :

समूह चर्चा में महतारी पंचायत समिति के सदस्य और मध्यान्ह भोजन समिति के अध्यक्ष, वार्ड पंचों तथा अन्य समिति के सदस्य शामिल थे। समूह चर्चा में शामिल समिति के सदस्य व अन्य वरीष्ठ नागरीकों क साथ समितियों के कार्यों पर चर्चा हुई जिसके मुख्य तथ्य इस तरह है..

- ☞ समूह चर्चा में शामिल महतारी पंचायत व महिला समूह के सदस्यों ने बताया कि वे किस समिति समूह के सदस्य है परन्तु वार्ड पंच नहीं बता पाये है कि वे किस समिति के सदस्य है।
- ☞ अधिकांश महिला समूह द्वारा मध्याह्न भोजन पकाने का कार्य करने की बात की है वही वार्ड पंच को पता ही नहीं है कि पंचायत की स्थायी समिति क्या होती है और उसके क्या कार्य होते है।
- ☞ वार्ड पंच का कहना है कि पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्यों से हस्ताक्षर करवा लिये जाते है किन्तु उनको अपनी भूमिका एवं क्यों हस्ताक्षर करवाये जा रहे उन्हें जानकारी नहीं होती है चूंकि शिक्षा की कमी है साथ ही प्रशिक्षण के अभाव के कारण पंच को पंचायत के दस्तावेज की जानकारी नहीं होती है।

समूह चर्चा के अनुसार समितियां निष्क्रिय होने के प्रमुख कारण क्या है

- पंचायत स्तर पर सरपंच या सचिव द्वारा समितियों की बैठके करने के प्रयास नहीं किये गये है।
- समिति की नियमित बैठके नहीं होती है,
- बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नहीं,
- समिति के कार्य एवं जिम्मेदारी सदस्यों को पता नहीं,
- सदस्यों को कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है।
- प्रशिक्षण यदि दिये गये है तो विस्तार से प्रशिक्षण नहीं हुये है।

समितियों की भूमिका को सुधारने के लिये समूह चर्चा के विचार

- सभी समितियों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता,
- प्रशिक्षण की २ दिन पूर्व सूचना देना चाहिये,
- पंचायत की स्थायी समिति को विशेष प्रशिक्षण दिया जावे जिसमें उनकी जिम्मेदारी, समिति के कार्य की जानकारी शामिल हो।
- प्रशिक्षण में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य हों
- प्रशिक्षण प्रभावों का आंकलन करने का मापदण्ड निर्माण किया जावे जिसकी जानकारी पंचायत स्तर पर हों

ग्राम पंचायतों की वित्तीय संरचना

ग्राम पंचायत की स्थापना के पिछे मूल भावना यह रही है कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर विकास एवं सामाजिक न्याय की स्थापना की जिम्मेदारी ले जिसके लिये ग्राम पंचायत को विविध विकास कार्यों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता होगी। विकास कार्यों का निर्माण एवं क्रियान्वित करने के लिये आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जिस समय पंचायतों के पास अपनी राशि उपलब्ध होगी उस समय कार्य या योजना निर्माण के लिये ग्राम पंचायत स्वतन्त्र होगी अन्यथा प्राप्त बाह्य राशि के साथ प्राप्त निदेशों के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य होगी। अतः आवश्यक यह है कि ग्रामपंचायत के आन्तरिक आय के आमदानी के स्रोतों को मजबूत करना होगा। जिसके लिये अध्ययन में पंचायत की वित्तीय स्थिति, स्वयं के स्रोत से आय प्राप्त करने की स्थिति एवं ग्राम पंचायतों के आमदानी के स्रोतों में वृद्धि करने की संभावनाओं को समझा है।

पंचायतों की वित्तीय संरचना की स्थिति में पंचायत की आय-व्यय का स्थिति, आय के स्रोत, आन्तरिक आय को बढ़ाने की संभावना तथा दिक्कतों पर विशेष रूप से चर्चा की है ताकि पंचायत की आमदानी बढ़ाने में परिचालनात्मक रणनीति का निर्माण किया जा सके।

३.१ ग्राम पंचायत के आय-व्यय की स्थिति (वर्ष २०११-१२)

तालिका क्र. ११ - ग्राम पंचायत का आय - व्यय (वर्ष २०११-१२) रूपयों में					
	राजनांदगांव	सरगुजा	बस्तर	महासमुंद	कुल
ग्राम पंचायत	८	७	८	८	३१
प्र.शेष	19,80,034.96	4,66,825.00	23,91,708.88	39,07,475.75	87,46,044.59
आय	3,93,80,685.99	2,21,02,383.00	1,48,68,346.00	2,00,07,039.00	9,63,58,453.99
कुल	4,13,60,720.95	2,25,69,208.00	1,72,60,054.88	2,39,14,514.75	10,51,04,498.58
व्यय	3,83,98,971.34	2,03,12,558.00	1,39,53,347.47	1,65,26,165.00	8,91,91,041.81
शेष	29,61,749.61	22,56,650.00	33,06,707.41	73,88,349.75	1,59,13,456.77

स्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़े

ग्राम पंचायत की वित्तीय आय एवं आय की तुलना में व्यय की स्थिति को देखने से स्पष्ट होता है कि कुल ३१ ग्राम पंचायतों (एक ग्राम पंचायत की वित्तीय जानकारी उपलब्ध नहीं हुई) को वर्ष २०११-१२ में कुल ६ करोड़ ६३ लाख ५८ हजार ४५६ रुपये प्राप्त हुये थे वही इन्ही पंचायतों के पास वर्ष २०१०-११ के ८७ लाख ४६ हजार ०४४ रुपये शेष थे। अर्थात् ग्राम पंचायतों के पास वर्ष २०११-१२ में विकास कार्यों के लिये १० करोड़ ५१ लाख ०४ हजार ४६८ रुपये उपलब्ध थे जिसमें से किये गये है जो कुल उपलब्ध राशि का ८४.८६ प्रतिशत राशि है।

प्रति ग्राम पंचायत की औसतन आय/व्यय का विवरण


तालिका क्र. १२ - प्रति ग्राम पंचायत की औसतन आय/व्यय का विवरण (रूपये)					
	राजनांदगांव	सरगुजा	बस्तर	महासमुंद	कुल
प्र.शेष	247,504.37	66,689.29	298,963.61	488,434.47	282,130.47
आय	4,922,585.75	3,157,483.29	1,858,543.25	2,500,879.88	3,108,337.23
कुल	5,170,090.12	3,224,172.57	2,157,506.86	2,989,314.34	3,390,467.70
व्यय	4,799,871.42	2,901,794.00	1,744,168.43	2,065,770.63	2,877,130.38
शेष	370,218.70	322,378.57	413,338.43	923,543.72	513,337.32

स्त्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़े

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि

- वर्ष २०११-१२ में प्रति पंचायत के पास औसतन ३३ लाख ६० हजार ४६७ रुपये उपलब्ध थे जिसमें से २ लाख ८२ हजार १३० रुपये पिछले साल का शेष है और ३१ लाख ०८ हजार ३३७ रुपये विभिन्न मदों से प्राप्त हुये है।
- अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक औसतन आय राजनांदगांव जिले की पंचायत के पास है वही सबसे कम बस्तर जिले की पंचायत के पास है।


ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि की तुलना में व्यय का अनुपात (प्रतिशत)



उपरोक्त तथ्यो से विश्लेषण है कि

- ३१ ग्राम पंचायतो के पास उपलब्ध कुल राशि १० करोड़ ५१ लाख ०४ हजार ४६८ रुपये उपलब्ध थे। में ६१.६८ प्रतिशत राशि विभिन्न मदो एवं विभागो से प्राप्त की गयी है वही ८.३२ प्रतिशत राशि पिछले वर्ष की शेष थी।
- वर्ष २०११-१२ में १० करोड़ ५१ लाख ०४ हजार ४६८ रुपये उपलब्ध थे जिसमें से ८४.८६ प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग की गयी है वही १५.१४ प्रतिशत राशि शेष रही है।
- वर्ष २०१०-११ की तुलना में ग्राम पंचायतो के पास ६.८३ प्रतिशत अधिक राशि शेष हैं। अर्थात्, २०१०-११ की तुलना में २०११-१२ में राशि उपयोग का अनुपात ६.८३ प्रतिशत से कम है।

ग्राम पंचायत के विभिन्न स्रोतो से आय का विवरण




उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की कुल आय में ग्राम पंचायत की आन्तरिक स्रोतो से आमदानी केवल ३.५२ प्रतिशत है वही ८४.०६ प्रतिशत राशि विभिन्न योजना/विभाग के द्वारा प्राप्त होती है। ग्राम पंचायत की कुल आय में ६.१७ मुलभुत की राशि और ५.६२ प्रतिशत वित्त आयोग की राशि का होता है। तथ्यो से स्पष्ट है कि मुलभुत राशि और वित्त आयोग की राशि से पंचायत की आन्तरिक आय बहुत कम है वही ६६.४८ प्रतिशत राशि बाह्य स्रोतो से प्राप्त होती है। अर्थात्, वर्तमान स्थिति में ग्राम पंचायते बाह्य स्रोतो पर निर्भर है।

तालिका क्र. १३ - ग्राम पंचायत के विभिन्न स्रोतों से आय का विवरण - वर्ष २०११-१२ (रूपये)					
जिला	राजनांदगांव	सरगुजा	बस्तर	महासमुंद	कुल
स्वयं की आय	19,97,407.99	82,360.00	4,388.00	13,05,793.00	33,89,948.99
मुलभुत	17,42,891.00	11,39,370.00	14,55,553.00	16,09,065.00	59,46,879.00
वित्त आयोग	12,60,655.00	15,25,803.00	11,40,327.00	17,76,359.00	57,03,144.00
विभागों द्वारा प्राप्त	3,42,86,951.00	1,93,16,209.00	1,21,95,213.00	1,52,31,252.00	8,10,29,625.00
अन्य (ब्याज, सरपंच मानदेय)	92,781.00	38,641.00	72,865.00	84,570.00	2,88,857.00
योग	3,93,80,685.99	2,21,02,383.00	1,48,68,346.00	2,00,07,039.00	9,63,58,453.99

स्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़े

ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय का तरिका (वर्ष २०११-१२)




तथ्यों से स्पष्ट है

- कि ३१ ग्राम पंचायतों द्वारा ८ करोड़ ६१ लाख ६१ हजार ०४१ रुपये व्यय की गयी है जिसमें केवल २.८० प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित स्टेशनरी, बिजली बिल, फर्निचर तथा अन्य के लिये किया गया है

- २३.८० प्रतिशत राशि पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का मरम्मत संबंधित है जिसमें सार्वजनिक भवन, सड़क मरम्मत, पेयजल की सुविधा का संधारण, भूमि मरम्मत, पंचायत भवन का मरम्मत जैसे कार्यों पर व्यय किया गया है।

- सर्वाधिक ५६.३१

प्रतिशत राशि नये संसाधनों के निर्माण हेतु की गयी है जैसे स्कूलों के भवन निर्माण, आ.बा भवन निर्माण, पुलियां निर्माण, सड़क निर्माण तालाब निर्माण आदि पर व्यय किया गया है।



तालिका क्र. 98 - ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय का विवरण (२०११-१२) रूपयों में

	राजनांदगांव	सरगुजा	बस्तर	महासमुंद	कुल
स्थापना व्यय	14,00,384.76	2,08,877.00	2,13,833.50	6,77,149.00	25,00,244.26
मरम्मत/संधारण व्यय	1,64,44,488.00	25,50,818.00	9,58,850.00	12,69,120.00	2,12,23,276.00
नये संसाधनो का निर्माण	1,76,21,212.53	1,33,94,143.00	1,07,11,183.97	1,11,68,311.00	5,28,94,850.50
अन्य व्यय	29,32,886.05	41,58,720.00	20,69,480.00	34,11,585.00	1,25,72,671.05
योग	3,83,98,971.34	2,03,12,558.00	1,39,53,347.47	1,65,26,165.00	8,91,91,041.81


स्त्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़े

३.२ पंचायत की आन्तरिक आय तथा आमदानी

पंचायत की आन्तरिक आय का मतलब होता है कि पंचायत के स्वयं के संसाधनों से होने वाली आय। इस आय को पंचायत अपने मर्जी से खर्च कर सकती है उसके खर्चे के लिये स्वयं नियम बना सकती है, स्वयं निर्णय ले सकती है परन्तु पंचायत के पास स्वयं के संसाधनों से आय नहीं हो रही है ऐसे स्थिति में पंचायत के सभी कार्य बाह्य स्रोतों से प्राप्त राशि पर निर्भर होती है परिणामतः कार्य करने के लिये उनके द्वारा कहे गये दायरों में ही व्यय करना होता है जिसमें पंचायतों की स्वतंत्रता नहीं होती है इसलिये आवश्यक है कि पंचायत के पास अपने संसाधनों से आय अधिक हो लिहाजा अध्ययन में पंचायत के द्वारा आन्तरिक स्रोतों से कर संकलन की स्थिति, पंचायत की आय बढ़ाने की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

३.२.९ पंचायत द्वारा करारोपण की स्थिति

पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में निवास/कार्य करने वाले व्यक्तियों पर दो तरह के कर लगायेगी जिसमें अनिवार्य कर व वैकल्पिक कर शामिल है। हम यहां पर अनिवार्य कर व वैकल्पिक कर के करारोपण की स्थिति को विश्लेषित करने से पहले दोनों तरह के कर प्राप्त करने वाले पंचायतों का विश्लेषण कर रहे हैं...




स्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

ग्राफ के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- ☞ कुल पंचायतों में से ७५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा विविध अनिवार्य, वैकल्पिक एवं परिसम्पत्तिक स्रोतों से कर/शुल्क राशि प्राप्त की जाती है वहीं २५ प्रतिशत ऐसी पंचायतें पायी गयी हैं जिनके द्वारा अपने स्रोतों से कोई राशि प्राप्त नहीं की जाती है।
- ☞ करारोपण की स्थिति को जिले के बीच तुलनात्मकता से देखने पर स्पष्टता होती है कि महासमुंद, राजनांदगांव व सरगुजा जिले की ८७.५-८७.५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा अपने स्रोतों से कर संकलन किया जाता है वहीं बस्तर जिले में केवल ३७.५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा अपने स्रोतों से कर संकलन किया जाता है।

३.२.२. करो के स्रोतों के वर्गीकरण के अनुसार करारोपण की स्थिति




उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि

- ☞ अनिवार्य करो के स्रोतों सबसे अधिक ८३.३ प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण किया गया है हालांकि यह शतप्रतिशत ग्राम पंचायत में किया जाना अनिवार्य है परन्तु नहीं हुआ है। वहीं सबसे कम वैकल्पिक स्रोतों पर ३७.५ प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा कर आरोपण किया गया है।
- ☞ परिसम्पत्ति सम्बन्धित करो के स्रोतों पर ६२.५ प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा कर आरोपण किया गया है।
- ☞ जिले के बीच देखने से स्पष्ट होता है कि अनिवार्य करारोपण में सबसे अधिक महासमुंद व सरगुजा जिला दिखाई देता है वहीं वैकल्पिक करो में महासमुंद व राजनांदगांव जिला है वहीं परिसम्पत्तिक करारोपण में राजनांदगांव जिला सबसे अधिक है।

३.२.३ आन्तरिक आय के स्रोतों पर कर आरोपण एवं अपेक्षित आय की तुलना में वास्तविक संकलन की स्थिति (वर्ष २०११-१२)

(कर आरोपण एवं आय संकलन की स्थिति को समझने के लिये करो के स्रोतों को ३ श्रेणी में बाटा गया है और प्रत्येक श्रेणी में महत्वपूर्ण संसाधनों को चिन्हांकित किया गया है जिसके आधार पर करारोपण एवं आय संकलन की स्थिति को विश्लेषित किया गया है) यह जानकारी केवल ३ जिलों की २४ ग्राम पंचायत पर आधारित है क्योंकि बस्तर जिले की ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनको शामिल नहीं किया गया है।




उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि

करारोपण के प्रकार	स्रोत के नाम	करारोपण एवं संकलन की स्थिति (विश्लेषण)
अनिवार्य कर	मकान कर प्रकाश कर वृत्ति कर बाजार फीस पशुओं के रजिस्ट्रेशन फीस	अनिवार्य करों के स्रोतों को आरोपित करने की स्थिति को समझने के लिये ५ स्रोतों को आधार बनाया गया है जिसमें उपरोक्त ग्राफ के तथ्यों से स्पष्ट है कि ८३.३३ ग्राम पंचायत द्वारा अपने कुल १२० स्रोतों से ३२.५० प्रतिशत स्रोतों पर कर आरोपण किया गया है जिनके माध्यम से अपेक्षित आय की तुलना में ८३.०१ प्रतिशत वास्तविक आय प्राप्त होती है। इसी बात को जिले के बीच देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक राजनांदगांव जिले में ४५.० प्रतिशत स्रोतों पर ७५.०० प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा कर आरोपण किया गया है जिनके माध्यम से अपेक्षित आय की तुलना में ८१.७६ प्रतिशत आय संकलन कर पाते हैं। वही सबसे कम सरगुजा जिले में २० प्रतिशत अपने स्रोतों पर ८७.५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा कर आरोपित किये गये हैं जिनसे केवल अपेक्षित आय की तुलना में ६०.७२ प्रतिशत राशि संकलन कर पाते हैं। दूसरी बात स्पष्ट है कि सरगुजा में कर आरोपण करने का प्रमाण अधिक है परन्तु करों से आय संकलन करने का प्रमाण कम है।
वैकल्पिक कर	जलकर निजी जलकर सार्वजनिक सफाई कर	वैकल्पिक करों के स्रोतों को आरोपण करने की स्थिति को समझने के लिये ३ स्रोतों को आधार बनाया गया है। ३७.५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा कुल ७२ स्रोतों से केवल १६.४४ प्रतिशत स्रोतों पर कर आरोपण किया गया है जिनके माध्यम से आय की अपेक्षा की तुलना में ६६.१८ प्रतिशत राशि संकलित कर पाते हैं। इसी बात को जिले के बीच देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक राजनांदगांव में २६.१७ प्रतिशत स्रोतों पर ५०.०० प्रतिशत पंचायतों द्वारा कर आरोपण किया गया है जिनके माध्यम से कुल अपेक्षित आय की तुलना में ६०.८६ प्रतिशत राशि संकलन कर पाते हैं। वही सबसे कम सरगुजा जिले में ४.१७ प्रतिशत स्रोतों पर १२.५ प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा कर आरोपण किया गया है जिनके माध्यम से ५१.३४ प्रतिशत राशि संकलन कर पाते हैं। दूसरी स्पष्टता यह है कि सबसे अधिक स्रोतों पर करारोपण का प्रमाण राजनांदगांव में है इसी जिले में आय की तुलना में वास्तविक संकलन दर का प्रमाण भी अधिक है।
सम्पत्तिक कर	रेत पत्थर	ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध परिसम्पत्तिक करों के स्रोतों को आरोपण करने की स्थिति को समझने के लिये ५ स्रोतों को आधार बनाया गया है। ६२.५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा कुल १२० स्रोतों से केवल २०.८३ प्रतिशत स्रोतों पर कर आरोपण किया गया है जिनके माध्यम से आय की अपेक्षा की तुलना में

करारोपण के प्रकार	स्रोत के नाम	करारोपण एवं संकलन की स्थिति (विश्लेषण)
	<p>तालाब लीज</p> <p>व्यवसायिक परिसर से आय</p> <p>अन्य भवनो से स्रोत</p>	<p>₹३.७८ प्रतिशत राशि संकलित कर पाते हैं। इसी बात को जिले के बीच देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक राजनांदगांव में ३०.०० प्रतिशत स्रोतों पर ₹७.५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा कर आरोपण किया गया है जिनके माध्यम से कुल अपेक्षित आय की तुलना में ₹७.९९ प्रतिशत राशि संकलन कर पाते हैं। वही सबसे कम सरगुजा जिले में ५.०० प्रतिशत स्रोतों पर २५.० प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा कर आरोपण किया गया है जिनके माध्यम से ₹३.६७ प्रतिशत राशि संकलन कर पाते हैं। दूसरी स्पष्टता यह है कि सबसे अधिक स्रोतों पर करारोपण का प्रमाण राजनांदगांव में है परन्तु अपेक्षित आय की तुलना में वास्तविक संकलन दर का प्रमाण महासमुंद जिले में अधिक है।</p>

३.२.४ अनिवार्य कर से आय प्राप्त करने की स्थिति



उपरोक्त तथ्या से स्पष्ट है कि

- ☞ केवल ४३.८ प्रतिशत ग्राम पंचायतों में मकान कर प्राप्त किया जाता है वहीं शेष ग्राम पंचायतों में मकान कर या अन्य कोई भवन कर नहीं लिया जाता है
 - ☞ केवल २१.६ प्रतिशत पंचायतों द्वारा प्रकाश लिया जाता है आजीविका कर या वृत्ति कर लेने के प्रमाण भी केवल ६.४ प्रतिशत पंचायत में पाया गया है।
 - ☞ अनिवार्य कर लेने की स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्ट होता है कि कर वसूलने का प्रतिशत राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक है जिसमें ५० प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा मकान कर, ३७ प्रतिशत पंचायतों द्वारा प्रकाश कर, २५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा वृत्ति कर, ६२.५ प्रतिशत
- पंचायत राज अधिनियम की धारा ७७/१ में निम्नानुसार अनिवार्य कर बताये गये हैं
- ☞ भवन एवं जमीन पर सम्पत्ति कर
 - ऐसी जमीन और भवन जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सम्पत्ति को छोड़कर
 - धार्मिक काम या शिक्षा के लिये उपयोग किये जाने वाले वे भवन जहाँ बोर्डिंग हाउस या छात्रावास को छोड़कर
 - अन्य सभी भूमि एवं भवनों पर जिसकी किमत ६ हजार से अधिक हो लिया जावे।
 - ☞ आजीविका या व्यवसाय पर कर
 - पंचायत की सीमा में व्यापार करने या आजीविका कमाने वाले आदमी पर आजीविका कर
 - ☞ बाजार फीस
 - ☞ पशुओं के रजिस्ट्रेशन फीस (विक्रय की स्थिति में)
 - ☞ ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही सुविधा पर कर
 - यदि पंचायत द्वारा सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था की है,
 - यदि पंचायत निजी घरों में बने शौचालय की सफाई करावाती है तो ऐसे स्थिति में शौचालय सफाई कर लगा सकती है।

पंचायत द्वारा पशुओं के रजिस्ट्रेशन से फीस प्राप्त की जाती है

- ☞ सबसे कम कर वसूलने का प्रतिशत सरगुजा जिले में है जहां ६२.५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा मकान कर तथा १२.५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा प्रकाश कर वसूला जाता है इसके अलावा वृत्ति कर, बाजार फीस किसी भी पंचायतों में नहीं वसूला जाता है।
- ☞ बस्तर की किसी भी पंचायत में बाजार कर को छोड़कर अनिवार्य कर नहीं वसूला जाता है

स्पष्ट है कि अनिवार्य करों के संकलन के लिये ग्राम सभा के अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इन करों को पंचायत को वसूल करना आवश्यक है। केवल प्रकाश व शौचालय सफाई कर के बदले में सुविधा की व्यवस्था करना आवश्यक होता है अर्थात्, शौचालय सफाई कर व प्रकाश कर सुविधा पर निर्भर करता है परन्तु भवन एवं सम्पत्ति कर, बाजार फीस, आजीविका कर वसूलने के लिये सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है फिर भी अधिकांश पंचायत द्वारा अनिवार्य कर वसूला नहीं जाता है।

अध्ययन में पाया गया है कि अधिकांश पंचायतों में करारोपण पर ग्राम सभा में चर्चा नहीं हो पा रही है या ग्राम सभा द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण अनिवार्य करों से वसूली नहीं की जा रही है जिसकी वजह यह है कि पंचायत के बीच स्पष्टता नहीं होती है कि अनिवार्य करों को करारोपित करने के लिये ग्राम सभा की मंजूरी आवश्यक है या नहीं जिसका नकारात्मक प्रभाव कर वसूली की प्रक्रिया पर होता है। वास्तविकता में अनिवार्य करों से वसूली करने के लिये ग्राम सभा के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।

- ☞ पंचायतराज अधिनियम की धारा-65 के अंतर्गत ही तालाब आदि को पट्टे पर दिया जा सकता है।
- ☞ पंचायत में निहित किसी भी अचल सम्पत्ति को तीन साल तक पट्टे पर दिये जाने के अनुबंध को कर सकती है। इससे अधिक समयावधि के लिये राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारी (जिलाधीश/अतिरिक्त जिलाधीश) से अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है।

धारा 108 के अंतर्गत सरकारी भूमि का प्रबंध

- ☞ पंचायत को अंतरित किया गया है। इसमें निहित सम्पत्ति एवं भूमि का प्रबंधन एवं आधिपत्य पंचायतों को रहती है।
- ☞ पंचायतराज अधिनियम की धारा-66 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में पंचायत निधि की स्थापना की जाती है।

धारा-74 – पंचायत क्षेत्र में निहित भूमि पर उपकर लेने की शक्ति

- ☞ के अंतर्गत राजस्व भूमि पर पंचायतों को (ग्रामसभा में संकल्प पारित कर) यह अधिकार है कि वह 10 रुपये तक बढ़ा कर ले सकेगी।

करारोपण

- ☞ भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन करारोपण कानून की शक्तियों का उल्लेख किया गया है इसके कर में शुल्क भी समावेशित है।

धारा 74-5 पट्टे के कार्यों का निष्पादन

- ☞ अधिसूचना क्रमांक एफ-7/8/94 दिनांक 26/09/1994 के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।


छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र.20 सन् 1959) के अंतर्गत

- ☞ धारा 74 की उपधारा में रोपित किये गये करों से प्राप्त राशि को संबंधित पंचायतों में अंतरित किया जाना।
- ☞ यहाँ उपकर से संबंधित राशि को 25 प्रतिशत जिला पंचायत 25 प्रतिशत जनपद 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को प्रदान की जायेगी।

पंचायतराज अधिनियम की धारा 80 एवं भारत के संविधान के अनु.299 अनुसार

- ☞ बाजार फीस आदि को ठेके पर दिया जाना
- ☞ शुल्क (फीस) संग्रहण का कार्य ठेके पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा नियमानुसार दिया जा सकेगा।
- ☞ धारा 81 पंचायतराज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत द्वारा रोपित किये गये शुल्क (फीस) तथा दण्ड को कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जायेगी जैसा कि भू-राजस्व के बकायों में की जाती है।
- ☞ धारा 77 की उपधारा की अनुसूची 2 के चरण क्र. 9 के अनुसार मोबाईल टावर, टेलिफोनिक केबल लाईन, टीवी केबल लाईन पर शुल्क निर्धारण किया जाना।

३.२.५ वैकल्पिक कर



तथ्यों से स्पष्ट है कि 92 प्रकार के संसाधनों से केवल 3 प्रकार के संसाधनों से कर प्राप्त किया जाता है जिसमें जलकर निजी तथा सार्वजनिक व सफाई कर शामिल है। साथ ही कर प्राप्त करने के प्रतिशत को देखने से स्पष्टता होती है कि

जिन पंचायतों में नलजल की व्यवस्था की गयी है उन पंचायतों में निजी उपयोगकर्ता से जलकर कर प्राप्त किया जा रहा है जिनका प्रतिशत ५० है परन्तु गांव में सार्वजनिक जल की व्यवस्था पर कर केवल ६.४ प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है। गांव में सफाई कर प्राप्त करने की स्थिति भी बहुत कम है जो ६.३ प्रतिशत पंचायतों में है।

वैकल्पिक कर के संसाधनों से कर प्राप्त करने की स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्ट होता है कि अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक ५० प्रतिशत राजनांदगांव जिले की पंचायतों द्वारा निजी जलकर प्राप्त किया जाता है साथ ही सार्वजनिक व सफाई कर प्राप्त करने का प्रमाण अन्य जिलों की तुलना में राजनांदगांव में अधिक दिखाई देता है वही बस्तर जिले की पंचायतों में केवल निजी जल कर प्राप्त किया जाता है परन्तु गांव में सार्वजनिक जल की व्यवस्था या अन्य संसाधनों से कर प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

स्पष्टता यह है कि गांव में नलजल की व्यवस्था की

अधिनियम की धारा ७७/२ में निम्नानुसार वैकल्पिक करों के स्रोतों/संसाधनों को दर्शाया गया है।
जल कर
<ul style="list-style-type: none"> • निजी • सार्वजनिक
धर्मशाला/विश्राम गृह
व्यवसायिक उपयोग में आने वाले पशु पर कर (सवारी करने वाले/खींचने/बोझा ढोने के लिये उपयोग)
बैल गाड़ियों, साईकिलों, रिक्शों आदि पर कर
जल निकास कर
दलालों/एजेण्ट पर कर
लोकपयोगिता के विशेष संकर्म पर अस्थायी कर
अस्थायी निकले हुये भाग/संरचना पर कर
वाहनों पर कर (मोटर यानों से भिन्न यान)
सफाई कर
स्टैण्ड कर
चारागाह कर
लोकपयोगिता पर विशेष संकर्म कर अस्थायी कर (मोबाइल टॉवर, टेलिफोन केबल आदि।)

गयी है जिसके कारण पंचायत को निजी जलकर प्राप्त होता है परन्तु सार्वजनिक जलकर या सफाई कर या अन्य वैकल्पिक करों के संसाधनों पर पंचायत द्वारा बहुत कम ध्यान दिया गया है अतः यह आवश्यक है कि पंचायतों को वैकल्पिक करों के संसाधनों से कर प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयास किया जाना चाहिये। इसके लिये नियोजनबद्ध तरीके से संसाधनों की पहचान, उनकी सूची निर्माण करना साथ ही पंचायतों को यह समझना आवश्यक है कि शासकीय नियमों एवं कानून के तहत किन संसाधनों पर किस हद तक कर प्राप्त किया जा सकता है।

अन्य कर

पंचायत राज अधिनियम के अनुसार पंचायतों के आन्तरिक आय के संसाधनों को दो भागों में बाटा गया है एक अनिवार्य कर व वैकल्पिक कर जिनका विश्लेषण अभी तक किया गया इसी कड़ी में अन्य कर भी है जो वैकल्पिक करों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिनके माध्यम से कर प्राप्त करने की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्र. १५ - अन्य संसाधनों/स्रोतों से आय प्राप्त कर्ता पंचायत					
संसाधनों का नाम	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
रेत	0	12.5	12.5	12.5	9.4
पत्थर	0	12.5	12.5	25	12.5
तालाब लीज	25	50	0	75	37.5
सूचना का अधिकार शुल्क	0	12.5	0	0	3.1
राशन कार्ड शुल्क	12.5	25	0	12.5	12.5
कांजी हाउस	0	50	25	25	25.0
व्यवसायिक परिसर से आय	0	62.5	12.5	12.5	21.9
स्टाक तथा अस्तियों का विक्रय	0	12.5	0	12.5	6.3
नामांतरण बंटवारा	50	25	0	12.5	21.9


स्रोत - ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि

- ☞ केवल ६.४ प्रतिशत ग्रामपंचायतों में रेत से आय होती है वहीं पत्थर से १२.५ प्रतिशत पंचायतों में आय होती है वहीं मुरूम की आय किसी भी पंचायतों में नहीं होती है।
- ☞ व्यवसायिक परिसर से आय २१.६ प्रतिशत पंचायतों में होती है।
- ☞ जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि रेत व पत्थर से राजनांदगांव व बस्तर जिलों की पंचायतों में आय होती है वहीं साप्ताहिक बाजार से आय राजनांदगांव व महासमुंद जिले के सबसे अधिक पंचायतों में देखी गई है।
- ☞ तालाब लीज से आय सबसे अधिक महासमुंद व राजनांदगांव जिल में होती है।

स्पष्टता यह है कि अनिवार्य तथा वैकल्पिक करों के संसाधनों से आय बहुत कम पंचायतों द्वारा प्राप्त की जाती है। पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से कर प्राप्त नहीं करने के कारणों पर चर्चा आगे की गयी है।

३.२.६ वर्ष २०१०-११ की तुलना में वर्ष २०११.१२ में आन्तरिक आय के स्रोतो से आय वृद्धि का प्रतिशत



उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि

- ☞ आन्तरिक आय के स्रोतो से सन २०१०.११ की तुलना में सन २०११.१२ में ६८.३ प्रतिशत अधिक आय राजनांदगांव जिले में प्राप्त की गयी है जो अन्य जिलो की तुलना में बेहतर वृद्धि है। वही महासमुंद जिले में पिछले साल की तुलना सन २०११.१२ में २१.६ प्रतिशत कम राशि प्राप्त की गयी है।
- ☞ २०१०.११ की तुलाना में २०११.१२ में अधिक राशि संकलन कर्ता ग्राम पंचायतो का प्रतिशत राजनांदगांव जिले में अधिकांश जो ८७.५ प्रतिशत है । इन ८७.५ प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा २०१०.११ के तुलना २०११.१२ में अपने स्रोतो से ६८.३ प्रतिशत अधिक आय प्राप्त की है। वही सरगुजा जिले में केवल २५.०० प्रतिशत पंचायते ऐसी है जो पिछले साल से २०११.१२ में ७१.७ प्रतिशत अधिक आय प्राप्त की है।
- ☞ सन २०१०.११ की तुलना में जिन पंचायतों ने अपनी आय में वृद्धि की है वे राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक है वही सबसे कम सरगुजा जिले में है परन्तु आय वृद्धि का अधिक प्रतिशत

महासमुंद जिले में दिखाई देती है। महासमुंद जिले की ३७.५ पंचायतों ने २०१०.११ में कोई राशि प्राप्त नहीं की थी परन्तु उन पंचायतों को २०११.१२ को राशि प्राप्त हुयी है।

स्पष्ट है कि कुल औसतन में राजनांदगांव के अलावा अन्य महासमुंद व सरगुजा जिले में आर्थिक वृद्धि घटती हुयी दिखाई दे रही है परन्तु जिन पंचायतों द्वारा वृद्धि की जा रही है उनके वृद्धि का प्रतिशत बहुत अच्छा है।

३.३ ग्राम पंचायत में करारोपण की प्रक्रिया में करारोपण अधिकारी व सहायकों की भूमिका

अध्ययन के दौरान शासन द्वारा नियुक्त किये गये करारोपण अधिकारी एवं उनके सहायकों की करारोपण की प्रक्रिया में भूमिका को समझने का प्रयास किया गया। भूमिका को समझने के लिये सचिव व सरपंच के साथ साक्षात्कार के साथ ही चर्चा की गयी वही करारोपण अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से भी विस्तृत चर्चा की गयी है। जिनके तथ्य इस प्रकार है।

३.३.१ सचिव के अनुसार करारोपण की प्रक्रिया में प्राप्त सहयोग की स्थिति

तालिका क्र. १६ - करारोपण के लिये ग्राम पंचायत को प्राप्त सहयोग की स्थिति					
	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
करारोपण अधिकारी (जनपद स्तर एवं फ़िल्ड स्तर)	25.0	0.0	12.5	25.0	15.6
जिला स्तर से पंचायत विभाग	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है	50.0	50.0	87.5	25.0	53.1
ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच	25.0	50.0	0.0	50.0	31.3

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि

- कुल ग्राम पंचायतों में से केवल १५.६ प्रतिशत ग्राम पंचायत के सचिव ने कहा है कि करारोपण की प्रक्रिया में आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण सहायक का वास्तविक सहयोग प्राप्त होता है अन्यथा ग्राम पंचायत की योजनाओं की जानकारी, डॉक तैयार करवाने एवं रिपोर्ट मांगने के लिये ही सचिव के साथ उनका सम्पर्क होता है।
- सचिवों द्वारा कहा गया है कि आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण सहायक द्वारा करारोपण करने के लिये बार बार कहा जाता है इस संबंध में जानकारी भी मांगी जाती है इसलिये पिछले २ साल में करारोपण की प्रक्रियाओं ओर प्रभावीत हुयी परन्तु आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण सहायकों को करारोपण के संदर्भ में पंचायत स्तर पर कम समय मिलने के कारण तकनीकी दिक्कतें होती है।
- कर संकलन में ३१.३ प्रतिशत पंचायतों को अपने जनप्रतिनिधि से सहयोग प्राप्त होता है
- वही ५३.१ प्रतिशत पंचायतों में कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है। वहां केवल सचिव द्वारा ही करारोपण एवं संकलन के प्रयास किये जाते है। गंगोली के सरपंच कर वसूली के लिये लोगों को प्रेरित करते ही है साथ ही स्वयं भी पावती काटते है। राजनांदगांव जिले में कहा गया है कि

स्थानीय प्रतिनिधि मतलब सरपंच द्वारा करारोपण व संकलन के लिये लोगो को प्रेरित किया जाता है।

- अधिकांश सरपंचों का कहना है कि आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण सहायकों के दौरे ग्राम पंचायत में बहुत कम होते हैं, उनके द्वारा सहयोग बहुत कम मिलता है।
- पंचायत में करारोपण की प्रक्रिया में सचिव की मुख्य भूमिका होती है परन्तु कुछ पंचायतों में पाया गया है कि सरपंच द्वारा लोगो को समझाने के लिये भी मदद किया जा रहा है। करारोपण अधिकारी द्वारा सचिव को कहा जाता है कि करारोपण करो परन्तु जमीनी स्तर पर लोगो को समझाने के लिये उनका कोई सहयोग नहीं मिलता है। यह भी एक वजह है कि पंचायत स्तर पर करारोपण की स्थिति अच्छी नहीं है।

३.३.२. आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण अधिकारियों के विचार

- उनको पता है, उनकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के कारोपण प्रक्रिया को मजबूत करना है परन्तु जनपद द्वारा सभी योजनाओं की रिपोर्टिंग करने का कार्य दिये जाने के कारण कारारोपण में बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
- उनको अनुसार ग्राम पंचायत में सचिव से तत्काल सम्पर्क नहीं होने के कारण रिपोर्टिंग में दिक्कतें आती हैं।
- उनके अनुसार सचिवों के बीच करारोपण प्रणाली को समझने, दस्तावेजों का संधारण करने की समझ मजबूत नहीं होने के कारण दस्तावेजों का संधारण करवाने में ही समय लगता है।
- आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी करारोपण की प्रक्रिया को मजबूत करना है परन्तु ग्राम पंचायत व जनपद के बीच रिपोर्टिंग व डाक पहुंचाने में अधिक समय लगने के कारण मुख्य कार्य बहुत कम होता है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि शासन द्वारा आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण अधिकारियों की नियुक्ति कारारोपण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिये किया गया है परन्तु उनकी भूमिका इस दिशा में बहुत कम है जिसका मुख्य कारण पाया जाता है कि ग्राम पंचायत व जनपद के बीच रिपोर्टिंग करने में बहुत अधिक समय चला जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आन्तरिक लेखा परिक्षक एवं करारोपण अधिकारियों की भूमिका को स्पष्ट करें और उनकी सेवा केवल आन्तरिक लेखा एवं करारोपण के संदर्भ में ही ली जायें।

३.४ कर संकलन के माध्यम

महत्वपूर्ण यह होता है कि पंचायत किन-किन माध्यमों से अपनी आय को प्राप्त करती है। उन माध्यमों का यहां पर विश्लेषण किया गया है ताकि नये माध्यमों की खोज की जा सके।

- **कोटवार/चपराशि के माध्यम से वसूली**

अध्ययन में देखा गया है कि पंचायत ने नलजल के संचालन के लिये जहां पर आपरेटर की व्यवस्था की है वहां पर उन आपरेटरों द्वारा ही नलजल शुल्क की वसूली की जाती है। आपरेटर उसके लिये घर घर भ्रमण भी करते हैं। दूसरा तरीका यह पाया गया कि जहां पर आपरेटर नियुक्त नहीं है (अर्थात्, नलजल की व्यवस्था नहीं है) ऐसे स्थानों पर कोटवार या पंचायत के चपराशि के माध्यम से वसूली की जाती है।

यह वसूली लगभग वार्षिक होती है जिसमें मकान कर, बीजली कर व अन्य कर शामिल होते हैं जिनको वर्ष में एक बार ही जमा करना होता है परन्तु समुदाय द्वारा शुल्क समय पर जमा नहीं करने के कारण जहां पर चपराशि है वे बार बार वसूली के लिये घर घर घुमते हैं वही जहां चपराशि की व्यवस्था नहीं है वहां पर सचिव द्वारा यह प्रयास किये जाते हैं।

- **सचिव व सरपंच के द्वारा वसूली**

सचिव का कार्य ही होता है कि, शुल्क/कर वसूली के लिये प्रयास करें, उसके लिये रणनीति का निर्माण करें। सचिव स्वयं ही पंचायत स्तर पर मकान कर संकलन के लिये गांव में भ्रमण करते हैं परन्तु यह नियमित नहीं होता है क्योंकि सचिव के पास पंचायत के अन्य कार्यों की व्यस्तता भी रहती है।

अध्ययन में पाया गया है सरपंच द्वारा कर संकलन के लिये प्रयास किये जाते हैं जिसमें लोगो को समझना, प्रोत्साहित करना आदि शामिल है परन्तु यह प्रमाण भी बहुत कम

४ साल पहले नलजल शुल्क संकलन के लिये पास बुक निर्माण किया गया था जो परिवार के पास ही रहता था उसमें संकलन कर्ता अपने हस्ताक्षर के साथ वसूली की स्थिति को दर्ज करता था परन्तु अभी यह अद्यतन नहीं है।

*ग्राम पंचायत
मानपुर*

फीस संग्रहण का पट्टा

कोई भी पंचायत बाजार आदि शुल्क को संग्रहण करने के लिये ठेके पर दिये जाने की व्यवस्था धारा 80 में दी गयी है। ठेका देने से पूर्व सूचना प्रकाशित की जायेगी जहाँ 10 हजार से अधिक राशि की वसूली होती है वह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करना अनिवार्य है।

कर में छूट एवं दण्ड (शक्ति) का प्रावधान

करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा विनिमय अधिनियम 1995

कर अधिरोपित करने की तिथि के 60 दिन समाप्ति पूर्व किये गये भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। इसके लिये पंचायत किसी भी समय संकल्प जारी कर छूट को लागू कर सकती है।

कर विलंब से भुगतान करने पर दण्ड स्वरूप कर अधिरोपित किये जाने के 4 माह पश्चात एवं 7वें माह की समाप्ति तक 10 प्रतिशत दण्ड राशि।

7वें माह की समाप्ति से 10वें माह की समाप्ति तक की अवधि के लिये 25 प्रतिशत दण्ड राशि।

एक वर्ष की पूर्ण समाप्ति पर किये जाने वाले भुगतान पर 30 प्रतिशत एवं इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष के लिये 30 प्रतिशत दण्ड का प्रावधान किया गया है।

है। ग्राम पंचायत गंगोली में पाया गया है कि सरपंच स्वयं ही मकान कर वसूली के लिये पावती लिखते हैं, लोगो को प्रेरित करते हैं।

- **मुनादी**

गांवों में परम्परागत तौर पर सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिये मुनादी का उपयोग किया जाता है। मुनादी करने की जिम्मेदारी विशेषतः कोटवार की होती है। अध्ययन में पाया गया है कि गांव में सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिये मुनादी की जाती है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष पूर्ण के पहले ही गांव में मकान कर, जल कर भरने के लिये बार बार मुनादी की जाती है।

इस मुनादी के माध्यम से जो समुदाय जागरूक होता है, उन समुदाय के लोग पंचायत में स्वयं आकर कर/शुल्क जमा करते हैं।

- **दबाव**

कर/शुल्क संकलन के लिए गांव में पंचायत द्वारा निम्न प्रकार के दबाव दिये जाते हैं

9. जिस व्यक्ति का शुल्क/कर बकाया है उस व्यक्ति को कभी पंचायत से कोई कार्य करना हो ऐसे समय में बिना कर जमा किये पंचायत उनका कार्य नहीं करती है जैसे, शैक्षणिक कार्यों के लिये विभिन्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है जिसके लिये पंचायत द्वारा कर शुल्क भरने के लिये दबाव दिये जाते हैं वही जॉब कार्ड निर्माण करना है तों कर शुल्क जमा करने के लिये कहा जाता है।

- **समुदाय द्वारा स्वयं जमा करना**

यह परिस्थिति बहुत कम देखी गई है कि स्वयं परिवार द्वारा अपने कर की राशि पंचायत में स्वयं जमा करने जाता है। परन्तु अध्ययन के दौरान पाया गया कि कुछ परिवार अपना शुल्क स्वयं भरने के लिये पंचायत में जाते हैं परन्तु यह स्थिति नलजल योजना का शुल्क के संदर्भ में देखी गयी है। मकान कर के संदर्भ में नहीं देखी गयी है।

३.५ कर संकलन में दिक्कते

अध्ययन में स्पष्टता हुई है कि करारोपण की कानूनी जानकारी, इच्छा शक्ति एवं सामुदायिक व्यवस्था में चुनौतियां निहीत होने के कारण पंचायत में सभी तरीकों के करारोपण नहीं हुये है परन्तु अध्ययन में दूसरा पक्ष यह भी देखा गया है कि पंचायतों द्वारा करारोपित कर भी संकलित नहीं कर पा रही है जिसके कारणों को अध्ययन में गहनता से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। जो इस प्रकार है।

- पंचायत द्वारा दी जा रही सेवाओं में गुणवत्ता की कमी

समूह चर्चा से स्पष्ट है कि समुदाय उपयोग के बदले शुल्क देने के लिये तैयार है परन्तु जहा सुविधा की गुणवत्ता खराब है वहा के लोग नियमित कर नहीं देते है जैसे ग्राम पंचायत मानपुर में लोगो को समय पर पानी नहीं मिलता है, पानी की शुद्धता नहीं होती है जिसके कारण नलजल शुल्क लोग नहीं देना चाहते है वही सार्वजनिक नलो में समय पर पानी और स्वच्छता नहीं होने के कारण समुदाय अपनी नाराजगी जाहीर करता है।

दूसरी पंचायत धोरपुर में पाया गया कि लोग पंचायत द्वारा पेयजल के लिये की गयी नलजल की व्यवस्था से सम्पूर्ण रूप से संतुष्ट है। लोगो का कहना है कि “ धोरपुर पंचायत में पिछले १५ साल से समय एवं शुद्ध पेयजल प्राप्त होता है जिसेके कारण गांव में बीमारीयां भी कम होने लगी है, बच्चों को बीमारी नहीं होती है जिसके कारण गांव के लोगा नलजल का शुल्क पंचायत में समय पर जमा करते है।

तीसरा पक्ष यह भी है कि गांव के लोग पंचायत को सुविधा देने वाली संस्था के रूप में देखते है लोगो का स्पष्ट कहना है कि जबतक पंचायत द्वारा नलजल की सुविधा नहीं की जायेगी तब तक मकान कर नहीं देगे उदा: ग्राम पंचायत

केस

ग्रामपंचायत अम्लीडीह के आश्रित ग्राम बरसन टोला में नदी है जिसके माध्यम से रेत रायलटी के २००६ से २०१० तक १.४४ लाख रुपये प्राप्त हुये थे परन्तु गांव के विरोध के कारण इस वर्ष पंचायत ने उस रेत घाट को रायलटी पर नहीं दिया है जिसके मुख्य दो कारण पाये गये है

1. नदी के किनारे मरघट थी जिसकी जमीन नदी के कटाव के कारण कम हो रही थी क्योंकि नदी से रेत निकाली जा रही थी।
2. गांव के मुख्य रास्तो से भारी वाहनो का अवागमन बढ़ा जिसके कारण गांव की मुख्य सड़क खराब हो रही थी।
3. जहां से रेत निकाली जाती है वहां पर पानी की गहराई अधिक हो रही थी
4. बरसन टोला गांव के लोगो का कहना है कि इसकी रायलटी और ज्यादा प्राप्त हो सकती है परन्तु पंचायत स्तर पर यह प्रयास नहीं किये जा रहे है या जो प्राप्त होता है वो दिखाते नहीं है। मतलब पंचायत स्तर पर पारदर्शिता नहीं है।

यही कारण है कि गांव के लोगो ने २०११ में रेत रायलटी बेचते समय पंचायत का विरोध किया। २०११ से इस स्रोत पंचायत को आय प्राप्त नहीं हो रही है।

यहां पर यह प्रयास किये जा सकते है कि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, सड़क की मरम्मत और मरघट के लिये नये स्थान का चयन। नदी में पानी रूकना अच्छी बात है गर्मी के समय जानवरों के लिये उपयोग होता परन्तु इस सब उपायों पर पंचायत द्वारा चर्चा नहीं की गयी, समुदाय को संतुष्ट करने के प्रयास नहीं किये गये परिणामतः पंचायत के आय का एक मुख्य स्रोत बंद हुआ।

गंगोली में लोगो द्वारा कहा गया कि गांव में नलजल की व्यवस्था होने के पश्चात ही मकान कर जमा करेंगे।

स्पष्टता यह है कि जहां पर पंचायत द्वारा दी जा रही सुविधा से लोग संतुष्ट नहीं है वहां पर लोगो द्वारा नियमित शुल्क कर नहीं दिया जा रहा है, या पंचायत द्वारा नलजल की सुविधा नहीं की जाने के कारण मकान कर या अन्य कर लोग नहीं चूका रहे हैं परन्तु वही जिस पंचायत की सेवा से लोग संतुष्ट है उसका नियमित उपयोग ले पा रहे हैं वहां के लोग नियमित रूप से कर/शुल्क जमा कर रहे हैं।

- **लोगो के आदत में नहीं**

जहां पर लोग जागरूक हैं वहां पर उनके आदतों का सवाल निर्माण नहीं होता है वे चाहते हैं कि अच्छी सुविधा के बदले शुल्क दिया जा सकता है परन्तु उसी समुदाय के बीच ऐसे भी परिवार हैं जिनके आदतों में ही नहीं है कि सालाना मकान कर/नलजल के उपयोग का शुल्क पंचायत में नियमित रूप से जमा करें जिसके कारण पंचायत द्वारा मकान कर, बिजली कर, जल कर या अन्य कर संकलन करने के प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु लोग अपने हिस्से की राशि पंचायत में जमा नहीं करते हैं।

- **जान बुझकर नहीं देना**

कर संकलन में लगे हुए पंचायत के चपराशि, कोटवार या नलजल के आपरेटर के अनुभव कहते हैं कि पंचायत के कुछ लोग जानबुझकर कर देना नहीं चाहते हैं। नियमित कर/शुल्क नहीं पटाने वालों में गांव के बड़े, पूर्वीपाति वाले लोग भी शामिल होते हैं इन लोगो को पता है कि शुल्क नियमित रूप से नहीं भरने बकाया बढ़ेगा फिर भी यह लोग अपनी राशि जमा नहीं करते हैं।

- **प्रक्रिया को मजबूत नहीं किया जा रहा है**

अध्ययन में पाया गया है कि पंचायत स्तर पर कर संकलन की प्रक्रियाओं को मजबूत नहीं किया जा रहा है। जिसका मुख्य कारण यह है कि पंचायत की अपनी क्षमता में कमी और शासकीय अन्य विभागों का सहयोग पंचायत को नहीं मिल पाना है। उदा: लहपट्टा पंचायत द्वारा मुरुम से कर लेने के प्रयास किये गये परन्तु जिले के आदेश ने बंद कर दिया। करों में पंचायत द्वारा क्रेडर मालिकों से कर लेने के प्रयास किये गये जिसमें शासन ने मदद नहीं किया, इसी प्रकार ग्राम पंचायत अर्जुनी में मोबाईल टॉवर से कर लेने की बात कही गयी वही पर बिजली विभाग ने कोई सहयोग नहीं किया।

केस

ग्रामीण क्षेत्र और ब्लॉक से २५ किमी. दूरी का मुख्य बाजार कुन्नी ग्राम पंचायत में है जहां पर साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है। कुछ समय पूर्व यहाँ के बाजार की निलामी १ लाख से उपर होती थी परन्तु पिछले कुछ वर्षों से इस बाजार की निलामी केवल ५३००० रु. में हो रही है। इस वर्ष यह बाजार इतने में ही बेचा गया है। यह ठेका गांव का एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जो वर्तमान उप सरपंच के परिवार का है क्योंकि पंचायत के उपसरपंच है जो दबंग है उनके सामने कोई बोलता नहीं है उनके अनुसार ही पंचायत के कार्य किये जाते हैं।

ग्राम पंचायत अर्जुनी

खदानों पर कर

अर्जुनी में करीबन 90 पत्थर खदाने हैं जो गांव की मुख्य बस्ती से 9 से देढ़ किमी. दूरी पर हैं। यह सभी खदाने ८० से 900 फिट तक गहरी चल रही हैं। जिनका कुल क्षेत्र लगभग ४० एकड़ के आसपास हैं। कुछ खदाने बंद अवस्था में खुले में पड़े हैं। यह सभी खदान नीजि किसानों के हैं जो ठेकेदार को एक तो बेचे हैं या खुद उसका संचालन कर रहे हैं।

इस खदान से कर खनीज विभाग संकलन करता है। खनीज विभाग द्वारा ही रायल्टी दी जाती है। कुल प्राप्त हुई रायल्टी से ६० प्रतिशत राशि पंचायत को प्राप्त होती है।

मुख्य दिक्कते...

- पंचायत को नहीं पता है कि उसके क्षेत्र में कितने खदाने हैं और इन खदान मालिक द्वारा खनीज विभाग में कितना पैसा भरा जाता है।
- जो वास्तविक खनन होता है उसको दस्तावेज में सही रूप से नहीं दिखाया जाता है जिसके कारण रायल्टी पर प्रभाव पड़ता है
- खदानों पर पंचायत का कोई नियंत्रण नहीं है जिसके कारण खदान मालिकों द्वारा किये जा रहे खनन का मुल्यांकन पंचायत नहीं कर सकती है।
- खदानों के कारण जल स्रोत नीचे जा रही है।
- खेती भूमि कम हो रही है
- आस पास के मजदूर यहां कार्य करते हैं परन्तु उनकी सुरक्षा की स्थिति पंचायत को नहीं पता है

सरपंच चाहते हैं...

- खदानों की रायल्टी देने में पंचायत शामिल रहें
- खदानों पर पंचायत का नियंत्रण होना चाहिये
- खदान उत्खनन का सही दस्तावेज खदान मालिक द्वारा किया जाना चाहिये
- जो खदाने खुली हैं उसको भर देना चाहिये

• मानव संसाधनों का अभाव

पंचायत में मानवसंसाधन के रूप केवल एक सचिव ही है जिसके द्वारा पंचायत से सम्बन्धित सभी कार्य किये जाते हैं कुछ पंचायतों ने अपना चपराशि रखा है जिन पंचायतों की आमदानी ठिक है या कुछ पंचायतों में नलजल की व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिये आपरेटर रखे गये हैं इसके अलावा पंचायत में मनरेगा के कार्यों के तहत एक रोजगार सहायक कार्य करता है परन्तु वास्तविकता में देखा जाये तो न केवल पंचायत के कार्य बहुत हैं बल्कि पंचायत एवं जनपद के बीच संचार की ऐसी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में सचिव का या सरपंच का समय बहुत जाता है जैसे कोई नया कार्य शुरू करने के पहले अनुबंध, अग्रिम या स्वीकृति के लिये बहुत बार जनपद में जाना पड़ता है इसके साथ ही पंचायत के कार्य भी करने होते हैं। इसमें सचिव की अपनी क्षमता की भी भूमिका होती है। इन

पोड़ी. ग्राम पंचायत में कुल ६ हैण्डपम्प है जिसमें से कुछ न कुछ खराब होते रहता हैं। पिछले साल ४ हैण्ड पम्प खराब हुये थे उनको दुरुस्त करने के लिये गांव के सभी परिवारों द्वारा 900 - 900 रूपये संकलन किये और हैण्ड पम्प मैकेनिक को बुलाकर पम्प को दुरुस्त कराया गया है। इसमें कुल २४०० रूपये खर्चे हुये थे।

व्यस्तताओं के कारण सचिव कर संकलन के लिये स्वयं का पूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है परिणामतः पंचायत में नियमित कर वसूली नहीं होती है।

३.६ कर नहीं लगाने के कारण

अध्ययन में पाया गया है कि २६.१७ प्रतिशत पंचायतों में किसी भी प्रकार का शुल्क/कर प्राप्त नहीं किया जा रहा है साथ ही कोई भी पंचायत ऐसी नहीं पायी गयी है कि जहां पंचायत अधिनियम के अनुसार शतप्रतिशत उपलब्ध स्रोतों से आय प्राप्त करती है। जिसके कारणों को बहुत बारीकी से समूह चर्चा, सरपंच व सचिव के साथ साक्षात्कार के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया जो निम्नानुसार है..

- पंचायत के पास संसाधनों की पहचान करने की क्षमता नहीं

अध्ययन में विशेष रूप से दो मुद्दे पाये गये हैं, एक पंचायत द्वारा कभी आंकलन नहीं किया गया है कि उसके परिक्षेत्र में कितने प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, दूसरा पंचायत को यह नहीं पता है कि पंचायत के कानून के तहत किन किन संसाधनों पर कर संकलन किया जा सकता है परन्तु सरपंच/समुदाय को हमेशा यह पता होता है कि खदान हमारी गांव की सीमा के अंदर है मतलब गांव समुदाय की बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। जिसके कारण कुछ पंचायतों में ग्राम समिति के माध्यम से ही संसाधनों से कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में गांव के अन्य कार्यों को पूर्ण करने के लिये उसका उपयोग किया जाता है परन्तु पंचायत के खाते में उस राशि को जमा नहीं किया जाता है।

जैसे (केस १)

ग्राम पंचायत शिवनी में पहाड़ों के पत्थरों को तोड़कर ठेकेदार द्वारा वहां की स्थानीय सड़क निर्माण के लिये लगभग १५० से १७० ट्रैक्टर के आस पास गिट्टी का उपयोग किया है उसके बदले गांव वालों ने उस ठेकेदार से केवल १ ट्रिप गिट्टी प्राप्त की है जिसका उपयोग गांव के बांध निर्माण कार्यों के लिये किया गया।

इस घटना को अध्ययन के समय बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किया गया जिसमें पाया गया कि सरपंच को पता ही नहीं है कि गिट्टी खदान से पंचायत राशि प्राप्त कर सकती है परन्तु यह खदान गांव की सीमा में होने के कारण उसका उपयोग केवल गांव में ही किया जा सकता है या गांव की बिना अनुमति से बाहरी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए ठेकेदार द्वारा गांव की ही सड़क निर्माण की जा रही थी जिसके कारण उसको गिट्टी का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है उसके बदले उन्होंने मात्र १ ट्रैक्टर गिट्टी प्राप्त की है जिसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिये ही किया गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा

व्यवसायिक कर क्या है किस पर लगाया जा सकता है यह बात पंचायत के बीच स्पष्ट नहीं है जिस कारण पंचायत में इस माध्यम से आय नहीं होती है। उदा: ग्राम पंचायत धोरपुर में राजा के जमीन पर साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है परन्तु पंचायत कर इसलिये नहीं लेती है क्योंकि वह बाजार राजा के नीजि जमीन पर होता है। दूसरा इसी पंचायत में पंचायत की अपनी भूमि नहीं है अधिकांश भूमि राजा के ही अधिन है जहां पर व्यवसायिक परिसर या गुमटी आदि है, ऐसे में पंचायत स्तर पर स्पष्टता नहीं होने से आय नहीं हो सकती है।

- सरपंच की क्षमता एवं समझ ने का स्तर या तरीका

स्पष्ट है कि सरपंच के पास कानूनी जानकारी बहुत कम है और जहां पर अन्य सामुदायिक संगठन मजबूत है ऐसे समय में सरपंच अपने विवेक का उपयोग बहुत कम कर पाते हैं परन्तु अध्ययन में दूसरा पक्ष यह भी देखा गया है कि सरपंच यह समझते हैं कि संसाधन गांव का ही है गांव के ही लोग उसका उपयोग करते हैं इसलिए उनसे कर नहीं लिया जा सकता है।

कुछ पंचायतों में सरपंच जागरूक भी पाये गये हैं जिन्होंने कर लगाने की दिशा में प्रयास किये हैं

ग्राम पंचायत करों की ग्राम सभा अपने क्षेत्र में गीट्टी क्लेशर को लगाये जाने की विरोध में थी। पंचायत भी गीट्टी क्लेशर लगाने की अनुमति देने के पक्ष नहीं थी। परन्तु क्लेशर मालिकों ने जिला स्तर एवं विहित प्राधिकारी द्वारा सरपंच को बाध्य किया गया एवं उसको चेताया गया कि उसके विरुद्ध कर्तव्य निर्वाहन में घोर अपेक्षा किये जाने का मामला दर्ज किया जावेगा। एवं उसके पद से हटाने की कार्यवाही धारा ४० के अन्तर्गत की जायेगी। विहित प्राधिकारी के इस प्रकार के व्यवहार के बाद पंचायत पदाधिकारियों को झुकना पड़ा एवं ग्राम सभा ने मंजूरी दे दी। क्लेशर की स्थापना से अब तक पंचायत को कोई आय नहीं हो रही है बल्कि क्लेशर मालिकों का दबाव पंचायत के उपर बना रहता है। पंचायत द्वारा पर्यावरण शुल्क लगाने के प्रयास किये गये परन्तु खनिज विभाग से भी क्लेशर मालिकों के चलते कोई महत्व नहीं मिला उनके अनुसार बैधानिक रूप से क्लेशर संचालित की जा रही है।

- सचिव की क्षमता एवं समझ ने का स्तर या तरीका

सचिव के पास पंचायत के कुछ दस्तावेजों को समझना, उनको संधारित करना, योजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयास करने के अलावा उपलब्ध संसाधनों से कर वसूलने का कार्य किया जाता है जैसे, तालाबों के लिज से राशि प्राप्त करना, आदि। परन्तु किन संसाधनों पर कर वसूला जा सकता है, इस बात की जानकारी सचिव के पास बहुत कम पायी गयी है। ब्लाक

केस २

अध्ययन दल ने कर से सम्बन्धि ब्लाक से संचार किये जा रहे प्रपत्र एवं निदेशों को सरगुजा व राजनांदगांव की पंचायतों में देखा, उसका अध्ययन किया। उसके बारे में चर्चा की कि उनको प्रपत्रों की समझ है या नहीं है। इस विस्तृत चर्चा में स्पष्ट रूप से पाया गया है कि वास्तविक रूप से सचिवों को प्रपत्र में लिखे गये शब्दों की जानकारी नहीं है।

उदा: प्रपत्र में “वृत्ती कर” वृत्ती का अर्थ सचिव नहीं बाता पाये,

“निजी संडासों की सफाई शुल्क” संडास यह शब्द छत्तीसगढ़ में उपयोग में नहीं है जिसके कारण सचिव इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं।

द्वारा लिखे गये निदेशों के अनुसार कार्य करने प्रयास किये जा रहे हैं, कर संकलन के प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु वास्तविकता यह है उस प्रपत्र की भाषा या उसमें लिखे गये शब्दों के अर्थ की समझ सचिवों के बीच नहीं है साथ ही किन कारणों के लिये किन परिवारों से कर लिया जा सकता है इसकी जानकारी बहुत कम है।

- **सरपंच की इच्छा शक्ति**

अध्ययन में पाया गया है कि सरपंच स्वयं नहीं चाहते हैं कि लोगो से कर संकलित किया जावे जिसके दो कारण पाये गये एक, दूसरा चुनाव जितने की संभावना कम होती है दूसरा गांव के लोग उसके ही रिस्तेदार होते हैं। साथ ही एक धारणा यह भी है कि सरपंच यह महसूस करता है कि गांव के लोगो से कर मागने से गांव के लोग नाराज हो जायेंगे परिणाम स्वरूप सरपंच द्वारा कर संकलन के प्रयास किये जाने के बजाय गांव के सभी परिवारों का कर खुद ही भर दिया जाता है।

उदा: सरगुजा जिले में सरपंच के साथ कर संकलन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा करते समय यह तथ्य सामने आये कि मकान कर कुछ पंचायतों में संकलन नहीं किया जाता है बल्कि सरपंच द्वारा खुद भरा जा रहा है।

- **परम्पराओं का पालन**

अध्ययन के समय कुछ पंचायतों में देखा गया है कि गांव में पहले से कर नहीं लगाया गया है जिसके कारण नया सरपंच कर नहीं लगाना चाहता है। जैसे सरगुजा जिले में ही एक सरपंच ने कहा है कि पूर्व सरपंच द्वारा भी कर नहीं लगाया गया था और पहले से भी नहीं लगा है इसलिए अभी कर लगाना नहीं चाहते हैं।

दूसरा यह भी कारण देखा गया है कि गांव में उपलब्ध संसाधन गांव के समुदाय के हैं इसलिए गांव में गठित अन्य समिति उस पर नियंत्रण करती है परन्तु लोग/गांव पंचायत की व्यवस्था को मूल रूप से नहीं समझने के कारण वे पंचायत को सरकारी संस्थान मानते हैं और सरकार द्वारा निर्मित संसाधनों को पंचायत के संसाधन माना जाता है वही गांव के परम्परागत संसाधनों को गांव के संसाधन माना जाता है जिसके कारण गांव के परम्परागत संसाधनों या विवादों से आय गांव की अन्य समिति करती है या समुदाय स्वयं करके उसको उत्सव के माध्यम से खर्च करती है।

ग्रामपंचायत पोड़ी में समूह चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि गांव में कोई विवाद होता या सामाजिक भेद होता है उसके समझौते के लिये दोनों पक्षों से दण्ड के रूप में पैसे लिये जाते हैं जिनका उपयोग समुदाय को भोजन, शराब या पार्टी के लिये किया जाता है। यही बात राजनांदगांव जिले की भर्रीटोला ग्रामपंचायत में देखा गया है कि गांव में महिला मण्डल का गठन किया गया है जिसके द्वारा गांव में शराब बन्दी की गई है जिसमें यह व्यवस्था की गयी है गांव में शराब बेचने वाले से १५०० रु. तथा शराब पीकर गांव में प्रवेश करने पर ५०० रुपये दण्ड लिया जावेगा। इस प्रकार महिला समूह के पास करीबन १५००० रुपये जमा हुये हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गांव में सामुदायिक स्तर पर दण्ड संकलन किया जाये परन्तु उसको पंचायत के खाते में जमा करते तो उसका गांव का हैण्ड पम्प मरम्मत के लिये उपयोग किया जा सकता था परन्तु यह व्यवस्था पंचायतों में नहीं है परिणाम स्वरूप पंचायत में आय कम होती है।

- **सामुदायिक जागरूकता**

सामुदायिक जागरूकता का अभाव यह एक बहुत बड़ी रुकावट करारोपण की प्रक्रिया में पायी गयी है। समुदाय के बीच जागरूकता की कमी के कारण वे करारोपण के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। गांव में हैण्ड पम्प के खराब होने पर सार्वजनिक चंदे के माध्यम से उसकी मरम्मत की जाती है परन्तु दण्ड से प्राप्त राशि की बचत या पंचायत में जमा नहीं किया जाता है जिससे चंदे एकत्रित करने की स्थिति न आये और हैण्ड पम्प का मरम्मत भी हो जाये परन्तु ऐसा समुदाय के बीच नहीं है। जिसके दो कारण पाये गये हैं एक, समुदाय और पंचायत के बीच के संबंध स्पष्ट नहीं हुये हैं दूसरा, समुदाय के बीच करारोपण पर ऐसी कोई व्यवहारीक प्रक्रिया नहीं चलाई गई है जिसके माध्यम से समुदाय के बीच स्पष्टता हो, समझ निर्माण या उनको प्रेरित कर पाये कि पंचायत द्वारा भी हमारे लिये ही कार्य किये जाते हैं और समुदाय द्वारा भी हमारे लिये ही कार्य किये जाते हैं।

गांव में इससे जुड़ी दूसरी समझ यह भी समाज या समिति समुदाय के नियंत्रण में होती जिसके द्वारा जो चाहे वे कार्य करा सकते हैं परन्तु ग्राम पंचायत पर शासकीय नियंत्रण होने के कारण समुदाय के अनुरूप कार्य करना आसान नहीं है। यहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायत की संरचना एवं उसकी महत्ता पर गांव की स्पष्ट समझ हो, प्रयास यह किये जाने चाहिये कि पंचायत केवल पेंशन बांटने वाली, इंदिरा आवास निर्माण करने वाली या राशन कार्ड बनाने तक ही सीमित न रहे या इस रूप में पंचायत खुद को प्रस्तुत न करे बल्कि हम समय, हर मोड़ पंचायत समुदाय के बीच खड़ी होकर उनकी योजना निर्माण कराये, उसके क्रियान्वयन के लिये सहयोग करें जैसे, खेती किसानों के समय खाद बीज की आवश्यकता का आंकलन करना, उसके उपलब्धता के लिये प्रयास करना, वजह यही है कि करारोपण के लिये समुदाय तैयार नहीं होता है।

- **बिना सेवाओं के शुल्क देने के लिये ग्राम सभा असहमत**

लोगो का कहना है पंचायत से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है पंचायत की योजनाओं का अधिकांश लाभ गरीब परिवार या आदिवासी परिवारों को ही मिलता है फिर सामान्य परिवार द्वारा पंचायत को पैसा/कर क्यों देना चाहिए ? समूह चर्चा के दौरान लोगो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नलजल सुविधा के बदले लोगो से पंचायत शुल्क ले सकती है, गली में प्रकाश की व्यवस्था के बदले प्रकाश कर लिया जा सकता है, आदि।

- **जनपद से कोई आदेश नहीं है**

अध्ययन में गांव में उपलब्ध स्रोत/संसाधनों के नाम तथा उस पर कर लगाने की स्थिति से संबंध में चर्चा हुई है जिसमें जिन स्रोतों पर कर नहीं लगाया गया है उस पर अधिक सरपंच द्वारा कहा जा रहा था कि करारोपण के संबंध में जनपद से कोई आदेश नहीं दिये गये हैं उदा: गांव में मुरुम खदान है परन्तु सरपंच का कहना है कि इस मुरुम खदान पर जनपद से आदेश नहीं होने के कारण कर नहीं लगाया गया है।

- **सुनियोजित योजना निर्माण का अभाव**

पंचायत द्वारा विविध योजना के लिये पंचायत की योजना निर्माण की जाती है परन्तु उसमें वास्तविकता नहीं होती है, व्यवहारिकता नहीं होती है जिसके संपादन से अन्य कार्यों पर प्रभाव होता है उदा: ग्राम पंचायत आमलीडीह में मनरेगा योजना को क्रियान्वित करने के लिये जहां मुरुम खदान की रायल्टी प्राप्त हो सकती है उसी खदान को बांध के रूप में गहरा किया जा रहा है। इस पंचायत में मनरेगा को क्रियान्वित करने की व्यवहारिक योजना निर्माण नहीं किये जाने के कारण पंचायत की आय पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी हो रहा है अन्यथा व्यवहारिक नियोजन के द्वारा भूमि सुधार, कुवां निर्माण, आदि कार्यों की पहचान की जा सकती है।

आमलीडीह ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने के लिये जगह नहीं होने के कारण वे टारबांध को हर साल गहरा करते हैं मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना ही लक्ष्य है इसी कारण पंचायत द्वारा इस बाध की मुरुम की रायल्टी नहीं ली जाती है परन्तु मजदूरों द्वारा खोदा हुआ मुरुम ठेकेदारों द्वारा उठा लिया जाता है।

नयी बात यह भी है कि कुछ पंचायतों में कर लगाया गया था परन्तु उसका संकलन नहीं होने के कारण दूसरे साल में उसके प्रयास ही नहीं किये गये हैं और अब सरपंच का मानना है कि कर प्राप्त नहीं होने के कारण बन्द हो गया है।

केस

संसाधनों की उपलब्धता है परन्तु करारोपण की व्यवस्था का अभाव

बस्तर जिले की ८ विभिन्न पंचायतों में जंगल की उपलब्धता को देखे तो अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी पंचायतों में जलाऊ लकड़ी की उपलब्धता है पंचायत क्षेत्र के आसपास के जंगल से आय हो रही है जिस पर पंचायत/वन विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है वही कुछ पंचायतों में वन उपज संग्रहण का कार्य भी ग्रामीणों द्वारा किया जाता है जिसको संग्रहणकर्ता को सीधा लाभ होता है इसमें पंचायत को कोई भी वित्तीय नियंत्रण नहीं है। इसी प्रकार पंचायतों में पर्याप्त मात्रा में फलदार वृक्ष है जो कि वन एवं राजस्व दोनों तरह की भूमि पर है।


इन फलदार वृक्षों में ईमली, आम, महुआ आदि के साथ साथ बड़ी मात्रा में काजू वृक्ष के प्लाट भी हैं जिनका पूरा रखरखाव पंचायत क्षेत्र के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से किया जाता है जिससे इन समितियों की आय तो है परन्तु इस आय के उपर पंचायतों का किसी भी प्रकार से वित्तीय नियंत्रण नहीं है।

समूह चर्चा में स्पष्ट रूप से समझ में आया कि पंचायत क्षेत्र के सभी फलदार वृक्षों का नियंत्रण वन विभाग या राजस्व विभाग के हाथों में है जहां और वन समितियों के माध्यम से वन विभाग का सीधा नियंत्रण है वही राजस्व विभाग पटवारी के माध्यम से फलदार वृक्षों के उत्पाद पर नियंत्रण रखते हैं एवं हितग्राहियों को चुनने में इनकी सीधी भूमिका होती है।

३.७. पंचायत द्वारा आन्तरिक संसाधनो/स्रोतो से आय बढाने के अवसर एवं संकलन के उपाय

पंचायत द्वारा अपने संसाधनो से आय प्राप्त करने की स्थिति को और बेहतर करने के लिये तरीको पर अध्ययन के दौरान गहनता से प्रयास किये गये है इन प्रयासो में समूह चर्चा के माध्यम से समुदाय के साथ प्रत्यक्ष चर्चा, ग्रामीण सहभागी आंकलन विधि (पी.आर.ए) के माध्यम से पंचायत स्तर पर करारोपण की संभावना।

कर लगाने के संभावनाओं का विश्लेषण के लिये देखा गया कि गांव में कुल कितने संसाधन उपलब्ध है जिनमें से कितने संसाधनो पर कर लगाया गया और समुदाय के अनुसार कितनो पर कर लगाया जा सकता है।



स्रोत - समूह चर्चा से प्राप्त तथ्य

उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि समुदाय द्वारा पहचान किये गये संसाधनो में से ३६.५ प्रतिशत संसाधनो से पंचायत कर प्राप्त कर रही है वही समुदाय के अनुसार ६३.५ प्रतिशत गांव में ऐसे संसाधन मौजूद है जिन पर पंचायत कर प्राप्त कर सकती है। इन अवसरो को जिलेवार देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक संसाधनो पर राजनांदगांव जिले में करारोपण किया गया है इसलिये वहां पर कर लगाने की संभावना कम दिखायी देती है वही बस्तर जिले में केवल १८.३ प्रतिशत संसाधनो पर कर लगाये गये है इसलिए वहां ८१.७ प्रतिशत संसाधनो पर कर लगाने की संभावना दिखाई देती है।

उपरोक्त स्रोत पर समूह चर्चा, विभिन्न स्तरो पर साक्षात्कार के माध्यम से चर्चा हुई जिनके माध्यम से प्राप्त तथ्यो एवं विचारो को निम्न श्रेणी स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्र. १७ - अनिवार्य करों के स्रोत एवं समुदायिक प्रतिक्रियां	
मकान	महासमुंद व बस्तर जिले की पंचायतों में मकान कर, संपत्ति कर, आदि की व्यवस्था लागू करने पर अधिकांश पदाधिकारी सहमत नहीं है वही पंचायतों में लिये गये निर्णय को ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं होने का कारण भी बताते है परन्तु समुदाय के साथ चर्चा में पाया गया है कि पंचायत द्वारा मकान कर लिया जा सकता है।
सार्वजनिक भवन	पंचायतों में कुछ स्थानों पर व्यावसायिक भवन निर्मित किये गये हैं जिनसे पंचायतों द्वारा अनुबंध कर मासिक शुल्क लिया जा रहा है। और ऐसे सार्वजनिक भवन निर्माण करने के अवसर है।
बीजली	<p>प्रकाश कर -धारा ७७ (क)</p> <p>अध्ययन क्षेत्र की ग्राम पंचायत दरभा, झलप, बिरकोनी के साथ साथ अन्य पंचायतों में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था पंचायत द्वारा आंशिक रूप से की गयी है। इन पंचायतों में केवल मुख्य मार्गों पर ही इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है जिससे यहाँ प्रकाश कर वसूल करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु महासमुन्द पंचायत में प्रकाश कर को लिये जाने के लिय राशन जारी करते समय एवं नवीनीकरण के दौरान पंचायत द्वारा राशि संग्रहण की जाती है।</p> <p>समुदाय के अनुसार भी पंचायत में वसूल की गयी राशि विद्युत व्यवस्था के संचालन के लिये पर्याप्त नहीं होती जिससे कई कई दिनों तक विद्युत सप्लाई भी बंद रहती है। इसलिये उक्त पंचायतों ने वार्षिक कर के साथ राशि वसूले जाने की योजना बनायी है।</p> <p>इसमें समुदाय का कहना है गांव में अच्छी प्रकाश की व्यवस्था के माध्यम से कर प्राप्त कर सकती है।</p>
आजीविका/ व्यवसाय कर/ वृत्ति कर	<p>पंचायतों में व्यवसाय कर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो पंचायत क्षेत्र में व्यापार द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं।</p> <p>पंचायतों में देखा गया है कि अधिकांश: पंचायत इस कर को रोपित नहीं कर पायी है। जहां संभावनाएं भी है।</p> <p>कुछ पंचायतों ने व्यवसाय कर लिया है वह भी वार्षिक आय को निर्धारण करने का आधार पंचायतों के पास नहीं है इससे पंचायत द्वारा व्यवसायियों को वर्गीकृत कर शुल्क निर्धारण किया गया है।</p> <p>अधिनियम में दिये गये अधिकतम वार्षिक आय को और वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।</p>
पशु पंजीयन	हर पंचायत में पशुबाजार की व्यवस्था नहीं है परन्तु हर गांवों में नीजि स्तरो पर पशु बेचे जाते है। जहां पशुओं का बाजार लगाया जाता है ऐसे स्थानो पर पशु पंजीयन पंचायत द्वारा किया जाता है

वैकल्पिक करों के स्रोत/संसाधन एवं समुदाय की प्रतिक्रिया

निजी जल कर

- पंचायतों में जलकर एवं जल शुल्क में अंतर नहीं देखा गया है अधिकांश पंचायतों में जल शुल्क को नलजल योजना में हितग्राहियों से ही लिया जाता है। जिसे पंचायत में जल कर के रूप में संधारित किया गया है।
- ३२ पंचायत में से १० पंचायतों में जल शुल्क के लिये नलजल योजना की व्यवस्था है परन्तु यहां नेगानार पंचायत में पंचायत ने नलजल योजना को पूर्णरूप से समुदाय के हाथों में सौंप दिया है इसमें नलजल योजना के हितग्राहियों द्वारा स्वयं राशि संग्रहित कर योजना का संचालन किया जाता है पंचायत द्वारा यहां इसका खर्च वहन नहीं करती ना ही इसमें से कोई अंश लेती है।
- यहां तक पंचायत के दस्तावेज में अब नलजल योजना पर कोई भी काम नहीं दिखाई देता है।
- अध्ययन के दौरान सभी अधिकांश पंचायतों के पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि नलजल योजना के संचालन में प्रत्येक माह पंचायत को कितने खर्च करना पड़ सकता है इसका अनुमान नहीं होता है अचानक मोटर/ पाईप/बिजली आदि के खराबी होने पर आय से अधिक व्यय पंचायत द्वारा किया जाता है।
- नलजल योजना का संचालन पंचायतों के लिये चुनौती के रूप में है वही समुदाय के लोग इस योजना के संचालन में प्रबंधन की कमी को दोषी मानते हैं।
- नलजल योजना में राशि के संग्रहण के लिये पंचायतों में विभिन्न तरीकों को अपनाया है जहां २५ प्रतिशत पंचायतों में सरपंच/पंच राशि की वसूली करते हैं वही अधिकांश पंचायतों में पम्पमेन ही नलजल की वसूली करता है।
- पंचायत सचिव भी हितग्राहियों को पंचायत से किसी प्रकार के प्रमाण पत्र राशन नवीनीकरण आदि की जरूरत होने पर शक्ति से वसूली करते हैं।
- कुछ पंचायतों में समुदाय के लोग इन संसाधनों पर शुल्क नहीं देना चाहते वसूली के दौरान बहाने बनाते हैं या सुविधा ठीक से नहीं देने का दोष भी पंचायत के उपर लगाया जाता है।
- पंचायतों की ओर से प्रतिनिधियों ने भी माना की कुछ हितग्राहियों को सही सेवा नहीं मिल पाती है। परन्तु जिन लोगों ने सुविधा का पूरा लाभ लिया वह भी राशी देना नहीं चाहते हैं। इस लिये पंचायत को दबाव बनाना पड़ता है।
- 5 पंचायतों (31 प्रतिशत) पंचायतों में समूह चर्चा के दौरान नलजल योजना की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता बतलाई है। चर्चा के दौरान बहुत से हितग्राहियों ने सभी घरों तक नलजल के माध्यम से पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं होने की जानकारी भी दी है।
- 3 पंचायतों (37.5 प्रतिशत) पंचायतों में नलजल योजना संचालित नहीं है परन्तु इनमें से 50 प्रतिशत पंचायतें योजना लागू होने पर जल कर देने को तैयार हैं वहीं शेष पंचायतों का क्षेत्रफल अधिक होने पर नलजल योजना की लागत अधिक आने की जानकारी दी गयी।
- जो पंचायत राशि वसूली नहीं कर पाती वह अन्य संसाधनों से इस योजना को संचालित करने में राशि व्यय करते हैं।
- समूह चर्चा के दौरान ग्रामीणों द्वारा बताया गया की पंचायत की आय हेतु शुल्क/कर/टेक्स आदि लिये जाने की व्यवस्था को उनको सही से ज्ञान नहीं है।
- ग्रामीणों को पंचायत में शासन से आने वाली राशी व उसके उपयोग की भी जानकारी नहीं है इसलिये पंचायत में प्राप्त होने वाली सभी सुविधा को अधिकांश ग्रामीण निःशुल्क चाहते हैं।
- समूह चर्चा के दौरान ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया की उन्हें पंचायत के आय एवं व्यय की जानकारी नहीं होती है। अधिकांश ग्रामीण यह जानते हैं कि पंचायतों के पास पर्याप्त राशी होती है जिससे वह कई प्रकार के

वैकल्पिक करों के स्रोत/संसाधन एवं समुदाय की प्रतिक्रिया

निर्माण कार्य कराते है उसके बाद भी गांव के गरीब लोगों से छोटे-छोटे शुल्क मांगने की बात क्यों करते है।

- बस्तर क्षेत्र में अधिकांश पंचायतों में राजस्व लगान भी पंचायत के सरपंच को देना पड़ता है। क्योंकि सरपंच द्वारा चुनाव के समय इस प्रकार की घोषणा भी की जाती है।
- अध्ययन क्षेत्र में मात्र 3 (9.3 प्रतिशत) पंचायत में जल कर रोपित किया गया है। अधिकांश पंचायतें जल शुल्क ही लेती है जो कि व्यक्तिगत नल कनेक्शन लिये जाने पर ही देय होता है। ग्राम पंचायत पिरदा जैसे कुछ ही पंचायतें हैं जो शतप्रतिशत परिवारों को पीने का पानी नलजल एवं सार्वजनिक जल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध करा कर रही है यहाँ प्रतिवर्ष 20 रुपये प्रति परिवार जल कर रोपित किया गया है जिसकी वसूली पंचायतों के अन्य करों के साथ साथ की जाती है।

सार्वजनिक जल कर

सार्वजनिक जल पर जल कर – (धारा 77-2)

समुदाय का कहना है कि पंचायत पेयजल की अच्छी व्यवस्था के माध्यम से कर ले सकती है परन्तु पेयजल की सुविधा हर वार्ड में होना आवश्यक है।

बाहरी वाहनो पर कर

मुख्य रास्तो पर बसी पंचायतो में कहा गया है कि गांव में बाहरी वाहनो के कारण रोड खराब होते है, धूल उड़ती है जिसका प्रभाव गांव के जनजीवन पर होता है इसलिए बाहर से आये भारी वाहनो से कुछ रूपया प्राप्त करना चाहिये ताकि उस पैसे का पेड़ लगाने मुख्य रास्तो की सफाई करने में मदद होगी परन्तु मोटर यानो पर धारा ७७ की अनुसार पंचायत द्वारा कर नहीं लगाये जा सकते है।

मेला

पंचायत के अलावा कोई व्यक्ति, संस्था बाजार/मेला की स्थापना नहीं कर सकती परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर किसी भी बाजार/मेले को सार्वजनिक घोषित कर सकती है जो कि जनपद पंचायत में निहित होगा।

ग्राम पंचायत में सरपंच/उपसरपंच या पंच को बाजार अधीक्षक के रूप में घोषित कर सकती है।

अध्ययन के दौरान सभी बाजार पंचायत के नियंत्रण में है। धारा 80 के अंतर्गत ठेके में वसूली के लिये दिये गये हैं।

यहाँ सायकल/वाहन आदि के स्टैण्ड पर भी शुल्क निर्धारण किया जा सकता है।

मोबाईल टॉवर

पंचायत के क्षेत्र में मोबाईल टॉवर लगाये गये है उसकी एनओसी देते समय पंचायत को कुछ राशि प्राप्त हो रही है परन्तु उसका मासिक या सालाना कोई व्यवसायिक कर पंचायत को प्राप्त नहीं होता है

समूह चर्चा में लोगो ने कहा है कि इस स्रोत से पंचायत को आय हो सकती है क्योंकि बड़ी पंचायत में २ से ३ कंपनीयों के टॉवर लगाये गये है। **धोरपुर ग्राम पंचायत में मोबाईल टॉवर से केवल २०० रुपये मासिक कर प्राप्त किया जाता है। यहां वर्तमान स्थिति के अनुसार टॉवर पर टैक्स बढ़ाने की संभावना है।**

सब्जी मण्डी या धान मण्डी

सब्जी मण्डी या धान मण्डी सभी पंचायतो में नहीं है परन्तु लगभग सभी पंचायतो से धान मण्डी में जाता है वही कुछ पंचायतो से सब्जी भी जाती है। जिन पंचायतो में मण्डी संचालित की जाती है उनका कहना है कि उनको उससे व्यवसायिक कर चाहिये वही जिन गावो से धान जाता है जिनके द्वारा मण्डी कर लेती है उस हिस्से का कुछ हिस्सा पंचायत को मिलना चाहिये।

वैकल्पिक करों के स्रोत/संसाधन एवं समुदाय की प्रतिक्रिया

आयात शुल्क

अजुर्नी या मुख्य बाजार वाली बड़ी पंचायतों का कहना है कि गांव में जो भी सामान बिक्री के लिये आता है उस पर टैक्स लगाना चाहिये, खासकर जो लोग बाजार में बैठकर नहीं बेचते हैं या जिनसे व्यवसायिक रूप से कोई भी माध्यमों से कर नहीं लगाया गया है ऐसे फेरीवाले तथा अन्य।

तालाब

तालाब में मछली पालन पर शुल्क लिया जा रहा है वही कुछ पंचायतों में वर्ष भर पानी नहीं रहती तो कुछ पंचायतों में ग्रामीण लोग स्वयं मछली को पकड़कर सामूहिक रूप से उपभोग के लिये उपयोग करते हैं।

समूह चर्चा के दौरान ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि पंचायतों में पंचायत की आय वृद्धि हेतु व्यवसायिक तौर पर मछलीपालन के लिये अधिकांश बड़े तालाब लीज पर दे दिये गये हैं परन्तु यह तालाब मत्स्य विभाग की देखरेख में मात्र मछुआ समितियों को ही प्रदान किये जाने की बाध्यता के चलते कम आय में ही पंचायतों को संतोष करना पड़ रहा है। जबकि बाजार में खुली बोली लगाये जाने की व्यवस्था हो तो यह तालाब पंचायतों को कई गुना ज्यादा आय प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में इनकी आय से इन तालाबों का संधारण भी नहीं किया जा सकता। वहीं छोटे तालाबों में मत्स्य विभाग के साथ साथ मछुआ समितियों का भी रुझान नहीं होने से गांव के स्थानीय लोगों/समूह को यह तालाब प्रदान किये जा रहे हैं।

पंचायतों में मछली उत्पादन के लिये अनुबंध को मत्स्य विभाग तैयार करता है परन्तु अनुबंध पंचायत/जनपद पंचायतों को करना होता है।

ईट भट्टा

लभगभ सभी स्थानों पर निजी या व्यवसायिक रूप से ईट निर्माण का कार्य किया जाता है जिससे समुदाय को लगता है कि एक सीमा के बाहर ईट निर्माण करने वाले व्यक्ति पर कर लगाना चाहिये फिर वे निजी उपयोग के लिये क्यों न कर रहे हों।

रेत

महासमुंद एवं बस्तर जिलों में २ पंचायत द्वारा रेत रायल्टी खनिज विभाग से लिया गया है जिसकी आमदनी सरपंच द्वारा रखी जाती है। पंचायत में वर्तमान स्थिति में इसका हिसाब देखने को वही मिला परन्तु पंचायत स्तर पर सर्व विदित है कि पंचायत द्वारा रेत पर टैक्स लिया जा रहा है।

रेत के दोहन के लिये विभिन्न पंचायतों से सुझाव आये की पंचायत को रेत निकासी के लिये खदानों में आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए जिसमें निर्धारित खदानों तक रेम्प एवं सड़क निर्माण एवं मरम्मत वाहन पार्किंग का स्थल तथा संभव हो तो रेत निकासी के लिये आधुनिक यंत्रों की उपलब्धता जिसके पर्याप्त मात्र में रेत के दोहन से पंचायतों की आय में वृद्धि की जा सके।

पत्थर

पंचायतों में पत्थर की खदाने खनिज विभाग से स्वीकृत की गई है जिसकी रायल्टी पंचायतों में खनिज विभाग द्वारा भेजी जाती है परन्तु इन राशी की निरंतरता एवं सुनिश्चितता की पंचायतों को जानकारी नहीं है। जिसके कारण लोग चाहते हैं कि इस संसाधन की राशि प्रत्यक्ष रूप से पंचायत में ही प्राप्त हो

पंचायतों में राशि प्राप्त होने पर ही पंचायत बता पाती है की उन्हें इस मद में कितनी राशी प्राप्त हुई यही पहले से पंचायतों में तय नहीं होता है।

खदानों से पंचायत क्षेत्र में किया जा रहा दोहन भी पंचायतों की जानकारी में नहीं होता की खनिज ठेकेदार कितनी मात्रा में कितने क्षेत्र से कब कब खनिज का दोहन करेंगे। इससे पंचायत का नियंत्रण इस क्षेत्र में बहुत कम है मात्रा खनिज क्षेत्रों की अनुशांसा करना एवं प्राप्त धन राशि का उपयोग करने की ही पंचायत को जानकारी होती है।

वैकल्पिक करों के स्रोत/संसाधन एवं समुदाय की प्रतिक्रिया

पंचायत यह नहीं जानती की खनिज ठेकेदार को पंचायत क्षेत्र से कितने राशी की खनिज प्राप्त करना है। खनिज ठेकेदार मनमाने स्तर से खनिज को दोहन करते हैं। एवं अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिये खनिज विभाग से सम्पर्क करते हैं ना की पंचायत के पास इससे पंचायत का खनिज सम्पदाओं पर कोई भाग नहीं। समुदाय तथा पंचायतो का कहना है ऐसे खदानों का हिसाब किताब तथा निगरानी करने का अधिकार पंचायतो के पास हो ताकि पंचायत क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी हो।

मुख्य खदान

गौण खनिज अधिनियम 53/27 डी के अनुसार पंचायत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी गौण खनिज के अनाधिकृत उत्खनन तथा परिवहन को रोकने के लिये शक्ति दी गई है। यहाँ गौण खनिज है पर उसके उत्पाद को अभिग्रहित करने के साथ साथ इस्तेमाल में लाये गये औजार एवं वाहन को भी अभिग्रहित किया जा सकता है। इसके लिये गौण खनिज 54 के अंतर्गत गौण खनिज अपराध निवारण भी दिया जा सकता है।

गांवों में छोटे माटे मुख्य खदान है जिनका उपयोग नीजि तथा सार्वजनिक कार्यों के लिये किया जाता है समुदाय कहता है कि गांव में मुख्य खदान है परन्तु पारिवारीक उपयोग के लिये कर नहीं लगायेंगे परन्तु सड़क निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा उपयोग किया जा रहा होगा ऐसे स्थिति में कर लेना चाहिये।

गौठान

राजनांदगांव जिले में गौठान की परम्परा है जिसमें अवसर यह है कि गांव में गौठान का समतलिकर किया जावे जिससे पंचायत को गोबर के रूप में खाद मिलेगा उसके बिक्रि तथा जानवरो को रूकने के लिये अच्छी जगह देने के बदले किसानो/मालिको से कुछ पैसे भी लिये जा सकते है।

चारागाह

धारा 77 ग्राम पंचायत में निहित चारागाहों पर पशुओं के चरने के लिये शुल्क लिये जाने का प्रावधान है परन्तु कहीं भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। समुदाय का कहना है कि गांव में चारागाह की बहुत कम जमीन बची है चारागाह विकसित नहीं है इसलिए उसका मानना है कि सर्वप्रथम चारागाह की जमीन पर चारागाह का विकास करना चाहिये फिर कर लगाया जा सकता है। गांवों में इसकी संभावना अधिक इसलिए पायी जाती है क्योंकि किसान लोग अधिक है जानवरो की संख्या अधिक जिसके कारण दोनो फायदे है कि पंचायत को आय होगी वही किसानो को कम मूल्य मे चारा उपलब्ध होगा।

व्यवसायिक भवन/व्यवसायिक परिसर

अधिकांश पंचायतो में अच्छे बाजार है, समुदाय यह चाहता है कि गांव स्तर पर दैनिक दिनचर्या का सामान मिले, दूसरी और गांव के युवक को रोजगार मिले। इस परिप्रेक्ष्य में अधिकांश पंचायतो में अपनी जमीन है जहां व्यवसायिक परिसर निर्माण किया जा सकता है जहां से पंचायत को आय होगी।

सामुदायिक भवन, रंगमंच, मंगलभवन

किसी भी सार्वजनिक स्थायी संरचना या उसके आगे के निकले किसी भी भाग पर अस्थायी रूप से उपयोग करने पर शुल्क निर्धारण किया जा सकता है धारा 80 के अंतर्गत इसे ठेके पर भी दिया जा सकता है।

समुदाय का कहना है कि गांव में सामुदायिक भवन, रंगमंच व मंगल भवन निर्माण किये गये है उनके देखभाल की जिम्मेदारी पंचायत की है उसका उपयोग स्कूल, महिला मण्डल तथा अन्य लोग भी करते है यदि उपयोगकर्ता से कुछ राशि प्राप्त करने से कुछ इन भवनो का रखरखाव करने के लिये मदद होगी साथ ही उपयोग की गुणवत्ता बढ़ेगी।

सार्वजनिक शौचालय

बड़ी पंचायतो में बाजार के स्थान तथा बस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण किये गये है परन्तु उसकी सफाई नहीं होने के कारण उपयोग नहीं होता है जिसमें समूह चर्चा में लोगो ने कहा है कि सुलभ शौचालय जैसा ही उसका विकास करना चाहिये, पंचायत द्वारा शौचालय में सफाई व जल की व्यवस्था करना चाहिये उसके बदले वो कुछ शुल्क ले सकता

वैकल्पिक करों के स्रोत/संसाधन एवं समुदाय की प्रतिक्रिया

<p>है साथ ही लोगो को सुविधा होगी और शौचालय का उपयोग भी होगा।</p>
<p>बस स्टैंड/प्रतिक्षालय बहुत कम पंचायतों में बस स्टैंड है, प्रतिक्षालय निर्माण किया गया है। जहां बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, बस रुकती है ऐसे स्थानों की सफाई करने के लिये पंचायत के पास कोई संसाधन नहीं है ऐसे समय में पंचायत चाहती है कि बस मालिक या परिवहन विभाग द्वारा कुछ राशि बस स्टैंड का रखरखाव तथा सफाई के लिये जारी करे।</p>
<p>दारुभट्टी समूह में शामिल महिलाओं का कहना है कि गांव में दारुभट्टी है। जहां से गांव के ही लोग दारु खरीदी करते हैं उसका प्रभाव उनके आर्थिक स्थिति पर होता है परन्तु उसके बदले पंचायत को कुछ नहीं मिलता है। पंचायत से कहा जाता है कि उनकी पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय करने के कारण उनको व्यवसायिक कर का कुछ हिस्सा मिलना चाहिये।</p>
<p>कांजी हाउस फसलों की सुरक्षा हेतु अधिकांश पंचायतों में कांजीहाउस की स्थापना पंचायत द्वारा की गई है। इन कांजीहाउस का देखरेख का कार्य पंचायत के कर्मचारी/ठेके में भी दिया गया है। कांजीहाउस से लिये गये शुल्क को पंचायत द्वारा निर्धारण किया गया है जिसको पशुओं के स्वामी से फसल नुकसान करने के दण्ड स्वरूप वसूला जाता है।</p>
<p>घुरवा किसानों द्वारा गांव के बाहर जानवरो का गोबर खाद रखने के लिये घुरवा निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा पंचायत सालाना टैक्स ले सकती है।</p>
<p>खलीहान फसल मिंजाई के लिये किसानों द्वारा सार्वजनिक जगह का उपयोग किया जाता है उस उपयोग के बदले पंचायत द्वारा निर्धारित राशि ली जा सकती है।</p>
<p>फल दार वृक्ष पंचायत के पास यह अवसर है कि खाली जमीन पर फलदार वृक्ष लगाये और उसके द्वारा कर प्राप्त करे। अधिकांश पंचायतों में पाया गया है कि फल के वृक्ष, आम के वृक्ष सार्वजनिक स्थान पर है जिनके उपयोग से कर ले सकती है, प्राप्त राशि से पंचायत उन वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिये।</p>
<p>अवैध कब्जा पंचायत का कहना है कि समुदाय द्वारा अवैध कब्जा बहुत किया जाता है उस कब्जे पर दण्ड या कर लगाने से पंचायत को आय होगी वही कब्जा करने की स्थिति कम होगी।</p>
<p>सफाई कर अधिकांश पंचायतों में सफाई कर नहीं लिया जाता है परन्तु समुदाय का कहना है पंचायत द्वारा गांव में स्वच्छता तथा सफाई सुनिश्चित कर सकती है जिसका कर लोग देंगे परन्तु यह सफाई नियमित एवं सभी सार्वजनिक स्थानों पर करना आवश्यक है।</p>
<p>सम्पत्ति कर मकान कर अनिवार्य तो है ही परन्तु मकान कर के अलावा ऐसी सम्पत्ति या खाली जगह जिसका उपयोग स्टोर कार्यों के लिये किया जाता है जैसे पैरा रखने की जगह अन्य जिसको हम कोठार भी कहते हैं।</p>
<p>खेती पर किसानों के लिए बीजली एनओसी गांव में बोर की संख्या बढ रही है कुछ शासन के अनुदान है कुछ निजी राशि से है परन्तु उनकी जानकारी पंचायत में नहीं होते हैं साथ ही खेती में जो बोर लगाया जाता है उससे जल स्तर पर प्रभाव होता है इसलिए आवश्यक है कि पंचायत उसकी एनओसी देने के लिये कुछ शुल्क ले साथ ही उसके उपयोग के सालाना कर लगाये।</p>
<p>व्यवसायिक एनओसी गांव नये दूकान, नये व्यवसाय लगाये जाते हैं उनको अनुमति देते समय कुछ राशि प्राप्त की जा सकती है।</p>
<p>प्रमाण पत्र प्रमाण पत्रों से शुल्क प्राप्त करने के लिये शासन के निर्देश दिये गये हैं परन्तु वो पंचायत द्वारा अमल बहुत कम किया जा रहा है।</p>

कर संकलन के तरिके उपाय

- **कर मोहरील/कर संकलनकर्ता की व्यवस्था**
पंचायत स्तर पर कर संकलन के लिये एक जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है जिसेके पास केवल कर वसूलने का कार्य हों।
- **पंचायत प्रतिनिधि की उनके वार्ड में सक्रियता**
पंचायत प्रतिनिधि की सक्रियता से उनके वार्ड के लोगो को जागरूक किया जा सकता है। वार्ड पंच द्वारा उनके वार्ड में बकाया दारो को मोटीवेट करने के लिये मदद ली जा सकती है।
- **महिला समूह के माध्यम से वसूली**
गांव में अच्छे अनुभव है कि महिला समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन का कार्य किया जा रहा है वही महिला समूह द्वारा गांव में कर वसूली भी की जा सकती है। अध्ययन में पाया गया है कि पंचायत की तुलना में गांव की समिति, समुदाय अधिक शक्षम है उनके द्वारा ही गांव में हुये विवादो का दण्ड वसूला जाता है ऐसे में सशक्त महिला समूह के साथ अनुबंध/शर्तो के माध्यम से कर वसूला जा सकता है या इस प्रकार की नयी व्यवस्था निर्माण की जा सकती है।
- **नियमित नही पटाने पर आगामी बील में 90 प्रतिशत दण्ड**
अध्ययन के अनुसार कुछ लोग स्वयं चाहते है कि जिस परिवार द्वारा समय पर कर नही जमा किया जाता है उस परिवार से आगामी वर्ष, माह या बील में कर से वसूली जा रही राशि की 90 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दण्ड के रूप में वसूला जाना चाहियें।
- **बील में अब तक के बकाये की स्पष्ट जानकारी दर्ज**
पंचायत द्वारा कर वसूलने के लिये दिये जा रही पावती में यह स्पष्टता करना आवश्यक है कि पिछला बकाया क्या था, वर्तमान की कर राशि क्या है और कुल राशि क्या है, ताकि लोगो के समझमें बकाया राशि की स्पष्टता हों।
- **परिवार स्तर पर कार्ड की व्यवस्था**
मानपुर ग्राम पंचायत में पाया गया है कि ५ से ६ साल पहले नलजल शुल्क संकलन की जानकारी दर्ज कराने के लिये पंचायत द्वारा पासबुक तैयार किया गया था जिसमें कर वसूल कर्ता द्वारा पास बुक में जानकारी दर्ज की जाती थी। यह पासबुक परिवार के पास ही रखा जाता था। समुदाय के अनुसार इसके फायदे यह थे कि परिवार को पूर्ण माह में पता रहता था कि इस माह में नलजल शुल्क नही भरा गया है और परिवार द्वारा माह के आखरी तक भरा जाता था परन्तु धीरे-धीरे पंचायत द्वारा नियुक्त नलजल आपरेटर घर-घर जाना बंद किया, कुछ समय जाता भी था परन्तु पासबुक में जानकारी दर्ज नही करता था जिसके कारण धीरे-धीरे इस व्यवस्था का अंत हो गया। दूबारा इस प्रकार के प्रयास किये जा सकते है।

- पंचायत स्तर पर दस्तावेजों का रखरखाव और उसे ग्राम सभा में सार्वजनिक करना
समुदाय इस बात को स्वीकार करता है कि सुविधा के बदले कर वसूला जा सकता परन्तु वसूले हुये पैसे का उपयोग एवं हिसाब किताब भी लोग चाहते हैं जिसमें हम बरसनटोला में रेत की बंद हुयी रायल्टी को उदा: के रूप में ले सकते हैं। अतः यह आवश्यकता हो जाती है कि पंचायत को अपने सभी दस्तावेजों को नियमित रूप से संधारित करे और ग्राम सभा में लोगों की जानकारी के लिये सार्वजनिक करें।

३.८ पंचायत द्वारा किये गये कर सकलन के किये गये नये प्रयासों के परिणाम

अध्ययन में कारोपन की स्थिति को दो तरीकों से विश्लेषित करने के प्रयास किये गये जिसमें एक, पंचायत में किन संसाधनों से आय होती है, दूसरा करारोपण के लिये पंचायत द्वारा क्या प्रयास किया गया है ? जिनका आंकलन किया गया है। यहां पर पंचायत द्वारा करारोपण के लिये किये गये प्रयास एवं उनके परिणामों की समीक्षा की गयी है। और यह समीक्षा वास्तविक केस के आधार पर स्पष्ट की गयी है।

केस १

ग्राम पंचायत मानपुर जिला राजनांदगांव - वाहनों पर कर लगाने का प्रयास

मानपुर यह ग्राम पंचायत अन्तर्राज्यीय राजमार्ग पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग से बहुसंख्य में भारी वाहनों का अवागमन होता है। जिसमें मालवाहक, यात्रि बस के साथ ही नीजि वाहन भी है।

सरपंच के अनुसार, वाहनों से इस गांव का वातावरण खराब होता है क्योंकि गांव में रास्ते का धूल खेलने लगता है और रास्ते भी खराब होते हैं। जिसके कारण नवनिर्वाचित युवा सरपंच ने ग्राम पंचायत की बैठक में तय किया कि परिवहन कर लिया जाना चाहिये ताकि उसके पैसों से गांव में विकास कार्यों के साथ पेड़ भी लगाये जा सकें। इस विचार से इस योजना को ग्राम सभा में अनुमोदन भी किया गया।

इस योजना के अनुसार मुख्य रास्ते से चलने वाले सभी वाहनों पर प्रति वाहन १०/- के रूप में कर लगाया गया था यह कर सात दिन तक संकलन कर पाये परंतु बस मालिक और कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किये जाने पर यह बंद करना पड़ा

लोगो ने यह कहकर बंद करवाया कि पंचायत अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि वे वाहनों से टैक्स ले। इसके बाद सरपंच के अनुसार उसने भी कानून पढ़ने का प्रयास किया परन्तु उसको समझ में नहीं आने पर और लोगो ने मना करने के बाद यह बंद किया गया।

केस २

ग्राम पंचायत लहपट्टरा जिला सरगुजा

लहपट्टरा ग्राम पंचायत में मुरुम की खदान है जहां से टेकेदार द्वारा मुक्त में ही मुरुम उपयोग किया है, पंचायत द्वारा यह प्रयास किया गया कि प्रति टेक्टर २० रु टैक्स लिया जाये उसके लिये पंचायत ने मुरुम खदान की मुख्य सड़क पर नाका लगाया था परन्तु किंतु जिले से आदेश देकर इसे हटा दिया गया

केस ३ जिला बस्तर

बस्तर की एक पंचायत में बाजार एवं जलकर पंचायत द्वारा लेने का प्रयास किया गया गांव वालों द्वारा नहीं देने के कारण ग्राम विकास समिति को सुपुर्द कर दिया गया

ग्राम पंचायत अर्जुनी, जिला राजनांदगांव - मोबाईल टॉवर पर व्यवसायिक कर -

ग्राम पंचायत अर्जुनी में ३ मोबाईल टॉवर हैं जिनकी स्थापना के लिये पंचायत ने मोबाईल कम्पनीयों को एनओसी दी है। एनओसी देते समय उसमें लिखा था कि १५ दिन के अन्दर १५००० रुपये पंचायत को कंपनी देगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा नहीं होने पर बिजली विभाग को बिजली कनेक्शन के समय टॉवर को बिजली कनेक्शन नहीं देने का अनुरोध किया जिसके लिये बिजली विभाग को पंचायत द्वारा पत्र भी लिखा गया परन्तु बिजली विभाग ने पंचायत के पत्र का कोई महत्व नहीं है यह बताते हुये टॉवर को बिजली दी। एनओसी के अनुसार टॉवर मालिक (कंपनी) द्वारा अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं किये जा रहे हैं। यह पत्र लिखने के लिये वकील से सलाह ली गयी थी। अब दूबारा मोबाईल कंपनी पर कार्यवाही करने के लिये वकील के साथ मिलकर नोटीस भेजने की तैयारी में पंचायत है

३.६ ग्राम पंचायत में वित्तीय अंतरण

कार्यक्रम/नीतियां या योजना क्रियान्वयन के लिये वित्तीय संसाधनों का अंतरण नियमित रूप से आवश्यक होता है विशेषतः जहां लोगो के विकास के लिये नीतियां निर्माण एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। पंचायत पर दोहेरी जिम्मेदारी है एक स्वयं की नीतिया निर्माण, क्रियान्वयन और दूसरी राज्य, केंद्र सरकारी की योजनाओं का क्रियान्वयन करना इयलिये आवश्यक यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पंचायत को नियमित रूपसे बजट का अंतरण हो।

राशि प्राप्त होने में विलंब एवं उसके परिणाम - ग्राम पंचायत अर्जुनी

बीआरजीएफ के अन्तर्गत मानवासंसाधन भवन का निर्माण किया गया है इस भवन की लागत १.५० लाख है। भवन पूर्ण हुये ६ माह हो गये है परन्तु दूसरी किस्त १ लाख रूपये अभी भी प्राप्त नहीं हुये है।

ऐसा होने पर पंचायत स्तर पर एक मद का पैसा दूसरे मद में खर्च किया जाता है। या पंचायत के खाते से लगाया जाता है। जिस पंचायत में यह अवसर नहीं होते है वहां पर भवन अभी भी अधुरा है उदा: सिंघारपूर पंचायत के अन्य मदों में फण्ड नहीं होने के कारण भवन अधुरा ही है।

यहां पर पंचायत में बजट अंतर का तरीका, उसमें मौजूदा दिक्कतों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है ताकि बजट अंतरण की नयी रणनीति का निर्माण किया जा सके।

अंतरण के तरीको को समझने के लिये अध्ययन में ४-५ योजनाओं को आधार के रूप में लिया गया है ताकि बजट अंतरण की प्रक्रिया को गहराई से समझा जा सके

स्त्रोत	सचिव की प्रतिक्रियां	विशेष दिक्कते
वित्त आयोग	सरगुजा जिले के सचिवों को पता है कि वित्त आयोग का पैसा जिला पंचायत से प्रत्यक्ष पंचायत के खाते में अंतरण होता है वही अन्य जिले के सचिवों ने वित्त आयोग का पैसा जनपद से प्राप्त होना बताया है मतलब सचिवों को नहीं पता है कि वित्त आयोग का पैसा प्रत्यक्ष रूप से जिले के द्वारा प्राप्त होता है	सरगुजा जिले में कहा गया है कि वित्त आयोग से प्राप्त राशि विलंब से प्राप्त होती है वही कुछ पंचायतों ने कहा है कि वित्त आयोग की राशि प्राप्त होने में काई दिक्कत नहीं होती है परन्तु पंचायत को कितनी राशि प्राप्त होने वाली होती है उसकी सूचना नहीं होती है। परिणामतः वास्तविक योजना का अभाव होता है और राशि प्राप्त होने के बाद किसी भी कार्यों पर खर्चे किये जाते है। कार्यों की प्राथमिकता का कोई स्थान नहीं होता है। वित्त आयोग की राशि उपयोग करने की निर्देशिका में सभी मदों/क्षेत्रकों में उपयोग करने की बात कही गयी है। परन्तु वास्तविक योजना निर्माण के अभाव में निदेशिका के अनुसार

स्त्रोत	सचिव की प्रतिक्रियां	विशेष दिक्कते
		<p>राशि का उपयोग करने में दिक्कते होती है</p> <p>अध्ययन में पाया गया है कि जिला सरगुजा में लखनपुर ब्लाक की पंचायतों द्वारा 9३ वें वित्त आयोग की राशि रोड लाईट/बल्ब की व्यवस्था में खर्च की गयी है। जो कि वित्त आयोग के निर्देशिका में दिये गये प्रतिशत के अनुसार अधिक है।</p>
मनरेगा	शतप्रतिशत सचिवों ने कहा है कि मनरेगा के अन्तर्गत सभी राशि जनपद पंचायत द्वारा ही प्राप्त होती है।	<p>मनरेगा के तहत राशि प्राप्त करने एवं मजदूरों को भुगतान करने के लिये लम्बी प्रक्रिया है।</p> <p>बहुत विलंब होता है। कभी समय पर नहीं मिलता है।</p> <p>मनरेगा के पैसे बहुत विलंब से प्राप्त होते हैं, जनपद में कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। अवागमन के लिये बहुत पैसे लगते हैं। जनपद के बाबू बहाना करते हैं कि सीईओ के हस्ताक्षर नहीं हुये/सीईओ कहते हैं कि जिले से प्राप्त नहीं हुये है। ऐसे में मजदूरों को समय पर पैसे नहीं मिलते हैं। इंजिनियर की भी पंचायत से अपेक्षा रहती है।</p>
एसजीए सवाय	प्रत्यक्ष हितग्राहियों के खाते में जमा की जाती है।	राशि विलंब से प्राप्त होती है।
इंदिरा आवास	यह राशि प्रत्यक्ष रूप से हितग्राहियों के खाते में जनपद पंचायत द्वारा जमा की जाती है। पंचायत को केवल सूचना दी जाती है।	हितग्राही को यह राशि प्राप्त करने के लिये जनपद स्तर पर कई बार जाना पड़ता है जिसके लिये अवागमन में खर्चा अधिक होता है। वही राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करने में चुनौतियां निर्माण होती है। प्रथम किस्त अग्रिम के रूप में प्राप्त हो जाती है परन्तु दूसरी किस्त शीघ्र प्राप्त नहीं होने के कारण हितग्राही को बाजार से सामान खरीदी करने में दिक्कत होती है। सामान उधारी पर खरीदी करने के कारण अधिक किमत में सामान प्राप्त होता है।
विधायक निधी	पंचायत को बहुत कम समय प्राप्त होती है, प्राप्त होना है या नहीं इसकी जानकारी नहीं होती है। यह विधायक महोदय पर निर्भर करती है। विधायक महोदय को निवेदन करने से राशि प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है	यह निधि हर पंचायत को प्राप्त नहीं होती है परन्तु जीन पंचायतों को प्राप्त होती है उनके अनुसार राशि प्राप्त होने में विलंब होता है।

स्त्रोत	सचिव की प्रतिक्रियां	विशेष दिक्कते
सांसद निधि	पंचायत को बहुत कम समय प्राप्त होती है, प्राप्त होना है या नहीं इसकी जानकारी नहीं होती है।	यह निधि हर पंचायत को प्राप्त नहीं होती है परन्तु जिन पंचायतों को प्राप्त होती है उनके अनुसार राशि प्राप्त होने में विलंब होता है। कई बार उपर से ही तय किये जाते हैं। पंचायत मात्र पोष्ट ऑफिस की भूमिका में होती है राशि प्राप्त होने के पश्चात तुरंत सप्लायर को देनी होती है।
बीआरजीएफ	कभी पता नहीं रहता है कि कितनी राशि प्राप्त होगी परन्तु प्रत्येक साल कार्ययोजना बनाकर भेजते हैं।	कार्यों के मूल्यांकन के अनुसार राशि प्राप्त होती है। यह राशि प्राप्त होने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
सर्वशिक्षा अभियान के तहद	स्कूल से संबंधित कोई कार्य होने पर यह राशि प्राप्त होती है।	यह निधि स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिये सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त होती है परन्तु अध्ययन में पाया गया है कि इस राशि को प्राप्त होने के अक्सर विलंब होता है उदा: ग्राम पंचायत गगोली में सर्वशिक्षा अभियान के तहद स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया परन्तु उसकी राशि प्राप्त होने में बहुत विलंब हुआ है....

उपरोक्तानुसार बजट अंतरण में दिक्कते पायी जाती है परन्तु सभी योजनाओं के अन्तर्गत विशेष दिक्कतो चर्चा यहा पर कर रहे हैं।

- कार्य पूर्ण के बावजूद भी राशि समय पर नहीं मिलने के कारण पंचायत के अन्य मदों की राशि दूसरे मदों में खर्च होती है ऐसे में हिसाब किताब का रखरखाव करने में कठिनाईयां होती हैं जैसे सर्वशिक्षा अभियान के तहत भवन निर्माण किया गया और समय पर राशि उपलब्ध

ग्राम पंचायत - अर्जुनी

पैसा जारी होने में हमेशा लेट होता है जिसके कारण निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं, बीना वावचर दिये पैसा जारी नहीं किया जाता है। पूर्व सरपंच के कार्यकाल में ६८००० रुपये के बील नहीं भेजे गये जिसके कारण जनपद द्वारा जिले को पैसा वापस भेजा गया है। पूर्व सरपंच के पैसे लगे हैं पैसे वापस लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नहीं होने के कारण १३ वे वित्त आयोग के राशि से भवन निर्माण का भुगतान किया तो बील तो भवन निर्माण के हैं फिर १३ वे वित्त आयोग का कैश बुक प्रतिदिन कैसे संधारण किया जावेगा।

- राशि समय पर नहीं मिलने के कारण पंचायत को बाजार से समयानुसार समान (लोहा, सिमेंट रेत) खरीदी करने में दिक्कत होती है। पंचायत द्वारा बाजार में जो भी सामान लिया जाता है उसके अन्य लोगों की तुलना में अधिक दाम चूकाने पड़ते हैं क्योंकि पंचायत भुगतान जल्दी नहीं करती है इसलिए दाम अधिक लिये जाते हैं। यहां सवाल यह खड़ा होता है कि २ साल पहले कार्यों की स्वीकृति हुयी थी उसी समय के किमत पर परन्तु उसका क्रियान्वयन अभी हो रहा है

ऐसे समय पर बड़े हुये रेट में कार्यों में गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जायेगी और बाजार में सामान उधारी पर खरीदी करने के कारण सामान भी अधिक दाम में उपलब्ध होता है।

- कार्यों का क्रियान्वयन पंचायत द्वारा किया जाता है जिसका मूल्यांकन इंजीनियर द्वारा किया जाता है परन्तु इंजीनियर की अपनी डीमांड होती है। इंजीनियर की इच्छा पूर्ण नहीं करने पर कार्यों का मूल्यांकन कम होता है या मूल्यांकन होता ही नहीं है जिसका परिणाम यह होता है कि पंचायत को राशि विलंब से ही प्राप्त होती है।
- अधिकांश समय पंचायतों को जनपद से ही राशि प्राप्त करनी होती है उनके निदेशों पर कार्य करने होते हैं उन कार्यों को पूर्ण करने एवं उसके बदले की राशि प्राप्त करने के लिये बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी बाबू कहता है साहब के हस्ताक्षर नहीं है, चेक बूक नहीं है आदि।

ग्राम पंचायत में राशि अंतरण में सुझाव

- **व्यवहारिक एवं वास्तविक स्तर पर राशि का अंतरण किया जाना चाहिए**

अध्ययन में पाया गया है कि पंचायत में राशि अंतरण में बहुत दिक्कतें हैं जिसमें कुछ व्यवहारिक भी हैं और कुछ इच्छा पर भी निर्भर करती हैं। अतः आवश्यक है कि अंतरण की प्रक्रियाओं में बदलाव किये जायें।

कार्य शुरू होने के पूर्व अग्रिम राशि प्रदान किया जाता है परन्तु कार्यों की दूसरी किस्त और उसके बाद की किस्त समय पर नहीं दी जाती है उस समय पंचायत की कमजोर आर्थिक स्थिति को समझते हुये नये तकनीकी दिक्कत दूर करना चाहिये और व्यवहारिकता के अनुसार राशि जारी करनी चाहियें।

कई बार जनपद पंचायत में बजट नहीं होने के कारण भी पंचायत को राशि उपलब्ध नहीं होती है ऐसे समय पर जिला एवं जिले से उपर संस्थाओं को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि समय पर जिस वर्ष का बजट उसी वर्ष में जारी किया जावे।

राजनागांव जिले के विकासखण्ड में देखा गया है कि सन २०११-१२ में जारी होने वाला १३ वे वित्त आयोग का बजट २०१२-१३ के जून माह में जारी किया गया इस स्थिति में पंचायत को यह तय करना मुश्किल होता है कि प्राप्त हुआ बजट २०११-१२ का है या २०१२-१३ का है। वैसे भी २०११-१२ की राशि २०१२-१३ में प्राप्त होगी तो एन्ट्री भी २०१२-१३ में ही होगी।

पंचायत की वित्तीय जवाबदेही

पंचायत राज की संरचना में निहित है कि पंचायत अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की स्थापना एवं कल्याण के लिये उसके क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर योजना निर्माण और क्रियान्वयन करेगी अर्थात् यह स्पष्ट है कि पंचायत अपने कार्यक्षेत्र के विकास के लिये पूर्ण रूप से जवाबदेह है।

वित्तीय क्षेत्र में पंचायत की जवाबदेही को समझने के लिये पंचायत राज अधिनियम का भी आधार लिया गया है। अधिनियम के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है कि अधिनियम में प्रावधान क्या है? और पंचायत द्वारा अपनी जवाबदेही किस हद तक पूर्ण की जा रही है?, क्या दिक्कतें आ रही हैं? ताकि नयी रणनीति का निर्माण किया जा सके।

वित्तीय जवाबदेही का आंकलन तीन तरीकों से किया जा सकता है

- ✎ वित्तीय व्यवस्थाओं की स्थापना एवं उसके संधारण की गुणवत्ता।
- ✎ वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये किये गये प्रयास।
- ✎ वित्तीय संसाधनों का उपयोग।

४.९ वित्तीय व्यवस्थाओं की स्थापना एवं उसका संधारण

किसी भी संस्था की निर्भरता इस पर निर्भर करती है कि संस्था की अपनी आर्थिक व्यवस्था कैसी है ? उसका प्रबंध कैसा किया जा रहा है ? उसका हिसाब किताब सही पैमाने पर रखा जा रहा है या नहीं ? पंचायत कितने संसाधन अपने स्तर पर जुटा पा रही है उसका अनुपात क्या है ?


४.९.१ पंचायत निधि की स्थापना

पंचायत राज अधिनियम में कहा गया है कि पंचायत की अपनी निधि होगी जिसमें पंचायत को प्राप्त सभी बाह्य एवं आन्तरिक आय के स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी। इस निधि के लिये पंचायत स्तर पर खाता खोला जाना आवश्यक होगा जिसका संचालन सचिव व सरपंच के बीच संचालित किया जायेगा इस खाते से राशि आहरण के लिये पंचायत की बैठक में चर्चा होगी, उसमें निर्णय लिये जायेंगे साथ ही राशि आहरण की स्पष्ट जानकारी ग्राम सभा में देना आवश्यक है।

पंचायत निधि की स्थापना के लिये अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में पंचायत द्वारा किये गये प्रयासों, पंचायत की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास अध्ययन के दौरान किये गये हैं। अध्ययन में स्पष्ट रूप से पाया गया है कि पंचायत स्तर पर पंचायत निधि की स्थापना की गयी है परन्तु उसमें जमा होने वाले निधि की स्पष्टता नहीं है। सरपंच सचिवों के बीच स्पष्टता नहीं है कि पंचायत निधि क्या होती है विस्तृत चर्चा से दो राय स्पष्ट होती है

- ☞ एक - सरपंच के अनुसार पंचायत का अपना खाता है जिसमें पंचायत के आन्तरिक स्रोत से प्राप्त आय को जमा किया जाता है।
- ☞ दूसरा - सचिव के अनुसार पंचायत निधि की स्थापना की गयी है जिसमें पंचायत के आन्तरिक स्रोत से प्राप्त आय जमा की जाती है। केवल यही नहीं पंचायत को प्राप्त मुलभूत, वित्त आयोग की राशि भी इस खाते में जमा की जाती है

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि उक्त दोनो पक्ष पंचायत क अपना खाता होने की बात करते है परन्तु दोनो के अनुसार उसके आय के स्रोत अलग अलग है। साथ ही अध्ययन में पाया गया है कि निधि की स्थापना के सदंर्भ में सरपंचों के बीच कोई जानकारी नहीं है बहुत समझाने, विस्तृत चर्चा के बाद सरपंच स्वीकार करते है कि “हैं पंचायत का एक खाता है जिसमें तालाब लिज, बाजार ठेका का पैसा जमा किया जाता है” परन्तु यह स्पष्टता नहीं है कि पंचायत निधि की स्थापना के लिये भी कोई खाता या प्रावधान किया गया है वही सचिवों के बीच भी जानकारी में स्पष्टता नहीं है।



तालिका से स्पष्ट अधिकांश पंचायतों में पंचायत निधि की स्थापना हुई है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम में कहा गया है कि पंचायत निधि की स्थापना के लिये बैंक में खाता होगा जिसमें पंचायत के बाह्य एवं आन्तरिक स्रोत से प्राप्त सभी राशि जमा की जायेगी परन्तु वास्तविकता में यह देखा गया है कि पंचायत में अलग अलग योजनाओं के अलग अलग खाते होते है जिसको राजनांदगांव जिले में ३ कैश बुक में संधारित किया जाता है वहीं सरगुजा जिले के लिये लुण्डा विकासखण्ड में एक ही कैश बुक में संधारित किया जाता है तो इसी जिले के दूसरे विकासखण्ड लखनपुर में ३ कैश बुक में खाता संधारित किया जाता है। इस विसंगती के कारण सचिवों के बीच एक जैसी समझ निर्माण करना मुश्किल होता है।

अधिनियम की भावना कहती है कि पंचायत में सभी स्रोत से प्राप्त राशि पंचायत निधि कहलायेगी फिर अलग अलग खाते में संधारित क्यों किया जा रहा है। इस वास्तविक व्यवस्था के कारण सचिव को तीन तीन कैश बुक का संधारण, उनकी रिपोर्ट करना पड़ता है। साथ ही अलग अलग जिले में अलग अलग व्यवस्था दिखायी दे रही है अतः आवश्यकता यह है कि पंचायत निधि के संधारण के लिये एक रूपता हो जिसके दिशा में प्रयास किये जाने चाहिये।

४.१.२ ग्राम पंचायत में योजना निर्माण एवं बजट अनुमान की स्थिति


अधिनियम में स्पष्ट की गयी योजना व बजट निर्माण की आवश्यकता एवं पंचायत स्तर पर उसके वास्तविक अनुपालन की स्थिति को स्पष्ट किया गया है ताकि योजना एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया में उभरती चुनौतियों के निराकरण के लिये नयी रणनीति का निर्माण किया जा सके।

यहां पर बजट योजना एवं बजट अनुमान की स्थिति का अलग अलग विश्लेषण किया गया है जो इस प्रकार है....

- ☒ योजना निर्माण की स्थिति एवं उसकी प्रक्रिया
- ☒ बजट अनुमान तैयार करने की स्थिति एवं उसकी प्रक्रिया

४.१.२.१ योजना निर्माण की स्थिति एवं उसकी प्रक्रिया

पंचायत राज अधिनियम में कहा गया है कि पंचायत द्वारा उसके क्षेत्र में उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक व वित्तीय संसाधन के उपयोग एवं संवर्धन के लिये योजनाओं का निर्माण करेगी ताकि पंचायत अपनी वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुये परिवर्तन के लिये नयी दिशा तय का सके। योजना न केवल वर्तमान स्थिति को विश्लेषित करने की प्रक्रिया है बल्कि विकास की नयी सोच, उसके लिये आवश्यक कार्यवाही, रणनीति निर्माण करने की एकमात्र प्रक्रिया है।



दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि ५६.३ ग्राम पंचायतों में वार्षिक योजना निर्माण की जाती है वहीं ४३.८ प्रतिशत पंचायतों में योजना निर्माण के कार्य नहीं किये जाते हैं। योजना निर्माण की स्थिति राजनांदगांव जिले में बेहतर दिखाई देती है जहां ८७.५ प्रतिशत ग्राम

पंचायतों में वार्षिक योजना तैयार की जाती वहीं महासमुंद जिले में योजना निर्माण की स्थिति अन्य जिलों से बहुत कमजोर दिखाई देती है जहां कुल पंचायतों से केवल ३७.५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक योजना निर्माण की जाती है

वार्षिक कार्ययोजना निर्माण की स्थिति को ग्राम पंचायत में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन में देखने का प्रयास किया गया साथ ही जो समूह चर्चा भी हुई जिससे स्पष्टता होती है कि

- ☞ जनपद के आदेश पर ग्राम पंचायत द्वारा योजना निर्माण की जाती है,
- ☞ योजना अलग-अलग योजना के तहत निर्माण की जाती है जिसका किसी भी स्तर पर समेकन करने का प्रयास नहीं किया जाता है,
- ☞ ग्राम पंचायत में योजना निर्माण का कार्य ग्राम सभा की बैठक में किया जाता है जिसको ग्राम पंचायत के सदस्य कार्यों को प्रस्तावित करने के नाम से जानते हैं योजना निर्माण के नाम से नहीं
- ☞ कार्यों को प्रस्तावित करने की परम्परा ग्रामपंचायत में बनी हुई है योजना निर्माण की प्रक्रिया बहुत कम।
- ☞ पंचायत स्तर पर स्पष्टता नहीं होती है कि जिस योजना के अन्तर्गत गतिविधियां निर्धारित कर रहे उसमें किस किस प्रकार की गतिविधियां निर्धारित की जा सकती है परिणामतः लगभग सभी योजनाओं की गतिविधियां एक समान ही रहती है,
- ☞ एक ही कार्य एक से अधिक योजना में प्रस्तावित किये जाते हैं।
- ☞ पंचायत को नहीं पता होता है कि निर्धारित योजना के तहत पंचायत को कितनी राशि प्राप्त होने वाली है परिणामतः अनुमानित बजट के आधार पर पंचायत को योजना बनानी होती है जिसमें प्राथमिकता निर्धारण करने में दिक्कत होती है।
- ☞ पंचायत के पास क्षमता है कि वे स्थानीय समस्याओं का आंकलन एवं निराकरण के लिये उपाय सोच सके परन्तु यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण योजना निर्माण में दिक्कत होती है।
- ☞ सरपंच के द्वारा गांव की समस्या का आंकलन आसानी से किया जाता है परन्तु उसमें समुदाय की भागीदारी नहीं पायी जाती है परिणामतः सरपंच का ही दृष्टिकोण योजना में शामिल होता है।
- ☞ बिना लोगो की भागीदारी से निर्माण की गयी योजना को क्रियान्वयन में लोगो का सहयोग प्राप्त नहीं होता है।
- ☞ योजना स्वीकृत होने की स्थिति ग्रामपंचायत को पता नहीं रहती है।


स्पष्ट है कि पंचायत में योजना निर्माण का कार्य किया जाता है परन्तु सभी योजना को शामिल नहीं किया जाता है संसाधनों की पहचान नहीं होने के कारण गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारण में दिक्कत होती है साथ ही समुदाय की भागीदारी बिना उनका सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता है अतः आवश्यक यह है कि पंचायत स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से विस्तृत कार्य योजना का निर्माण किया जाना चाहिये जिसमें पंचायत की सभी योजना एवं संसाधनों का समावेश हों, ये बातें विभिन्न समूहों के साथ हुई चर्चा से निकलकर आई है।

४.१.२.२ बजट अनुमान तैयार करने की स्थिति एवं उसकी प्रक्रिया

बजट अनुमान पंचायत की आर्थिक स्थिति व शक्ति को स्पष्ट करता है जिसके आधार पर पंचायत अपने कार्यों को सफलता से पूर्ण कर सकती है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि पंचायत द्वारा किये जा रहे बजट अनुमान की स्थिति को बेहतर तरीके से स्पष्ट करें ताकि बजट अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया को और मजबूत कर सकें।

सरपंच की जानकारी के अनुसार स्पष्टता हुई है कि ६२.५ प्रतिशत सरपंच को ग्राम पंचायत में तैयार किये जा रहे बजट अनुमान की जानकारी है परन्तु पंचायत की कार्यप्रणाली के अनुसार सचिव पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है उसके द्वारा ही पंचायत के दस्तावेजों का निर्माण किया जाता है यहां आवश्यक नहीं है कि सचिव द्वारा निर्माण किये गये दस्तावेजों की जानकारी सरपंच को हो।

बजट निर्माण




उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ८४.४ प्रतिशत पंचायतों द्वारा बजट अनुमान तैयार किया जाता है। बजट निर्माण की स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्ट होता है कि केवल बस्तर जिले में ही बजट निर्माण कम पंचायतों में किया जाता है वहीं अन्य जिलों में बजट निर्माण की स्थिति बेहतर दिखायी दे रही है।

बजट निर्माण की वास्तविक स्थिति एवं चुनौतियां

यहां पर पंचायत राज अधिनियम में दी गयी बजट अनुमान की प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति एवं बजट अनुमान तैयार करने में पंचायत के समक्ष उभरती चुनौतियों को समझने के लिये सरपंच सचिव तथा जनपद एवं जिले स्तर पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जो चर्चा की उसके विश्लेषण से निम्न तथ्य सामने आये हैं।

बजट निर्माण की प्रक्रिया का अनुपालन (प्रतिशत)



उक्त सारणी से स्पष्ट है कि

- ☞ ६.४ प्रतिशत पंचायतो की स्थायी समितियों द्वारा आगामी कार्यक्रमो का निर्धारण करती है यह कहना सचिव का है परन्तु पंचायत स्तर पर समिति बैठक कार्यवाही या उनके द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम की सूची देखने का प्रयास किया गया जिसमें परीक्षण के लिये कुछ भी पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। कुछ पंचायतो में स्थायी समिति के बैठक कार्यवाही का रजिस्टर निर्माण किया गया है परन्तु उसमें कुछ भी नहीं लिखा है अर्थात पंचायत स्तर पर ऐसे प्रयास किये ही नहीं है।
- ☞ तथ्यो से स्पष्टता होती है कि किसी भी पंचायत को जनपद द्वारा उनके आगामी वर्ष की संभावित राशि के

बजट अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया

पंचायत राज अधिनियम में बजट अनुमान तैयार करने के लिये बतायी गयी प्रक्रिया से निम्नानुसार प्रक्रिया के चरण स्पष्ट होते हैं....

- ↓ पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आगामी वर्ष के लिये विकास कार्यक्रमो का निर्धारण एवं निर्माण करेगी।
- ↓ स्थायी समिति अपने समिति के द्वारा निर्माण किये गये कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष करेगी।
- ↓ इसी बीच जनपद द्वारा पंचायत को उसके संभावित निधि की सूचना दी जायेगी।
- ↓ जनपद पंचायत द्वारा दी गयी सूचना व स्थायी समिति द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण के आधार पर पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति पंचायत का बजट अनुमान प्रारूप तैयार करेगी।
- ↓ सामान्य प्रशासन समिति द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमान पर ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चा होगी और उसको अंतिम रूप दिया जावेगा।
- ↓ ग्राम पंचायत द्वारा इस बजट को जनपद में अनुमोदन के लिये भेजा जावेगा
- ↓ जनपद द्वारा पंचायत से भेजे गये बजट का परीक्षण तथा अनुमोदन कर पंचायत को सूचना दी जायेगी।
- ↓ इस बजट के अनुसार पंचायत में कार्य किये जायेगे।

उपलब्धता की सूचना नहीं दी जाती है।

- ☞ स्थायी समितियां ही सक्रिय नहीं है परन्तु २१.६ प्रतिशत पंचायतों का कहना है कि उनके पंचायत की स्थायी समिति द्वारा वार्षिक बजट अनुमान तैयार किया जाता है।
- ☞ ८१.३ प्रतिशत पंचायतों का कहना है कि पंचायत स्तर पर बजट अनुमान तैयार करने पर चर्चा होती है वही पंचायत द्वारा अनुमोदीत बजट को सिधे जनपद भेजने के बजाय ६८.८ प्रतिशत पंचायतों द्वारा बजट का अनुमोदन ग्राम सभा में किया जाता है।
- ☞ स्पष्ट है कि ७५.० प्रतिशत पंचायतें अपनी वार्षिक बजट अनुमान जनपद में प्रस्तुत करती हैं।

जिलेवार बजट निर्माण की स्थिति

तालिका क्र. १८ ग्राम पंचायत बजट निर्माण प्रक्रिया के अनुपालन संदर्भित जिले वार सरपंच व सचिव की प्रतिक्रियां	पक्रिया	सचिव				योग
		सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	
	स्थाई समितियों द्वारा आगामी वर्ष के लिये कार्यक्रमों का निर्माण	0.0	37.5	0.0	0.0	9.4
	स्थाई समितियों द्वारा सामान्य प्रशासन समिति को प्रस्तुति	0.0	25.0	0.0	0.0	6.3
	जनपद द्वारा ग्राम पंचायत को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	सामान्य प्रशासन समिति द्वारा योजना एवं बजट अनुमान का प्रारूप निर्माण	37.5	37.5	12.5	0.0	21.9
	पंचायत की बैठको में योजना एवं बजट पर चर्चा	87.5	100.0	37.5	100.0	81.3
	योजना एवं बजट को ग्राम सभा में अनुमोदन के लिये पंचायत द्वारा प्रस्तुत	75.0	87.5	37.5	75.0	68.8
	पंचायत द्वारा बजट जनपद में प्रस्तुत	87.5	87.5	37.5	87.5	75.0

बजट निर्माण की स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि

- ☞ राजनांदगांव जिले में अन्य जिलों की तुलना में बजट निर्माण की प्रक्रिया बेहतर दिखायी देती है जिसमें स्थायी समितियों की बैठके, सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाति है वही अन्य जिलों में समिति द्वारा यह कार्य नहीं किये जा रहे हैं।
- ☞ राजनांदगांव व महासमुंद जिले की शतप्रतिशत पंचायतों की बैठको में बजट अनुमान पर चर्चा होती है परन्तु इन ही पंचायतों में ८७.५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा अपना बजट अनुमान जनपद पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है अर्थात्, इन जिलों के पंचायतों में बजट निर्माण की चर्चा होती है परन्तु सभी पंचायतों के द्वारा अपना बजट जनपद पंचायत में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
- ☞ बस्तर जिले की पंचायतों में अन्य जिलों की तुलना में बहुत कमजोर स्थिति है जहां केवल ३७.५ प्रतिशत पंचायतों में ही बजट अनुमान पर चर्चा होती है।

जिलेवार विश्लेषण से यह स्पष्टता होती है कि राजनांदगांव जिले की तुलना में बस्तर और सरगुजा जिले में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

बजट निर्माण की प्रक्रिया में उभरती चुनौतियां

बजट निर्माण के बात को ८४.४ प्रतिशत पंचायतों ने स्वीकार किया है परन्तु बजट निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया के तहत उनके बजट निर्माण की स्थिति की समीक्षा करने से स्थिति प्रक्रिया से भिन्न पायी गई।

अभी तक के विश्लेषण में बजट अनुमान की तिथि के अनुपालन की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है क्योंकि प्राथमिक दृष्टि में पंचायत द्वारा अधिनियम में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार बजट निर्माण ही नहीं किया जा रहा है। बजट निर्माण की तिथि के अनुपालन चर्चा करना संभव नहीं हुआ फिर भी


अध्ययन में बजट निर्माण की वास्तविक स्थिति एवं प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिये विस्तृत प्रयास किये गये है जिसके तथ्यों का विश्लेषण निम्नानुसार है जिसमें तिथियों पर भी चर्चा की गयी है।

अधिनियम के अनुसार बजट निर्माण की प्रक्रिया	मुख्य दिक्कते/चुनौतियां
<p>प्रतिवर्ष ३१ जनवरी तक सभी स्थायी समितियों द्वारा अपनी समिति के अंतर्गत किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की प्रस्तुती करेंगे।</p>	<p>ग्राम पंचायत स्तर पर स्थायी समितियों का गठन किया गया है उनकी बैठकों का विवरण लिखने के लिये कुछ पंचायतों में अलग अलग रजिस्टर भी निर्माण किये गये है परन्तु समिति की बैठकों का आयोजन कभी नहीं किया गया है न उसके लिये पंचायत स्तर पर कोई प्रयास किये गये है उदा: ग्रामपंचायत भरीटोला में समितियों की बैठक के लिये अलग अलग रजिस्टर बनाये गये है परन्तु बैठके कभी नहीं हुयी है। सरगुजा जिले की गमोली पंचायत में यही स्थिति पायी गयी है। इसके अलावा पंचायत की दिवार पर भी समितियों का विवरण चस्पा किया होता है। यही बात हम जिले वार देखे तो स्पष्टता होती है कि बस्तर जिले में स्थायी समितियों का गठन ही नहीं हुवा है वही अन्य जिलों में समितियां गठित होते हुये भी सक्रिय नहीं है जिस कारण योजना निर्माण एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया निम्न चुनौतियां पायी जाती है</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत में स्थायी समितियों की बैठके नहीं होती है, ● उनकी बैठकों के आयोजन के लिये सचिव व सरपंच द्वारा प्रयास नहीं किये जा रहे है ● उनकी नियमित बैठके हो इसके लिये पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं है ● पंचायत का मतलब सरपंच व सचिव ही समझकर जनपदख जिला और संस्थाओं द्वारा सरपंच सचिव को ही पूछा जाता है जिसके कारण पंच को सामने आने का मौका नहीं मिलता है ● बिना सरपंच की उपस्थिति पंचायत स्तर पर बैठक नहीं होती है। <p>उपरोक्त सभी कारणो के वजह से पंच को यह नहीं पता होता है कि वो किस समिति के सदस्य है, और उनकी भूमिका, जिम्मेदारी क्या है। उसके परिणाम यह होते है कि</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत स्तर पर अलग अलग योजनाओं के लिये कार्ययोजना निर्माण होती है परन्तु उसमें सामुदायिक भागीदारी तो अलग परन्तु पंचों की भी भागीदारी नहीं होती है ● समितियों की क्या भूमिका है यह सदस्यों को पता नहीं है। ● समिति निष्क्रिय है जिसके कारण उनसे अगले साल के लिये कार्यक्रमो का निर्धारण करेगी और सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष प्रस्तूत करेगी यह उम्मीद करना गलत है। <p>वजह यही है कि समितियों द्वारा कार्यक्रम का निर्धारण नहीं किया जा रहा है।</p>
<p>३१ जनवरी तक जनपद/जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को आगामी वर्ष में सम्भावित निधि उपलब्धता की जानकारी प्रदान करेंगे।</p>	<p>अध्ययन में किसी भी पंचायत में यह नहीं पाया गया है कि जनपद पंचायत द्वारा पंचायत को उनके हिस्से की संभावित राशि बतायी गयी हो वहीं अध्ययन में पाया गया कि जनपद पंचायत द्वारा पंचायत को बीआरजीएफ, मनरेगा, वित्त आयोग या अन्य मदो के अन्तर्गत योजना बनाकर भेजने के लिये कहा जाता है। पंचायत के पास संभावित राशि की जानकारी नहीं होने के कारण पंचायत द्वारा अनुपातहीन की योजना बनायी जाती है। संभावित राशि की जानकारी नहीं मिलने के कारण कार्यों की प्राथमिकता तय करने पंचायत स्तर पर मुश्किल होता है।</p>

अधिनियम के अनुसार बजट निर्माण की प्रक्रिया	मुख्य दिक्कते/चुनौतियां
सामान्य प्रशासन समिति द्वारा ७ फरवरी तक बजट अनुमान का प्रारूप तैयार करना	शेष स्थायी समितियों की तरह ही सामान्य प्रशासन समिति की स्थिति है। यह समिति भी अपना कार्य नहीं कर पा रही है
२१ फरवरी तक बजट अनुमान के प्रारूप पर पंचायत में अनुमोदन	<p>अध्ययन के अनुसार स्पष्ट है कि पंचायत स्तर पर ८४.४ प्रतिशत पंचायतों द्वारा बजट निर्माण जाता है परन्तु उसमें सचिव और सरपंच के अनुसार भिन्नता दिखाई देती है पंचायत के बजट अनुमोदन की स्पष्ट जानकारी मात्र पंचायत सचिव को होती है। क्योंकि बजट अनुमान वही तैयार करती है। पंचायत में बजट अनुमोदन के लिये कोई प्रयास नहीं होते हैं मात्र दस्तावेज निर्माण किया जाता है जिसके कारण सरपंच को बजट निर्माण की जानकारी नहीं होती है।</p> <p>दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकांश सचिवों ने अब तक बजट निर्माण प्रारूप में लिखी गयी बजट निर्माण की प्रक्रिया तक नहीं पढ़ी है अध्ययन में सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वे बजट निर्माण प्रारूप में दी गयी प्रक्रिया नहीं पढ़े वही कुछ सचिवों ने कहा है कि पढ़ने पर भी उसकी भाषा कठिन होने के कारण समझ नहीं सके।</p> <p><u>ग्राम पंचायत शिवनी में देखा गया है कि १९६५ से अब तक बजट के नाम पर मात्र प्रपत्र पर सचिव और सरपंच के दस्तकत है परन्तु प्रपत्रों में जानकारी नहीं भरी गयी है।</u></p>
३१ फरवरी तक जनपद पंचायत में अनुमोदित बजट की प्रस्तुती	अध्ययन में पाया गया है कि पंचायत सचिव को जब समय मिलता है वह बजट प्रारूप बनाकर जनपद में जमा करा देते हैं। यह काय लगभग मार्च के आखारी सप्ताह से चालू होता है तथा जून माह तक चला है। अध्ययन में पाया गया है कि ८७.० प्रतिशत पंचायतों ने अपना बजट अनुमान जनपद में जमा किया है।
१५ मार्च तक बजट अनुमान का परीक्षण एवं अनुमोदन उपरान्त वापसी	<p>जनपद से जैसे जैसे बजट प्रारूप जिले में आते रहते हैं उसी क्रम में वापसी भी होती है। बहुत से सचिव जनपद से बजट अनुमोदन/उपांतरण के उपरांत भी अपने कार्यालय इस दस्तावेज को नहीं ले जाते हैं</p> <p>सरगुजा जिले में देखा गया है कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत बजट को उपसंचालक, पंचायत विभाग से अनुमादित किया जाता है और अनुमोदन उपरान्त जनपद पंचायत के माध्यम से पंचायत को भेजा जाता है परन्तु यह समय सीमा के अंदर नहीं होता है।</p>

बजट निर्माण के लिये जमीनी स्तर पर अपनायी जा रही वास्तविक प्रक्रियां

अभी तक कानून में दी गयी प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की जा रही थी परन्तु सत्यता यह है कि ८४.४ प्रतिशत पंचायतो द्वारा बजट निर्माण किया जाता है जिसकी कोई न कोई प्रक्रिया होगी जिसको खोजने के प्रयास अध्ययन में किये गये है। लिहाजा यहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत द्वारा बजट अनुमान तैयार करने के लिये किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है?



केस

पंचायत में जो पैसा आता है उसके खर्चों के लिये योजना बनाते हैं जिसमें शाला की क्या जरूरत है, किस माहल्ले में क्या आवश्यकता है इस प्रकार योजना बनाकर भेजते हैं जिसमें अनुमानित लागत को लिखा जाता है परन्तु पिछले साल के व्यय को समझे और आने वाले एक वर्ष के खर्च का अंदाजा नहीं लगाया जाता है इस प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं है

सरपंच, जिला सरगुजा

ग्राम पंचायत में बजट निर्माण की प्रक्रियां,

- ↓ पिछले साल का आय - व्यय का समेकन - इसके लिये एप्रिल से दिसम्बर तक का आय व्यय का कुल /३ हिस्से में बाटा, फिर एक हिस्से का चारा से गुणा किया, प्राप्त राशि साल का आय-व्यय हुआ,
- ↓ उदा: एप्रिल से दिसम्बर तक $90000-00/3 = 30,000$
- ↓ $30000 \times 4 = 120000$
- ↓ यह राशि पंचायत के आन्तरिक मद एवं योजना से प्राप्त राशि का अनुमान होता है।
- ↓ ग्राम पंचायत की बैठक में - योजना निर्माण पर चर्चा और प्राथमिकता का निर्धारण
- ↓ ग्राम सभा में अनुमोदन
- ↓ जनपद को प्रस्तुत करना

ग्राम पंचायत अर्जुनी, जिला राजनांदगांव (स्त्रोत - सचिव के साथ गहन चर्चा)

योजना एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया के मुख्य तथ्य

- ✓ विश्लेष में पाया गया है कि योजना निर्माण की प्रक्रिया पंचायत में निर्धारित नहीं है ऐसे में बीना कार्यक्रम तय किये बजट का अनुमान करना कठिन होता है।
- ✓ स्पष्ट है कि पंचायत में अधिनियम की प्रावधानों के अनुरूप बजट निर्माण नहीं किया जा रहा है वही कुछ पंचायतों में अलग प्रक्रिया के द्वारा बजट निर्माण किया जा रहा है जो प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
- ✓ बस्तर जिले की ग्राम पंचायतों के बजट निर्माण की प्रक्रिया पंचायतराज अधिनियम के अंतर्गत मात्र औपचारिकता पूर्ण करने वाली गतिविधि के रूप में देखी गयी जबकि बजट मुख्य रूप से प्राप्तियों और व्यय का एक महत्वपूर्ण वैधानिक दस्तावेज होता है
- ✓ अध्ययन के दौरान देखने में आया कि अधिकांश पंचायत वर्ष समाप्त होने तक भी अपनी पंचायत का बजट अनुमान नहीं बना पाते हैं जो पंचायतें बजट अनुमान को बनाती है वह भी समय पर बजट अनुमान पंचायत या ग्रामसभा के माध्यम से जनपद/जिला स्तर पर नहीं भेज पाते हैं। यही स्थिति जनपद/जिला स्तर पर भी देखने को मिलती है।
- ✓ अध्ययन के विभिन्न दस्तावेजों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत का बजट मात्र सचिव द्वारा तय किया गया है। इस बजट को पिछले वर्ष की कुल प्राप्तियों के आधार पर 90 प्रतिशत वृद्धि कर तीन प्रतियाँ बना लिया जाता है एवं पंचायत से सीधा जनपद कार्यालय में जमा कर दिया जाता है।
- ✓ बजट प्रपत्र को समझने एवं तकनीकी को जानने की क्षमता सचिव के पास नहीं है।
- ✓ संभावित आवंटन की जानकारी के अभाव में आगामी खर्च की योजना या अनुमान लगाना वास्तविकता नहीं है। साथ ही पिछले साल के व्यय से 90 प्रतिशत अनुमान बढ़ाना वास्तविकता नहीं हो सकती है क्योंकि हर साल की जरूरतें समान नहीं हो सकते हैं
- ✓ बजट 90 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अनुमान किया जाता है, आवश्यकता एवं जरूरतों के आधार पर नहीं
- ✓ आवश्यकता एवं जरूरतों के आधार बीना तैयार किये गये बजट को लागू करने में कड़ चुनौतियाँ आ सकती हैं परन्तु वास्तविकता में बजट के अनुसार पंचायत में पैसा जारी नहीं होता है।
- ✓ बजट निर्माण की तकनीकी जानकारी समिति के पास नहीं है जबकि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ की सेवाएं ली जा सकती हैं।
- ✓ सरपंच पंचायत के सभी प्रावधानों आवश्यकताओं को नहीं समझने के कारण उनके द्वारा बजट निर्माण के लिये कोई प्रयास नहीं किये जाते हैं।
- ✓ पंचायत की बैठक में योजना निर्माण एवं अनुमानित लागत पर पंचायत की कई बैठकों में चर्चा होती है और वार्षिक बजट अनुमान एक बार ही बनाया जाना है जिसके कारण सरपंच के बीच भ्रम निर्माण होता है कि वार्षिक बजट निर्माण क्या है और विविध योजना के तहद गतिविधियों का निर्धारण करना क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है।
- ✓ सूक्ष्म विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पंचायत की बैठक में बजट अनुमान पर कम और योजना के तहद गतिविधियाँ निर्माण पर चर्चा अधिक होती है।

- ✓ पंचायत की बैठक में भागीदारी नहीं और गहन चर्चा बहुत कम हो पाती है वास्तविकता में कही औपचारिक कार्य सचिव व सरपंच के बीच ही अनुमोदित करके जनपद भेजे जाते हैं।
- ✓ सचिव को बजट निर्माण के प्रक्रिया की जानकारी नहीं है उनके अनुसार पंचायत की बैठक में चर्चा, प्रपत्र में जानकारी भरना और ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात जनपद में जमा करना ही प्रक्रिया मानता है।
- ✓ बजट निर्माण के लिये जनपद पंचायत द्वारा कोई दबाव नहीं दिया जाता है।
- ✓ बजट अनुमान के अनुसार पंचायत में बजट उपलब्ध नहीं होता है बल्कि ग्राम सभा व पंचायत द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसार ही बजट भेजा जाता है। इसमें भी अनुमोदित किये गये कार्यों सभी कार्यों का बजट नहीं मिलता है। इसलिये बजट निर्माण कह उत्सुकता पंचायत में नहीं दिखाई देती है।

बजट निर्माण नहीं करने के कारण

स्पष्टता है कि ग्रामपंचायत में बजट निर्माण की प्रक्रिया मजबूत नहीं है उसके मुख्य कारण, निष्कर्ष के रूप में पंचायत के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों अधिकारियों से चर्चा करने से समझ में आते हैं वे हैं

- **जनपद से निर्देश नहीं दिये जाते हैं**
अधिकांश सरपंच सचिवों का कहना है कि बजट अनुमान तैयार करने के लिये जनपद स्तर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये जाते हैं केवल बैठक में कभी कभी कहा जाता है कि बजट अनुमान जमा करावों परन्तु स्पष्ट निर्देश, मार्गदर्श नहीं होने के कारण बजट निर्माण में विलंब होता है या कई बार तैयार भी नहीं किया जाता है। बजट निर्माण की यह नियमित प्रक्रिया है इसलिए बाजार में भी प्रारूप उपलब्ध होता है और कुछ वरीष्ठ सचिव हैं जो पहले से करते आये हैं वे सचिव अपने स्तर पर प्रपत्रों को भरकर सरपंच के हस्ताक्षर से जनपद में जमा करते हैं।
- **सचिवों की क्षमता**
अध्ययन में पाया गया है कि बजट अनुमान के प्रपत्र में दी गयी भाषा सचिव के समझने के लिये कठिन है वही अन्य स्थानों पर पाया गया है कि सचिव ने अपने १५ साल के कार्यकाल में अब तक बजट निर्माण के प्रारूप में दी गयी प्रक्रिया को नहीं पढ़ा है। जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि सचिव की व्यक्तिगत इच्छा भी उसके कार्यों में प्रभाव करती है।

४.२ ग्राम पंचायत में दस्तावेजों का संधारण


प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को पारदर्शी और बेहतर ढंग से निर्वाहन के लिये दस्तावेजों और अभिलेखों को तैयार करना आवश्यक होता है ताकि उन दस्तावेजों के आधार पर पिछली परिस्थिति को समझ पाये। दस्तावेजों के आधार पर पंचायतों को नियोजन, अपने काम की भौतिक तथा वित्तीय समीक्षा करने और पंचायतों के समक्ष पैदा होने वाली विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उचित निर्णय लेने में आसानी होती है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम १९९३ और इस अधिनियम से जुड़े नियमों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हर ग्राम पंचायत को लगभग ३७ तरह के अभिलेखों को रखना चाहिये लिहाजा यहां पर पंचायत लेखा व्यवस्था और सम्पत्ति से जुड़े दस्तावेजों का संसाधरण एवं उनकी गुणवत्ता की स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

पंचायत में लेखा संबंधित संधारित किये जा रहे दस्तावेजों की स्थिति

दस्तावेजों की स्थिति में दो पक्षों को स्पष्ट किया जा रहा है

- ✎ सचिव के अनुसार पंचायत में संधारित किये जा रहे दस्तावेज और
- ✎ दस्तावेजों की गुणवत्ता

४.२.१ पंचायत में संधारित किये जा रहे दस्तावेज



उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि

- ☞ शतप्रतिशत ग्राम पंचायतो में रोकड़ वही का संधारण किया जाता है वही इससे संबंधित व्यय पंजी ५६.३ प्रतिशत पंचायतो में संधारित की जाती है। अध्ययन में पाया गया है कि अलग अलग योजनाओं की अलग अलग रोकड़ वही संधारित की जाती है जिसके कारण सचिव की व्यस्तता और बढ़ती है।
- ☞ बिल पंजी का संधारण ८१.३ पंचायत में किया जाता है वही रसीद कट्टा या उसकी मूल स्टॉक का दस्तावेजीकरण बहुत कम पंचायतो में किया जाता है।
- ☞ पंचायत में उपलब्ध अचल संपत्ति का ब्यौरा ५६.३ पंचायतों में संधारित किया जाता है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उन्ही दस्तावेजो के संधारण का अधिक किया जा रहा है जिनका उपयोग अधिक मात्रा में होता है जैसे रोकड़ी वही प्रति दिन संधारित की जानी होती है वही कर्मचारी यात्रा भत्ता बिल को बहुत कम संधारित किया जा रहा है परन्तु अनिवार्य यह है कि

तालिका क्र. १६ - ग्राम पंचायत को लेखा संधारण में प्राप्त सहयोग की स्थिति					
स्थान	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
जनपद	50.0	12.5	50.0	37.5	37.5
जिला	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
नही	50.0	87.5	50.0	62.5	62.5

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि ६२.५ प्रतिशत पंचायतो को लेखा संधारण में कोई भी मदद प्राप्त नहीं होती है वही ३७.५ प्रतिशत पंचायतों को लेखा संधारण में सहयोग प्राप्त होने की बात कही है

उपयोग कम हो या अधिक अधिनियम के प्रावधानो के अनुपालनार्थ सभी आवश्यक दस्तावेजो का संधारण पंचायत मे किया जाना अनिवार्य है परन्तु यह स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है।

दस्तावेजो के संधारण की स्थिति को सचिव को दिये गये प्रशिक्षण के विषय भी प्रभाव करते हुये दिखाई दे रहे है जैसे रोकड़ वही, लेखा प्रणाली पर सचिव को प्रशिक्षण प्राप्त हुये है इसलिए इन दस्तावेजो के संधारण का प्रतिशत अन्य दस्तावेजो के तुलना में बेहतर है वही वसूली योग्य अग्रिम राशि या अन्य दस्तावेजो पर सचिव को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने से उनका संधारण का प्रमाण बहुत ही कम हैं।

दस्तावेज संधारण की जिलेवार स्थिति

तालिका क्र. २० - दस्तावेज संधारण की जिलेवार स्थिति					
दस्तावेजो के नाम	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	सचिव
रोकड़ वही	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
रसीद कट्टा	50.0	87.5	87.5	87.5	78.1
रसीद पुस्तक का मूल (स्टॉक) लेखा	62.5	50.0	50.0	75.0	59.4
बिल पंजी	62.5	100.0	62.5	100.0	81.3
वेतन बिल	50.0	50.0	12.5	50.0	40.6
यात्रा भत्ता बिल	12.5	37.5	12.5	0.0	15.6
आकस्मिक व्यय बिल	12.5	62.5	12.5	0.0	21.9
प्राप्ति संक्षेप पंजी	12.5	62.5	75.0	37.5	46.9
व्यय पंजी	12.5	87.5	50.0	75.0	56.3
वसूली योग्य अग्रिम की पंजी	0.0	50.0	12.5	25.0	21.9

तालिका क्र. २० - दस्तावेज संधारण की जिलेवार स्थिति					
दस्तावेजो के नाम	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	सचिव
पेषगी रोकड़बही	0.0	75.0	0.0	25.0	25.0
विषिष्ट प्रयोजन अनुदान का लेखा	12.5	37.5	0.0	12.5	15.6
कर्मचारियों से ली गयी प्रतिभूतियों की पंजी	0.0	37.5	12.5	12.5	15.6
डाक टिकिट खर्च पंजी	0.0	37.5	0.0	12.5	12.5
अचल संपत्ति की पंजी	62.5	87.5	37.5	37.5	56.3
स्त्रोत - सचिव साक्षात्कार एवं ग्राम पंचायत के दस्तावेजो का अवलोकन					

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि

- ☞ सभी चारो जिले की शतप्रतिशत पंचायतों में रोकड़ वही का संधारण किया जा रहा है वही उससे संबंधित व्यय पंजी का संधारण राजनांदगांव व महासमुंद जिले में अन्य जिले की तुलना में अधिक किया जाता है।
- ☞ बिल पंजी का संधारण महासमुंद व राजनांदगांव जिले में शतप्रतिशत पंचायत द्वारा किया जाता है वही बस्तर व सरगुजा जिले में इसका प्रमाण कम है।
- ☞ पेषगी रोकड़बही केवल राजनांदगांव की शतप्रतिशत पंचायत द्वारा संधारित की जाती है वही महासमुंद की २५.० प्रतिशत पंचायत द्वारा पेषगी रोकड़बही का संधारण किया जाता है।

दस्तावेजो के संधारण की स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुख्य दस्तावेजो का संधारण सभी पंचायतों में किया जा रहा है वही सपोर्टीव दस्तावेजो का प्रमाण बहुत कम है साथ ही जिले वार देखने से स्पष्टता होती है कि राजनांदगांव व महासमुंद जिले में दस्तावेज संधारण करने का प्रमाण औसतन अच्छा दिखायी देता है वही बस्तर व सरगुजा जिलो की पंचायतों में दस्तावेज संधारण का प्रमाण बहुत कम है।

४.२.२ संधारित दस्तावेजो की गुणवत्ता

अध्ययन दल ने अध्ययन कार्यों के दौरान पंचायत में संधारित किये जा रहे दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है जिसमें यह देखने के प्रयास किये गये है कि ग्राम पंचायत में निरन्तर कैश बुक अद्यतन किया जा रहा है, बिल पंजी में बिल व्यवस्थित रूप से संधारित किये जा रहे है ? रोकड़ वही संधारित की जा रही है ? ग्राम सभा बैठक, ग्राम पंचायत बैठक और समितियों की कार्यवाही रजिस्टर को संधारित करने की गुणवत्ता कैसी है ? जिसका विश्लेषण निम्नानुसार है...

- **कैश बुक** - अध्ययन दल द्वारा शतप्रतिशत पंचायतों में देखा गया है पंचायत में प्रति दिन कैश बुक को अद्यतन नहीं किया जाता है। कैश बुक को बंद कर के सरपंच के प्रतिदिन हस्ताक्षर नहीं होते है। सरपंच के अनुसार सरपंच सप्ताह में एक दिन सभी दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करते है। वहीं बहुत सी पंचायतों में महीनों कैश बुक का बंद नहीं किया जाना पाया गया।

मुद्दा केवल कैश बुक को प्रति दिन अद्यन करने की ही नहीं है बल्कि मासिक गोसवारा और वार्षिक गोसवारा क्रमशः मासिक और वार्षिक तैयार करने की भी बात है परन्तु राजनांदगांव के मानुपर ब्लाक की किसी पंचायत में वर्ष २०११-१२ की कैश बुक २०१२-१३ के जून तक बंद नहीं की गयी थी, उसका वार्षिक गोसवारा निर्माण नहीं किया गया था। एक पंचायत में तो पूर्ण बिल उपलब्ध नहीं होने के कारण कैश बुक अपडेट नहीं करने की बात कही है। यही बात सरगुजा जिले में देखी गयी है कि ग्राम पंचायत द्वारा कैश बुक का वार्षिक गोसवारा निर्माण किया गया है।

दूसरी उल्लेखनीय बात यह देखी गयी है कि पंचायत में पंचायत के दस्तावेज नहीं रहते हैं कहीं पंचायत सचिव के घर या कहीं और रहते हैं। लोगों की जानकारी के लिये पंचायत में अक्सर दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है।

इसी मुद्दे को बस्तर के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता चलता है कि बैंक के पास बुक में समय पर एन्टी नहीं की जाती है, बिल वाउचर समय पर नहीं लगाये जाते हैं।

- **बिल पंजी** - बिल पंजी व्यवस्थित रूप से संधारित नहीं की जाती है अध्ययन दल द्वारा सचिव को अलोकन के लिये बिल पंजी मांगने पर उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी। जहां देखी गयी है वहां पर भी खर्चों के अनुसार बिल नहीं लगाये गये हैं। केवल सरगुजा जिले की एक पंचायत में पाया गया है कि अलग अलग योजना के तहद बिल पंजी का निर्माण किया गया है और उनका संधारित भी किया जाता है सचिव से मांगने पर सचिव ने अवलोकन के लिये तुरंत उपलब्ध भी कराया था परन्तु अन्य पंचायतों में बहुत समय देने के बाद भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्थात् दस्तावेजों को नियमित रूप से संधारित नहीं किया जा रहा है।

- **अचल सम्पत्ति पंजी**

कुल ३२ ग्राम पंचायत में से केवल ५६.३ प्रतिशत ग्राम पंचायतों में अचल सम्पत्ति का रजिस्टर तैयार किया गया है परन्तु अध्ययन दल के निरीक्षण में पाया गया है कि पंचायत द्वारा दस्तावेज निर्माण तो किया गया है परन्तु उसको अद्यतन नहीं किया जाता है। शासकीय योजना के तहद निर्माण किये जा रहे संसाधनों नियमित दर्ज नहीं किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायतों के पास मकानों की सूची तो होती है परन्तु उसकी स्थिति, कच्चा पक्के की जानकारी के साथ नहीं होती है।

४.२.३ दस्तावेजों के संधारण में दिक्कते

- अध्ययन में स्पष्टता हो चुकी है कि तकनीकी क्षमता के अभाव से पंचायत स्तर पर कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है इसी प्रकार सचिवों ने स्वयं कहा है कि दस्तावेजों के संधारण के लिये कोई गहन प्रशिक्षण नहीं हुआ है परिणामतः सचिवों को हमेशा वरीष्ठों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- दस्तावेज में गुणवत्ता नहीं होने के मुख्य कारण यह है कि उसके संधारण की स्पष्ट जानकारी सचिव के पास नहीं होती है। जनपद द्वारा योजना के तहद अलग खाता, अलग कैश बुक रखने के लिये कहने के कारण अलग अलग खाता रखा जाता है परन्तु सचिव अपने विवेक के अनुसार कार्य बहुत कम करता है जिसके कारण कार्यों की गुणवत्ता में अंतर दिखाई देता है।
- पंचायत स्तर पर कैश बुक नियमित अपडेट नहीं होना या बिल वाउचर समय पर नहीं लगाने के मुख्य कारण है कि किये गये कार्यों की द्वितीय राशि बहुत विलंब से प्राप्त होने के कारण दूसरे मदों से राशि उपयोग की जाती है जिसके कारण दोनों मदों के बिल और कैश बुक संधारित करने में दिक्कते होती हैं।
- ग्राम सभा की बैठक में विषयागत बहुत चर्चा की जाती है परन्तु उसका संधारण बैठक कार्यवाही पंजी में नहीं किया जाता है क्योंकि उस पंजी के आधार पर निर्णय के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के प्रयास पंचायत द्वारा नहीं किये जाते हैं साथ सचिव को उसकी महत्ता की जानकारी नहीं है जिसके कारण कार्यवाही में हमेशा अस्पष्ट जानकारी लिखी जाती है जैसे आज बैठक में स्वास्थ्य अभियान के बारे में चर्चा हुई परन्तु यह नहीं लिखा हुआ होता है कि चर्चा में क्या क्या निर्णय लिये गये, जिम्मेदारी क्या बाटी गयी, अभियान की प्रक्रिया क्या होगी।
- सचिवों ने कहा है कि कई बार उनको प्राप्त पैसे और उनका मद समझमें नहीं आता है जिसके कारण उसका रेकार्ड संधारित करने में दिक्कत होती परिणामतः उसका उपयोग बहुत कम होता है।

४.३ ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे अंकेक्षण (ऑडिट) की स्थिति

आडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पंचायत द्वारा किये गये कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सकता है। पंचायत राज अधिनियम में दो प्रकार के ऑडिट की बात कही गयी है

- ✎ सामान्य वार्षिक संपरीक्षा (ऑडिट)
- ✎ विशेष संपरीक्षा (ऑडिट)

उक्त दोनों अंकेक्षण के अलावा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सामाजिक अंकेक्षण की बात कही है साथ ही साथ मनरेगा के साथ बीआरजीएफ तथा अन्य योजनाओं द्वारा भी सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता बतायी है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि तीनों प्रकारों के आडिट की स्थिति का विश्लेषण करें

इस आडिट को दो भागों में बाटा जा सकता है

- ☞ वित्तीय ऑडिट
- ☞ सामाजिक अंकेक्षण

४.३.१ वित्तीय अंकेक्षण


वित्तीय अंकेक्षण के शाब्दिक अर्थ होता है कि ग्राम पंचायत के लेखा जोखा का हिसाब, उसके गुणवत्ता की स्थिति को आंकना। ग्राम पंचायत के लेखा का आडिट राज्य सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है। यह वित्तीय अंकेक्षण दो तरीकों से होते हैं जिसमें सामान्य वार्षिक संपरीक्षा और विशेष संपरीक्षा के नाम से जाना जाता है। साथ ही पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा भी विभागीय अंकेक्षक द्वारा ग्राम पंचायत का आडिट किया जाता है उसको आन्तरिक ऑडिट कहा जाता है यहां पर आन्तरिक ऑडिट व सामान्य अंकेक्षण (स्थानीय निधि संपरीक्षा) को अलग-अलग स्पष्ट किया गया है।

स्थानीय निधि संपरीक्षा की स्थिति

ग्राम पंचायत का आडिट प्रतिवर्ष किया जाना आवश्यक है जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को दी गयी है। अध्ययन के दौरान स्थानीय निधि संपरीक्षा की पिछले तीन साल की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया जिसके लिये जिला स्तर पर स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के वरिष्ठ अंकेक्षक के साथ विस्तृत चर्चा की गयी। इस चर्चा के अनुसार अध्ययन में शामिल किसी भी ग्राम पंचायत का पिछले ३ साल में स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा आडिट नहीं किया गया है। ग्रामपंचायत स्तर पर सचिव के साथ की गयी चर्चा से स्पष्ट है कि सचिव केवल आन्तरिक ऑडिट को ही पंचायत का आडिट मानते हैं। स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा किये जाने वाले आडिट पर चर्चा करने पर उनका कहना है कि “लोकल आडिट नहीं होता है”

आन्तरिक ऑडिट

पंचायत लेखा का अंकेक्षण वर्ष में एक बार किया जाता है जिसके लिये पंचायत एवं समाजकल्याण विभाग द्वारा ऑडिटर नियुक्त किया जाता है या अपने ही विभाग के आन्तरिक लेखा परिक्षक द्वारा भी आडिट किया जाता है। यहा पर पंचायत के किये जा रहें आन्तरिक आडिट की स्थिति का आंकलन किया गया है जिसमें मुख्य रूप से तालिका में दी गयी स्थिति के अनुसार स्पष्टता होती है कि ८१.३ प्रतिशत पंचायतों द्वारा वर्ष २०१०-११ का आन्तरिक आडिट किया गया है वही २०१०-११ के बाद २०११-१२ को बीते हुये ६ माह पूर्ण हुये है फिर भी १८.८ ग्राम पंचायतो द्वारा आन्तरिक ऑडिट नहीं किया गया है। अधिनियमो के प्रावधानो के अनुसार वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष का आडिट करना अनिवार्य है परन्तु २०११-१२ को बीते हुये ६ मह पूर्ण हो गये है परन्तु इसके पिछला वर्ष २०१०-११ का वित्तीय आडिट १८.८ प्रतिशत पंचायतो द्वारा नहीं किया गया है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट होता है



(स्रोत - पंचायत सचिव साक्षात्कार व पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

पंचायत के आन्तरिक अडिट की स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि महासमुंद व राजनांदगांव जिले में ८७.५ प्रतिशत पंचायतो द्वारा २०१०-११ का आन्तरिक आडिट किया गया है वही बस्तर व सरगुजा जिले में थोड़ा कम ७५.०० प्रतिशत पंचायतो द्वारा आन्तरिक आडिट किया गया है।

ऑडिट कर्ता

अध्ययन में पाया गया है कि

- जिला पंचायत द्वारा पंचायत में ऑडिट करने के लिये भेजा जाता है।
- जनपद द्वारा भी ऑडिटर भेजा जाता है।

आन्तरिक आडिट में दिक्कते

- राजनांदगांव जिले में पाया गया है कि पंचायत का ऑडिट किया जाता है परन्तु विशेष ऑडिट टीप पंचायत को नहीं दी जाती है। ऑडिट की रिपोर्ट भी अधिकांश पंचायत को उपलब्ध नहीं करायी जाती है। साथ ही कुछ पंचायत में पाया गया है कि बिल वाउचर संधारित नहीं किये जाने के कारण २०१०-११ का आडिट वर्ष २०१२-१३ के जून माह तक नहीं किया गया है।
- अध्ययन में पाया गया है कि पंचायत स्तर पर वित्तीय अभिलेखों का संधारण समय पर नहीं किये जाने के कारण ऑडिट कराने में दिक्कत होती है।
- दस्तावेजों का गुणात्मक संधारण के परिपेक्ष्य में सचिव की समझ कम होने के कारण वरिष्ठों से बार बार पूछा जाता है।
- सरगुजा जिले में देखा गया है कि ऑडिट की रिपोर्ट पंचायत में बहुत विलंब से उपलब्ध होती है वही पंचायत सचिव को जिला पंचायत में जाकर आडिट करवाना होता है।
- ऑडिट करते समय पंचायत के दस्तावेजों में कमीया पायी जाने पर ऑडिटर द्वारा सचिव को मार्गदर्शन नहीं किया जाता है।
- विशेषतः बस्तर जिले में पंचायत द्वारा बिल वाउचर नहीं लगाना, समय पर रिकार्ड संधारित नहीं करना, पास बुक एन्ट्री नहीं करना आदि से सभी पंचायतों में समय पर आडिट नहीं हो पाती है।

८१.३ पंचायतो द्वारा अनिवार्य सामान्य वार्षिक आडिट किया गया है जो बेहतर स्थिति को दर्शाता है इस प्रक्रिया में पंचायत में संधारित किये जा रहे दस्तावेजों की गुणवत्ता सहयोग नहीं करती है कारण बिल वाउचर, पंजी समय पर संधारण नहीं किये जाने के कारण दिक्कत होती है साथ ही सचिव के द्वारा सपोर्टीव दस्तावेजों (अधिनियम में बताये गये रोकड़ वही, बिल पंजी का संधारण के अलावा अन्य दस्तावेज) का संधारण नहीं करने से आडिट की प्रक्रिया में दिक्कत होती है। लिहाजा यह आवश्यक है कि गुणवत्ता के साथ अधिनियम में बताये गये अनिवार्य दस्तावेजों का संधारण किया जाना चाहिये।

वित्तीय अंकेक्षण पंचायत को प्राप्त सहयोग की स्थिति


तालिका क्र. २१ - वित्तीय अंकेक्षण पंचायत को प्राप्त सहयोग की स्थिति					
बजट निर्माण	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
जनपद	12.5	0.0	62.5	100.0	43.8
जिला	12.5	50.0	0.0	0.0	15.6
नहीं	75.0	50.0	37.5	0.0	40.6

उक्तानुसार स्पष्ट है कि केवल ५६ पंचायतो ने कहा है कि जनपद से सहयोग प्राप्त होता है वही ४०.६ प्रतिशत पंचायतो में आडिट पूर्व कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। केवल आडिटर द्वारा ऑडिट किया जाता है। विशेषकर राजनांदगांव जिले में आडिट करते समय मागदर्शन करते हैं रिकार्डों को जाँच कर एवं सुझाव तथा आपत्ती लगाते हैं।

४.३.२ सामाजिक अंकेक्षण

पंचायत में किये जा रहे अंकेक्षणों में सामाजिक अंकेक्षण महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से पंचायत के पास यह अवसर होते हैं कि समुदाय के बीच स्वयं को जोड़े, अपने कार्यों को सार्वजनिक करें, अपने कार्यों की गुणवत्ता पर समुदाय की वैधानिक अनुमति प्राप्त करें।

सामाजिक अंकेक्षण न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक मात्र साधन बल्कि पंचायत के कार्यों को सामाजिक मान्यता प्रदान करने का भी साधन है। सामाजिक अंकेक्षण की बात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम में कही गयी है और उसके पिछे पिछे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिये भी सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता शासन द्वारा बतायी गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में पंचायत द्वारा साल में २ बार सामाजिक अंकेक्षण करने के प्रावधान किये गये हैं जिसके अनुपालन की स्थिति पंचायत स्तर पर देखा गया है। इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये जनपद द्वारा पिठासीन अधिकारी भी नियुक्त किये जाते हैं।



(स्रोत - सचिव साक्षात्कार)

सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति में स्पष्ट है कि ८९.२ प्रतिशत पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है जोकि बहुत अच्छी स्थिति है जिसको शतप्रतिशत किये जाने की आवश्यकता है परन्तु राज्य सरकार के निदेशानुसार वर्ष में २ सामाजिक अंकेक्षण करना आवश्यक होता है जिसको खोजने से पता चलता है कि केवल ४३.८ प्रतिशत पंचायतों में २ सामाजिक अंकेक्षण किये गये हैं वही ३७.५ प्रतिशत पंचायतों में केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण हुआ है।

सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि महासमुंद जिले के ६२.५ प्रतिशत पंचायतों में २ सामाजिक अंकेक्षण किये गये हैं जोकि अन्य जिलों की तुलना में अधिक है वहीं सरगुजा जिले में ७५.० प्रतिशत पंचायतों में केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। दूसरी ओर राजनांदगांव व बस्तर जिले की २५ प्रतिशत पंचायतों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया ही नहीं है।

सामाजिक अंकेक्षण के मुख्य बिन्दु

अध्ययन में पाया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण का एजेण्डा जनपद द्वारा निर्माण किया जाता है जिसके अनुपालन के लिये पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण के मुद्दों को समझने के लिये पंचायत स्तर पर सचिव व सरपंच के साथ विस्तृत चर्चा की गयी है जिसके अनुसार

सामाजिक अंकेक्षण में विशेषतः मनरेगा से सम्बन्धित चर्चा होती है जिसमें मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान, उसका आय-व्यय, जाब कार्ड में एन्ट्री, मनरेगा के तहद किये जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन द्वारा प्राप्त तथ्य, मनरेगा का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की जाती है। मनरेगा के अलावा पेंशन पर भी चर्चा की जाती है।

अंकेक्षण के मुख्य बिन्दु

- ✓ मस्टररोल,
- ✓ मजदूरी भुगतान,
- ✓ आय-व्यय,
- ✓ जाब कार्ड,
- ✓ भौतिक सत्यापन,
- ✓ पालन प्रतिवेदन,
- ✓ पेंशन,
- ✓ अन्य योजनाएं

पंचायत स्तर पर पाया जाता है कि जनपद द्वारा भेजे गये सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा के लिये एजेण्डे में मनरेगा के अलावा अन्य योजनाओं के विषय भी शामिल होते हैं जैसे एसजीएसवाय के अन्तर्गत हिग्राहीयों का चयन, बीआरजीएफ की राशि का अंकेक्षण आदि, परन्तु विषयों की संख्या अधिक होने के कारण और मनरेगा के लिये सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के कारण अन्य योजनाओं पर बहुत कम चर्चा हो पाती है इसके अलावा मनरेगा में मजदूरी विलंब से मिलने के विवाद के कारण अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा करना भी संभव नहीं है। परिणामतः सामाजिक अंकेक्षण के विषय के रूप में केवल मनरेगा के विषय स्मरण में रहते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण में विशेष दिक्कते

- ✓ सामाजिक अंकेक्षण पंचायत द्वारा किया जाता है परन्तु उसका एजेण्डा उसकी तारीख जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके कारण उस तारीख को प्रत्येक पंचायतों में लोग उपस्थित हो पाना संभव नहीं होता है इसलिए कोरम की पूर्ती नहीं होती है।
- ✓ कोरम पूर्ण नहीं होने पर भी सामाजिक स्विकृति अंकेक्षण के विषयों को औपचारिक ही मिल पाती है।
- ✓ मनरेगा में बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं परन्तु उसमें लगातार समस्याओं (मजदूरी भुगतान) के कारण लोग उस पर चर्चा करने के लिये रुची नहीं लेते हैं।
- ✓ अक्सर मनरेगा कार्यों के तहत की गयी मजदूरी के भुगतान में विलंब होने के कारण ग्रामीणों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण में मजदूरी भुगतान विलंब के कारणों को ही बार बार पूछा जाता है जिसके कारण अन्य विषयों पर

अंकेक्षण में प्रमुख दिक्कते

- ✓ कोरम पूर्ण नहीं होता है
- ✓ मनरेगा की चर्चा पर लोग रुची नहीं लेते हैं।
- ✓ विवाद
- ✓ रजिस्टर समस पर संधारित नहीं किये जाते हैं।
- ✓ मजदूरी भुगतान समय पर नहीं होने के कारण शिकायतों का ढेर
- ✓ एजेण्डा पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया जाता है।
- ✓ अन्य योजनाएं

चर्चा नहीं हो पाती है और विरोध एवं तनाव निर्माण होता है।

- ✓ पहले भी स्पष्ट हुआ है कि पंचायत स्तर पर दस्तावेजों में गुणवत्ता स्तर निम्न होने के कारण उनको सार्वजनिक करने में दिक्कत होती है। दस्तावेज समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण वे लोगों की जानकारी के लिये सार्वजनिक नहीं किये जाते हैं केवल पढकर सुनाया जाता है।
- ✓ सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में बिल व्हाउचर, कैश बुक या अन्य वित्तीय मामलों से जुड़े दस्तावेज सामुदायिक जानकारी के लिये उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।
- ✓ सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के कार्यों का अंकेक्षण के परिप्रेक्ष्य किया जाता है परन्तु अन्य योजनाओं को भी शामिल किया जाता है जिसके कारण एजेण्डा बहुत बढ़ा हो जाता है।
- ✓ एजेण्डा जनपद द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें पंचायत की बातें शामिल नहीं होती हैं।

४.४ पंचायत की कमजोर आर्थिक व्यवस्था के मुख्य कारण

वित्तीय अंतरण

वित्तीय अंतरण में अनियमिता होने के कारण पंचायत को समय पर राशि प्राप्त नहीं होती है जिसके कारण पंचायत को बाजार मूल्य की तुलना में अधिक दर से सामान खरीदना पड़ता है। यदि पंचायत के पास समय पर पैसा उपलब्ध हो एवं उसके उपयोग में लचिलापण हो तो कम बजट में गुणवत्ता पूर्ण कार्य किये जाने के अवसर है। साथ ही बाजार में कम पैसा देने के कारण बजट भी बचेगा।

करारोपण की स्थिति मजबूत नहीं है

अध्ययन में पाया गया है कि अधिकांश प्रतिशत पंचायतों द्वारा करारोपण नहीं किया गया है साथ ही कर संकलन की प्रक्रिया भी मजबूत नहीं है जिसके कारण पंचायत में आन्तरिक स्रोतों से आय कम होती है।

वित्तीय संसाधनों की पहचान एवं प्रबंधन नहीं किया जाता है


पंचायत क्षेत्र में कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं जिनके उपयोग से आय प्राप्त की जा सकती है जैसे रेत की रायल्टी या मुरूम की रायल्टी परन्तु पंचायत स्तर पर इन संसाधनों की पहचान के लिये कोई पहल नहीं की गयी है जिसके कारण उनसे आय प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

योजना निर्माण की प्रक्रिया मजबूत नहीं है

पंचायत में सप्रग योजना निर्माण का अभाव है जिसके कारण एक योजना के अनुपालन में दूसरी व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदा: ग्राम पंचायत आमलीडीह में मनरेगा के तहद मजदूरी देने के लिये मुरूम खदान को बांध के नाम से गहरा किया जाता है अंत में उस खोदे हुये मुरूम चारी होती है परन्तु उसको खदान के रूप में विकसित नहीं किया जाता रहा है।

४.५ ग्राम पंचायत का लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन की स्थिति

वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन यह एक ऐसा दस्तावेज है जो किये कार्यों का हिसाब और उसके परिणामों को सार्वजनिक करता है इस दस्तावेज के माध्यम से पंचायत को अपने कार्यों को सार्वजनिक और पारदर्शीता सुनिश्चित करने के अवसर प्राप्त होते हैं इसके निर्माण के प्रावधान पंचायत राज अधिनियम में किये गये हैं लिहाजा अध्ययन में पाया गयी स्थिति इस निम्नानुसार है.....



तथ्यों से स्पष्ट है कि केवल २८.१ प्रतिशत पंचायतों में वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन का निर्माण किया जाता है वहीं ७१.९ प्रतिशत पंचायत में यह कार्य नहीं किया जाता है। वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार करने की स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि सरगुजा जिले के अलावा अन्य जिलों में केवल २५.० प्रतिशत तक ही पंचायतों द्वारा स्वयं का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन निर्माण किया जा रहा है हालांकि सरगुजा जिले में भी वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण करने का प्रमाण बहुत अधिक नहीं है।

विश्लेषण से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण करने का प्रमाण बहुत कम है जिन पंचायतों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है उनके सत्यता की स्थिति को पंचायत में अध्ययन दल द्वारा परखने का प्रयास किया गया जिसमें स्पष्ट हुआ है कि पंचायतों के अनुसार यह कार्य किया जा रहा है परन्तु अवलोकन के लिये पंचायत द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है साथ ही कुछ पंचायतों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है परन्तु वो औपचारिकता मात्र है उदा: में शिवनी ग्राम पंचायत में १९९२-९३ से ३००६ तक प्रशासकीय प्रतिवेदन पंचायत द्वारा निर्माण किया गया है परन्तु प्रापर जानकारी नहीं भरी है/बहुत जानकारी भरना शेष रखा गया है। २००६ के बाद वहां पर वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है।

वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन निर्माण नहीं किये जाने के कारण

वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण नहीं किये जाने के मुख्य कारण यह है कि सचिव को तकनीकी जानकारी नहीं है, वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण के लिये जनपद द्वारा कोई निदेश नहीं दिये जाते साथ दस्तावेज निर्माण की परम्परा भी पंचायत में नहीं है। सचिव की व्यस्थता और संरचनाबद्ध तरीकों से पंचायत में कार्य नहीं किये जाने के कारण वार्षिक प्रतिवेदन की व्यवहारीक परम्परा बहुत कमजोर है।

अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन निर्माण करना अतिआवश्यक होते हुये भी बहुत कम पंचायतो द्वारा यह कार्य किया जाता है साथ्स जिन पंचायतो द्वारा यह कार्य किया जाता है वो भी औपचारीक मात्र है। स्पष्टता होता है कि वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन निर्माण करने की स्थिति पंचायतो के बीच बहुत कमजोर है।

ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों /कर्मचारियों की जानकारी, क्षमता निर्माण के प्रयास एवं संभावनाएं

ग्रामीण विकास के सभी आयामों का केंद्र बिन्दु ग्राम पंचायत है और उसके संचालन में ग्रामपंचायत के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है। यह कहना अतिशयोक्ती नहीं होगी कि ग्राम पंचायत ही ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों की स्थिति को समझे तथा उनकी क्षमता विकास लिये किये गये प्रयासों का विश्लेषण किया जावे ताकि उनकी क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिये क्षमता निर्माण की रणनीति तैयार की जा सके। इस अध्ययन में सरपंच, वार्ड पंच व सचिवों की जानकारी एवं प्रशिक्षण की स्थिति जानने के लिये सचिव व सरपंच के साथ निर्धारित अनुसूची के माध्यम से हुये साक्षात्कार व विस्तृत चर्चा के तथ्य तथा समूह चर्चा में शामिल पंचों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी को आधार माना गया है।

इस विश्लेषण में ग्राम पंचायत के


- ✓ सरपंच
- ✓ सचिव, एवं
- ✓ वार्ड पंच

से जुड़े तथ्यों/आकड़ों को शामिल किया गया है।

५.१ वार्ड पंच

विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी वार्ड पंच है जो जमीनी स्तर पर सीधे समुदाय का प्रतिनिधित्व उनके बीच रहकर ही करता है। विकास की योजना/कार्यों की जानकारी को वार्ड-वार्ड में पहुंचाने का प्रमुख कार्य वार्ड पंच के द्वारा ही किया जा सकता है। लिहाजा यह आवश्यक है कि वार्ड पंच अपने वार्ड में सक्रिय रहे तथा लोगों के साथ समन्वय बनाकर रखे। अतः इस कड़ी में यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी स्थिति का आंकलन करते हुए उनकी क्षमता निर्माण के लिये किये गये प्रयासों को समझा जाए। लिहाजा यहां पर वार्ड पंचों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिये वार्ड पंच के बीच युवा शक्ति का प्रतिशत, उनकी शैक्षणिक क्षमता, महिलाओं का अनुपात तथा पंच के रूप में निर्वाचित होने का कार्यकाल/समय का आधार लिया गया है।


५.१.१ वार्ड पंच में महिला पंच का अनुपात



उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्ड पंच में महिला वार्ड पंच का अनुपात पुरुष वार्ड पंच से अधिक है जो कुल वार्ड पंच में ५५.३ प्रतिशत है वहीं ४४.७ प्रतिशत पुरुष वार्ड पंच है। जिलेवार महिला वार्ड पंच के निर्वाचन की स्थिति को देखने से यह स्पष्टता होती है कि सभी जिलो में पुरुष वार्ड पंच की तुलना में महिला वार्ड पंच का अनुपात अधिक है जो सभी जिलो में ५३ से ५५ प्रतिशत से अधिक ही है।

५.१.२ वार्ड पंचों में शिक्षा एवं युवा वार्ड पंचों का प्रतिशत

बेहतर कार्य एवं नई सोच के साथ कार्य करने की उम्मीद युवा शक्ति से की जा सकती है एवं इसे सही दिशा देने के लिये विविध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही पंचायत चुनाव के माध्यम से युवा वर्ग को वार्ड पंच के रूप में निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त होता है जिनकी भागीदारी या क्षमता से पंचायत स्तर पर नये प्रयोग या बेहतर कार्य किया जा सकता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि युवा पंचों की पहचान कर उनकी क्षमता निर्माण के लिये प्रयास किये जावे। लिहाजा यहा पर वार्ड पंच के उम्र का वर्गीकरण एवं उनके बीच शैक्षणिक स्थिति को समझा गया है ताकि यह समझा जा सके कि वार्ड पंचों के बीच युवा शक्ति का प्रतिशत एवं शैक्षणिक स्थिति क्या है।



वार्ड पंचो के शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि २४.९ प्रतिशत वार्ड पंचो ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है वहीं २३.७ प्रतिशत वार्ड पंचो ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। स्पष्टता होती है कि केवल एक चौथाई वार्ड पंच साक्षर है, वहीं ४६.६ प्रतिशत वार्ड पंच ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है अर्थात माध्यमिक शिक्षा से आगे की शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है।

वही दूसरी ओर..वार्ड पंचो में युवा शक्ती का आंकलन करने से स्पष्ट है कि


सर्वाधिक वार्ड पंच ३१ से ३५ वर्ष के है जिनका प्रतिशत कुल वार्ड पंचो का २३.४ प्रतिशत है, वहीं ४३.४ प्रतिशत युवा वार्ड पंच ऐसे है जिनकी उम्र १८ से ३५ वर्ष के बीच है जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी सक्रिय भागीदारी से सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाये जा सकते है।

वार्ड पंच की शिक्षा एवं उम्र की स्थिति से स्पष्ट है कि

- ✓ ४३.४ प्रतिशत तक १८ से ३५ उम्र की युवा शक्ती ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध है परन्तु २५.१९ प्रतिशत युवा ही साक्षर है वहीं २४.९४ प्रतिशत वार्ड पंचो ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। वार्ड पंचो की शिक्षा को देखे तो स्पष्ट है कि ७९.२६ प्रतिशत वार्ड पंच ऐसे है जिनके बीच साक्षर, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है।
- ✓ अर्थात, युवा शक्ती की उपलब्धता है परन्तु शिक्षा की स्थिति कम होने के कारण वार्ड पंच के प्रशिक्षण की रणनीति तथा विषय उस परिप्रेक्ष्य में होना आवश्यक है।
- ✓ वार्ड पंच की क्षमता निर्माण से वार्ड स्तर योजना का क्रियान्वयन बेहतर करने की संभावना पंचायत के पास उपलब्ध हो सकती है।

५.१.३ वार्ड पंच की निर्वाचन श्रेणी एवं निर्वाचन की स्थिति

निर्वाचन में सामाजिक आरक्षण की व्यवस्था की जाती है जिसके अनुसार ही सामाजिक वर्गों को निर्वाचन में अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही वार्ड पंच के रूप में पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार या उससे अधिक समय में निर्वाचित होने के अवसर भी वार्ड पंच को प्राप्त होते हैं।



पंचायत में निर्वाचित हुये वार्ड पंच के सामाजिक श्रेणी के वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक ५२ प्रतिशत वार्ड पंच अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हैं वही सबसे कम अनुसूचित जाति के हैं। पिछड़ा वर्ग श्रेणी से भी ३३ प्रतिशत वार्ड पंच हैं। वही दूसरी ओर तथ्यों से स्पष्ट है कि ८७.४ प्रतिशत वार्ड पंच पहली बार निर्वाचित हुये हैं वही केवल ३.३ प्रतिशत वार्ड पंच हैं जो तीन या तीन से अधिक बार निर्वाचित हुये हैं। ६.३ प्रतिशत वार्ड पंच दूसरी बार निर्वाचित हुये हैं।

वार्ड पंच की निर्वाचन की स्थिति को देखने से स्पष्ट होता है कि सभी जिलों में पहली बार निर्वाचित होने वाले वार्ड पंच की संख्या सर्वाधिक है। स्पष्टता यह है कि पहला चुनाव जीतने का अवसर है परन्तु दूसरा चुनाव जीतने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के सामाजिक वर्गों की स्थिति के विश्लेषण में पाया गया है कि सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जन जाति का है तथा उसके आगे क्रमशः पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्ग आता है। सामाजिक वर्गों में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग मुख्य दो ही श्रेणी पायी जाती है। इसके समान ही निर्वाचन श्रेणी में पाया जाता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के वार्ड पंच हैं तथा क्रमशः पिछड़ा वर्ग है। यह स्थिति समेकित रूप से देखने से बहुत अच्छी समानान्तर दिखाई देती है परन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर पाया गया है कि ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग की बहुलता है बावजूद उस पंचायत के सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है। कुछ पंचायतों में अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिशत परिवार नहीं होने के बावजूद भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये सरपंच पद आरक्षित किया गया है।

ग्राम पंचायत लहपट्टा में ३४४ परिवारों में से केवल ३ अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं और यह परिवार एक दूसरे से ही जुड़े हुये हैं फिर भी पंचायत सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है। अध्ययन में पाया गया है कि इस पंचायत में सरपंच पद पिछले पंचवर्षिय से अनुसूचित जनजाति के लिये ही आरक्षित है जिसके कारण सरपंच के निर्वाचन में उस ही परिवार से प्रत्याशि होते हैं, अतः यह जरूरत महसूस की जाती है कि पंचायत में सामाजिक वर्गों की स्थिति के आधार पर ही आरक्षण के श्रेणी आरक्षित की जावे यह आरक्षण पंचायत स्तर पर ही तय किया जाना चाहिये।

वार्ड पंच की स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- ☞ वार्ड पंच के बीच युवा वार्ड पंच की संख्या बहुत है जिनकी तरफ़ाई से पंचायत में नये प्रयोग करने के अवसर निर्माण हो सकते हैं ।
- ☞ परन्तु बहुत बड़ा वर्ग साक्षर या प्राथमिक शिक्षा तक ही पहुच पाया है इसलिये उनकी क्षमता निर्माण के नये तरीके खोजने की जरूरत होगी।
- ☞ दूसरी चुनौति यह है कि ८७ प्रतिशत से अधिक पंच वार्ड पंच के रूप में पहली बार निर्वाचित हुये हैं जिसके कारण उनके बीच स्थानीय समस्या, योजना, विषयो एवं प्रक्रिया पर विस्तृत समझ निर्माण की जरूरत है।
- ☞ विशेषतः यह है कि महिला वार्ड पंच की संख्या अधिक है जिनकी सक्रियता से निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
- ☞ शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुये पंचों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत होगी।
- ☞ पंचायत की समितियों को यदि यक्रिय करना है तो पंचों पर विशेष ध्यान देना ही होगा क्योंकि वे ही सभी समितियों में सदस्य हैं।


अधिकांश समूह चर्चा में शामिल महिला वार्ड पंच की सक्रियता को देखने से स्पष्ट हुआ कि उनके अंदर समझने एवं कार्य करने की क्षमता है । कुछ महिला वार्ड पंच महिला समूह के रूप में भी कार्य कर रही हैं परन्तु उनको पंचायत की मूलभूत जानकारी बहुत कम पता होने के कारण पंचायत पर विशेष बाते नहीं रख पाती थी वही यही महिलाएं गांव के संसाधन तथा सुविधाओं पर बेहतर चर्चा कर पा रही थी

५.२ ग्राम पंचायत में सरपंचों की स्थिति एवं क्षमता निर्माण के लिये किये प्रयास

जमीनी स्तर पर बहती हुयी विकास की गंगा को दिशा देने, नियंत्रित करने की मुख्य जिम्मेदारी सरपंच की ही होती है। सरपंच ही पंचायत के कार्यों का अगुवा होता है। शासन के द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजना तथा पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी विभाग और उनके अधिकारियों के बीच एक सुव्यवस्थित समन्वय के साथ बेहतर कार्य करने की जिम्मेदारी सरपंच पर होती है। केवल यही नहीं सरपंच सही मायने में लोकतन्त्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की प्रणाली का पहला चरण है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सरपंच के पास न्युनतम् वो क्षमताएं हो जिससे सरपंच पंचायत राज की मूलभावनाओं का अनुपालन कर पाये जिसको समझने के लिये सरपंचों की शैक्षणिक स्थिति, उनकी क्षमता निर्माण के लिये किये गये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयासों तथा उसकी कार्यशैली को जानना जरूरी है।

५.२.१ निर्वाचित सरपंचो में महिला सरपंच का प्रतिशत

तथ्यो से स्पष्टता होती है कि पुरुषो के अनुपात में महिला सरपंच की संख्या बहुत अधिक है, कुल सरपंचों में ६५.६ प्रतिशत महिला सरपंच है यह एक महिला भागीदारी बढ़ाने का अछा उदाहरण है परन्तु महिला



सरपंच होने से ग्राम सभा में महिला भागीदारी पर क्या असर हुआ है यह एक प्रश्न है जिसकी स्पष्टता आगे की गयी है।

महिला सरपंच के अनुपात को जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि अन्य जिलों की तुलना में महासमुंद जिले में पुरुषों की तुलना में ७५.० प्रतिशत महिला सरपंच है वही अन्य जिलो में महिला सरपंच अनुपात औसतन दिखाई देता है।

५.२.२. सरपंचों की शैक्षणिक स्थिति

तालिका क्र.२२ सरपंचों की शैक्षणिक स्थिति					
	अम्बिकापुर	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
निरक्षर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
साक्षर	0.0	0.0	12.5	0.0	3.1
प्राथमिक	12.5	25.0	25.0	62.5	31.3
माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	12.5	3.1
उच्च माध्यमिक	50.0	50.0	62.5	12.5	43.8
उच्चतर माध्यमिक	0.0	12.5	0.0	0.0	3.1
स्नातक	12.5	12.5	0.0	0.0	6.3
स्नातकोत्तर	25.0	0.0	0.0	12.5	9.4
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत - सरपंच के साथ साक्षात्कार

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि

- ☞ शतप्रतिशत सरपंच साक्षर पाये गये है।
- ☞ ४३.८ प्रतिशत सरपंचो द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की गई है वही केवल ३१.३ प्रतिशत सरपंचो ने ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है।
- ☞ सरपंचों के बीच उच्च शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है जो कुल शैक्षणिक स्थिति का केवल १५.६ प्रतिशत है जिसमें ६.३ प्रतिशत स्नातक और ९.४ प्रतिशत स्नातकोत्तर सरपंच शामिल है।
- ☞ शैक्षणिक स्थिति में महासमुंद के सरपंचो की स्थिति कमजोर दिखाई देती है, जिसमें अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक ७५ प्रतिशत सरपंच केवल प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। साथ ही बस्तर जिले में भी शिक्षित सरपंचो का प्रमान बहुत कम है। बस्तर में शतप्रतिशत सरपंचों की शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा के निचे ही है।
- ☞ बेहतर स्थिति सरगुजा जिले में दिखाई देती है जहां पर ८७.५ प्रतिशत सरपंचो ने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। सरगुजा में उच्च शिक्षा का प्रतिशत औसतन अच्छा है जिसमें १२.५ प्रतिशत स्नातक और २५.० प्रतिशत स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त किये हुये सरपंच निर्वाचित हुये है।
- ☞ स्पष्टता यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त सरपंचो का प्रतिशत बहुत ही कम है।

जमीनी हकीकत कहती है कि सरपंच केवल दस्तावेजों पर दस्तकत करता है और सचिव अपने हिसाब से उसको संधारण करता है जिसमें सरपंच की दस्तकत तो जरूरी रहती है परन्तु उसको स्पष्ट जानकारी नहीं होती है कि किस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है। यह संभव इसलिए होता है क्योंकि सरपंच की शैक्षणिक स्थिति/या उसकी क्षमता निर्माण के लिये किये गये प्रयास इतने मजबूत नहीं होते हैं कि सरपंच सबकुछ अच्छे से समझ पाये। यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि सरपंच की क्षमता निर्माण के लिये किये जा रहे प्रयासों में सुधार लाया जाये तथा कम से कम उन्हें रोज काम आने वाले दस्तावेजों को जानने/समझने का प्रशिक्षण दिया जाये। इस दिशा में प्रयास करने होंगे।

५.२.३. निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में पंचायत में कार्य करने के अनुभवों की स्थिति


तालिका क्र. २३ निर्वाचन की स्थिति					
निर्वाचित	अम्बिकापुर	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
प्रथम	75.0	87.5	75.0	87.5	81.3
द्वितीय	25.0	0.0	12.5	12.5	12.5
तृतीय	0.0	12.5	12.5	0.0	6.3
चतुर्थ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्त्रोत - सरपंच साक्षात्कार

उक्त तालिका से स्पष्टता है कि ८१.३ प्रतिशत सरपंच पहिली बार निर्वाचित हुये हैं वहीं १२.५ प्रतिशत सरपंचों को जनता ने दूबारा सरपंच के रूप में निर्वाचित होने का मौका दिया है। सरपंचों के बीच ६.३ प्रतिशत ऐसे सरपंच हैं जो पिछले २ कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं और अभी तीसरे कार्यकाल में सरपंच हैं। वहीं पहलीबार निर्वाचित हुये सरपंचों की क्षमतावृद्धि करने की जरूरत है।

५.२.४. सरपंचों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के आयोजक एवं प्रशिक्षण की सीख

जमीनी स्तर पर लोकतन्त्र प्रणाली को मजबूत करने के अवसरों को ग्राम पंचायत की सक्रियता से ओर मजबूत किया जा सकता है परन्तु इस प्रणाली के लिये पंचायत के मुखियों के पास विशेष क्षमता होनी आवश्यक है। और यह क्षमता निर्माण करने के लिये जमीनी स्तर पर शासकीय, अर्धशासकीय एवं गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। यहां यह प्रयास और भी आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है।



उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि केवल ३४.४ प्रतिशत सरपंचों को प्रशिक्षण दिया गया है वहीं ६५.६ प्रतिशत सरपंचों को उनके निर्वाचन के तीन साल बाद तक भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इस प्रशिक्षण की स्थिति को जिले के बीच तुलनात्मकता से देखने पर स्पष्ट होता है कि महासमुंद जिले में सरपंच के प्रशिक्षण का स्तर अच्छा है जोकि ६२.५ प्रतिशत है वहीं सरगुजा जिले में सरपंच के प्रशिक्षण की स्थिति बहुत ही कमजोर है। सरगुजा जिले में केवल १२.५ प्रतिशत सरपंचों को ही प्रशिक्षण दिया गया है

स्पष्टता यह होती है अधिकांश सरपंच पहली बार निर्वाचित हुये है जिनके बीच शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है । इस स्थिति में उनकी विशेष क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है जबकि बहुत कम सरपंच को प्रशिक्षण उपलब्ध हुआ है जिसका परिणाम पंचायत के कार्यों पर देखा जा सकता है।

प्रशिक्षण के आयोजक

- राज्य ग्रामीण विकास संस्थाण
- जनपद पंचायत

पंचायत सरपंच को सशक्त करने की दृष्टि से राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और जनपद पंचायत द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किये गये है। इसी स्थिति को हम जिलेवार प्राप्त तथ्यों को देखे तो स्पष्ट होता है कि इन दोनों संस्थानों द्वारा राजनांदगांव में प्रशिक्षण आयोजित करने की बात कही गयी है वहीं सरगुजा में केवल जनपद पंचायत द्वारा ही सरपंच को प्रशिक्षण

दिया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टता होती है कि सरपंचों को बहुत कम प्रशिक्षण प्राप्त हुये है वहीं उनके विषय भी पंचायत की लेखा प्रणाली एवं पंचायतों की आय बढ़ाने वाले विषयों पर केंद्रित नहीं है। उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पंचायत सरपंच के साथ कार्ययोजना निर्माण, बजट अनुमान, स्थायी समिति की बैठके एवं पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा हुई है। यदि इन विषयों को देखा जाये तो ये बहुत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है परन्तु केवल संरचना पर ही प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होता है बल्कि संरचना के अन्तर्गत सूक्ष्म घटक एवं उनको

प्रशिक्षण के विषय - सरपंच

- कार्ययोजना निर्माण
- पंचायत राज व्यवस्था
- स्थायी समितियों को सक्रिय करना
- करो की जानकारी

मजबूत करने के तरिकों पर भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन प्रशिक्षणों से पंचायत राज व्यवस्था, बजट की व्यवस्था (निर्माण की प्रक्रियां पर नहीं) रेकार्ड की जानकारी, समितियों की बैठकों पर सरपंचों की मोठी मोठी समझ बनी हुयी है परन्तु सरपंच के साथ विस्तृत चर्चा से स्पष्ट होता है कि उनको एक आधारभूत प्रशिक्षण के साथ साथ पंचायत के सूक्ष्म घटकों पर प्रशिक्षण देना चाहिये जैसे पंचायत स्तर पर योजना निर्माण, बजट निर्माण, पंचायतों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिये संसाधनों की पहचान, लेखा किताबो को समझना आदि।

लेखा जोखा के प्रशिक्षण के लिये केवल सचिव को ही बुलाया जाता है परन्तु सरपंच को भी लेखों के दस्तावेजों पर दस्तकत करनी पड़ती है फिर भी उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है इसलिए जानकारी नहीं है

सरपंच, ग्राम पंचायत गगोली, जिला सरगुजा

इसी मुद्दे को जिलों के बीच तुलनात्मकता में देखने से स्पष्टता होती है कि सबसे अधिक प्रशिक्षण केवल राजनांदगांव जिले में हुये है, वही सरगुजा जिले में सरपंचों को पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। वही बस्तर जिले में बहुत कम विषयों पर प्रशिक्षण हुये है।

प्रशिक्षण से सरपंचों की सीख

- बजट अनुमान बनाना रिकार्ड संधारण करना
- समिति की अलग बैठके
- टैक्स की जानकारी मिली

सरपंचो के साथ की गयी विस्तृत चर्चा के अनुसार उन्हें पंचायत की जानकारी तथा संरचना पर प्रशिक्षण दिये गये है उसके अनुसार ही सरपंचों की समझ निर्मित हुयी है। अध्ययन में पाया गया है कि बजट अनुमान तैयार करना, रिकार्ड संधारण तथा समिति की बैठके आयोजन पर उनकी समझ निर्माण हुयी है परन्तु अध्ययन प्रक्रिया में उनसे गहन चर्चा करने से स्पष्ट होता है कि उनको केवल यह पता है कि पंचायत द्वारा बजट निर्माण, विकास कार्य, पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है और पंचायत में समिति होती है जिसकी बैठके करना आवश्यक है किन्तु कैसे इन कार्यों को संपादित किया जाना है तथा उसकी प्रक्रिया क्या होगी इस पर उनकी कोई विशेष समझ नहीं है।

सरपंच को नहीं पता है कि..	परिणाम
बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है	परिणामतः किसी भी पंचायत में अधिनियम के अनुसार बजट निर्माण नहीं किया जाता है।
किस-किस प्रकार के रेकार्ड होते है और उनकी समीक्षा कैसी की जाती है	रेकार्ड की समीक्षा नहीं कर पाते है, सचिव अपने मर्जी से संधारण करता है। पंचायत में क्या रेकार्ड रखे जा रहें है, उसमें क्या लिखा जा रहा है इसकी जानकारी सरपंच को नहीं है।
समिति की बैठके	किसी भी पंचायत में समिति की नियमित बैठके तो नहीं होती है परन्तु गांव में बीमारी आने पर या खेती किसानी के समय भी संबंधित समिति की बैठक नहीं होती है।

हमने यहां पर केवल उन मुद्दों पर चर्चा की है जिनपर सरपंच द्वारा सीख प्राप्त करने की बात कही गई है अन्य मुद्दों की जानकारी की स्थिति पर आगे चर्चा कर रहे है....

५.२.५. सरपंचों के बीच जानकारी/जागरूकता की स्थिति

सरपंच की जानकारी/जागरूकता की स्थिति का विश्लेषण विशेष रूप से दो मुद्दों पर किया जा रहा है


- ☞ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की क्या जानकारी है,
- ☞ पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी। यह दोनों सवाल एक दूसरे पुरक है परन्तु अतिमहत्वपूर्ण है।

यह विश्लेषण केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि इसके माध्यम से सरपंच की जानकारी का अंदाजा लगाया जाये बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि पंचायत स्तर पर सचिव द्वारा कार्य किया जा रहा है परन्तु सरपंच को पता ही नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं है, जिसका पता लगाया जा सकता है। सरपंच की जानकारी का स्तर एवं उनकी जागरूकता के स्तर से उनकी क्षमता निर्माण के लिये किये गये प्रयासों का केवल आंकलन ही नहीं होगा बल्कि उनकी क्षमता निर्माण के लिये बनाई की जा रही रणनीति के लिये कार्य बिन्दु की पहचान भी की जा सकती है।

५.२.५.१ पंचायत निधि की जानकारी

पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायत में पंचायत निधि की स्थापना होगी जिसके लिये बैंक में खाता खोला जावेगा। पंचायत निधि वे सभी राशि कहलायेगी जो पंचायत को विभिन्न योजना से प्राप्त होती है। इस राशि का संचालन सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना अनिवार्य है।


पंचायत निधि की जानकारी के संबंध में अध्ययन में पाया गया है कि ७५.० प्रतिशत सरपंचों को जानकारी है कि पंचायत निधि ग्राम पंचायत में होती है परन्तु अध्ययन में यह भी पाया गया है कि सरपंच के बीच पंचायत निधि की स्पष्ट जानकारी नहीं है। सरपंचों के अनुसार 'पंचायत में प्राप्त मूलभूत, १३ वे वित्त व अपने स्रोतों से प्राप्त राशि को ही पंचायत निधि कहते हैं'। अधिनियम में कहा गया है कि वे सभी पंचायत निधि है जो विभिन्न योजना के तहत पंचायत में प्राप्त होती है परन्तु यह जानकारी/समझ सरपंचों के बीच नहीं है। पंचायत में अलग अलग योजनाओं के अलग अलग खाते होते हैं इसलिए सरपंच नहीं समझ पाते हैं कि पंचायत निधि और पंचायत का खाता अलग से होता है या वही सभी खाते पंचायत निधि के हैं जो अलग अलग योजनाओं के तहत खुलाये गये हैं।



सरपंच के बीच एक मात्र स्पष्टता है कि पंचायत के हर खाते का संचालन सचिव व सरपंच के सयुक्त हस्ताक्षर से ही होता है। परन्तु पंचायत निधि एवं उसके खातों की जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

५.२.५.२ बजट निर्माण की जानकारी

तथ्यों से स्पष्ट है कि ६२.५ प्रतिशत सरपंचों को उनके पंचायत में तैयार किये जा रहे बजट अनुमान की जानकारी है वहीं ३७.५ प्रतिशत सरपंच को पता ही नहीं है कि उनके पंचायत में बजट निर्माण किया जाता है या नहीं। पंचायत स्तर पर बजट निर्माण करने की जानकारी नहीं है यह कहने वाले सरपंच में ऐसे भी सरपंच शामिल हैं जिन्होंने पंचायत स्तर पर बजट नहीं निर्माण होने की बात कही है।



बजट निर्माण की जानकारी को जिलेवार तुलनात्मकता से देखने पर स्पष्ट होता है कि राजनांदगांव व महासमुंद के ७५.० प्रतिशत सरपंचों को पता है कि उनके पंचायत में बजट अनुमान तैयार किया जाता है जो अन्य जिलों से अधिक है वहीं बस्तर जिले में सबसे कम ३७.५ प्रतिशत सरपंचों को पता है कि उनके पंचायत में बजट अनुमान तैयार किया जाता है।

यह केवल बजट निर्माण की शब्द की जानकारी हुई है परन्तु अध्ययन के दौरान बजट निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी की स्थिति भी समझने का प्रयास किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण एवं गतिविधि पूर्ण करने के लिये अनुमानित राशि का निर्धारण किया जाता है यह कार्य इसलिए किया जाता है। क्योंकि जनपद द्वारा विभिन्न योजना के तहत योजना निर्माण करने के निर्देश पंचायतों को दिये जाते हैं, जैसे - बीआरजीएफ, मनरेगा की योजना निर्माण करना। जिसके कारण सरपंच के बीच वार्षिक बजट अनुमान करने की स्पष्टता बहुत कम है, परन्तु वहीं सरपंचों के बीच पंचायत की बैठक में गतिविधि निर्माण एवं उसको पूर्ण करने के लिये अनुमानित मांग जनपद में भेजने की जानकारी का प्रमाण बहुत अधिक है जैसा की निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका क्र २४. प्रक्रिया की जानकारी					
प्रक्रिया	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
स्थायी समितियों द्वारा आगामी वर्ष के लिये कार्यक्रमों का निर्माण करना	12.50	0.00	0.00	0.00	3.13
स्थायी समितियों द्वारा सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष प्रस्तुति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जनपद द्वारा ग्राम पंचायत को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय वर्ष के लिये सामान्य प्रशासन समिति द्वारा योजना एवं बजट अनुमान का प्रारूप निर्माण	25.00	12.50	12.50	0.00	12.50
पंचायत की बैठक में योजना एवं बजट पर चर्चा	37.50	100.00	37.50	75.00	62.50

तालिका क्र २४. प्रक्रिया की जानकारी					
प्रक्रिया	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
योजना एवं बजट को ग्राम सभा में अनुमोदन के लिये पंचायत द्वारा प्रस्तुत	62.50	100.00	50.00	62.50	68.75
पंचायत द्वारा बजट जनपद को प्रेषित करना	62.50	87.50	37.50	50.00	59.38
स्त्रोत - सरपंच साक्षात्कार					

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि

- ✓ पंचायत की बैठक में योजना निर्माण एवं उसके लागत का अनुमान करने की जानकारी सरपंचों के बीच पायी जाती है वही बजट निर्माण प्रक्रिया की जानकारी उनके बीच नहीं पायी जाती है जैसे बजट अनुमान प्रक्रिया में कहा गया है कि स्थायी समितियों द्वारा आगामी साल के कार्यक्रमों का निर्धारण किया जावेगा उनका प्रस्तुतिकरण सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष किया जावेगा। सामान्य प्रशासन समिति द्वारा अगले साल का बजट अनुमान का प्रारूप तैयार किया जावेगा परन्तु इस प्रक्रिया की जानकारी सरपंच के बीच बिलकुल भी नहीं है इस में अपवाद केवल सरगुजा जिले का दिखाई देता है।
- ✓ ६५ से ७० प्रतिशत सरपंचों ने कहा है कि उनकी पंचायत में योजना निर्माण व अनुमानित बजट निर्माण पर चर्चा होती है व उसका अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है उसके पश्चात जनपद पंचायत को भेजा जाता है परन्तु यह प्रक्रिया अधिनियम में नहीं है। अधिनियम यह कहता है कि पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा अनुमान का प्रारूप तैयार किया जावेगा जिस पर ग्राम पंचायत की बैठके में चर्चा कर अंतिम रूप दिया जावेगा और अनुमोदन के लिये जनपद पंचायत में भेजा जाना अनिवार्य है। परन्तु सरपंचों के अनुसार उनके पंचायत में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात जनपद में प्रेषित किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है एक सरपंच को यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है और उसका अनुमोदन ग्राम सभा नहीं उप संचालक, पंचायत विभाग द्वारा किया जाता है।
- ✓ अध्ययन में केवल वार्षिक योजना और वार्षिक बजट निर्माण पर गहन चर्चा की गई थी इसलिए यह प्रमाण ६५ से ७० प्रतिशत तक दिखाई देता है, अन्यथा वर्ष में कई बार पंचायत द्वारा विविध योजना के तहद गतिविधियों का निर्धारण और अनुमानित लागत की राशि की मांग जनपद से की जाती हैं। जिसके लिये वर्ष भर यह प्रक्रिया जारी रहती है। इस स्थिति से शतप्रतिशत सरपंच सहमत है।
- ✓ इस स्थिति को जिले के बीच बाटकर देखने से स्पष्टता होती है कि राजनांदगांव जिले में शतप्रतिशत पंचायत सरपंचों ने कहा है कि उनकी बैठक में योजना निर्माण पर चर्चा होती है जिसमें खर्च के अनुमान का निर्धारण किया जाता है। इस बजट का अनुमोदन ग्राम सभा की बैठक में किया जाता है। राजनांदगांव के ७५ प्रतिशत सरपंचों द्वारा इस प्रक्रिया को बजट तैयार करने का हिस्सा बताया गया है वही २५ प्रतिशत सरपंच द्वारा जनपद के निर्देश पर विशिष्ट योजना के तहद गतिविधियों के निर्धारण की बात कही गई है।
- ✓ सबसे कमजोर स्थिति बस्तर जिले में देखी जाती है जहां पर केवल ३७ से ५० प्रतिशत सरपंचों को पता है कि पंचायत स्तर पर योजना निर्माण व उसके बजट अनुमान पर चर्चा होती है।

बजट निर्माण एवं उसकी प्रक्रिया की जानकारी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सरपंचों के बीच बजट अनुमान तैयार करने के नाम से जानकारी नहीं है, परन्तु पंचायत बैठक स्तर पर योजना निर्माण, गतिविधियों का निर्धारण एवं बजट तैयार करने की जानकारी उनके बीच है। उनको यह नहीं पता है कि

बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसलिये पंचायत स्तर पर हुई चर्चा को अधिकांश सरपंच स्वीकार करते हैं। वही बजट निर्माण की बात को बहुत कम सरपंच को स्वीकार करते हैं। अतः विश्लेषण से स्पष्टता यह होती है कि सरपंचों के बीच प्रावधानों के अनुसार बजट निर्माण की जानकारी नहीं है जिसके कारण बजट निर्माण के नाम से बहुत कम सरपंच जानते हैं वही विविध योजना के अन्तर्गत गतिविधियों का निर्धारण और उसकी अनुमानित लागत अंदाज करते हुये ग्रामसभा के अनुमोदन से जनपद पंचायत प्रेषित करने की स्थिति अधिकांश सरपंचों को पता है।

इस प्रकार सरपंचों के बीच भ्रम पाया जाता है कि वार्षिक कार्ययोजना व वार्षिक बजट अनुमान क्या है और अलग-अलग योजना के तहत जनपद पंचायत को भेजी गयी योजना एवं उसकी राशि क्या है। इसलिए सरपंच के बीच बजट निर्माण की कानूनी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी नहीं बन पाती है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम पंचायत में एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही बजट अनुमान किया जावे ताकि बार बार अलग अलग योजना के तहत किये जा रहे अनुमान से भ्रम निर्माण न हों।

५.२.५.३. लेखा संधारण/लेखो की जानकारी का स्तर

यहां पर केवल पंचायत में लेखा संबंधित दस्तावेजों की जानकारी की स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है। जो इस प्रकार है...

तालिका क्र २५ दस्तावेजों की जानकारी					
दस्तावेजों के नाम	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
रोकड़ बही	75.0	75.0	87.5	100.0	84.4
रसीद कट्टा	37.5	25.0	50.0	87.5	50.0
रसीद पुस्तक का मूल (स्टॉक) लेखा	50.0	0.0	25.0	75.0	37.5
बील पंजी	50.0	62.5	25.0	75.0	53.1
वेतन बील	62.5	12.5	25.0	37.5	34.4
यात्रा भत्ता बील	62.5	0.0	25.0	0.0	21.9
आकस्मिक व्यय बील	37.5	25.0	12.5	0.0	18.8
प्राप्ति संक्षेप पंजी	50.0	75.0	25.0	25.0	43.8
व्यय पंजी	50.0	100.0	25.0	37.5	53.1
वसूली योग्य अग्रिम की पंजी	50.0	0.0	0.0	0.0	12.5
पेशगी रेकाड़ बही	37.5	25.0	0.0	0.0	15.6
विशिष्ट प्रयोजन अनुदान का लेखा	25.0	0.0	0.0	0.0	6.3
कर्मचारियों से ली गयी प्रतिभूतियों की पंजी	37.5	0.0	0.0	0.0	9.4
अचल संपत्ति की पंजी	50.0	50.0	12.5	12.5	31.3
स्तोत - सरपंच साक्षात्कार					

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि


- ✓ पंचायत के लेखा दस्तावेजों में से सबसे अधिक जानकारी रोकड़ बही की सरपंचों में पायी गयी है जैसा कि ८४.४ प्रतिशत सरपंचों को पंचायत में संधारित की जा रही रोकड़ बही की जानकारी

है। जिसमें शतप्रतिशत अच्छा स्तर महासमुंद जिले का दिखाई देता है और कमजोर स्तर बस्तर जिले का है।

- ✓ पंचायत सरपंच के बीच सबसे कम जानकारी विशिष्ट कार्यों के लिये प्राप्त अनुदान के दस्तावेजों की है जोकि केवल ६ प्रतिशत है। इसी बात को पंचायत के बीच बाटकर देखने से स्पष्टता होती है कि जो भी जानकारी इस दस्तावेज की पायी गयी है वो केवल सरगुजा जिले में है वही अन्य जिलो में इस दस्तावेज की जानकारी बिलकुल नहीं हैं।
- ✓ वित्तीय दस्तावेजो में महत्वपूर्ण बील पंजी व व्यय पंजी होती है परन्तु उसकी भी जानकारी केवल ५३.९ प्रतिशत सरपंचो में पायी गई है जिसमें बस्तर जिले का बहुत कम और महासमुंद जिले का ७५ प्रतिशत स्तर पाया गया है।


अध्ययन में पाया गया है कि जिन दस्तावेजो का उपयोग पंचायत स्तर पर अधिक मात्रा में होता है उनकी जानकारी का स्तर बेहतर है जैसे रोकड़ बही, इसके उलट जिन दस्तावेजो का उपयोग पंचायत में बहुत कम किया जाता है उनकी जानकारी बहुत कम पायी जाती है जैसे विशिष्ट कार्य के लिये अनुदान राशि दस्तावेज, आदि।

वित्तीय अंकेक्षण की जानकारी का स्तर




स्रोत - सरपंच साक्षात्कार

उक्त तालिका से स्पष्टता होता है कि केवल ४६.९ प्रतिशत सरपंचो को वित्तीय संपरीक्षा की जानकारी है वही ५० प्रतिशत सरपंचो को ग्राम पंचायत में किये जा रहे वार्षिक वित्तीय अंकेक्षण की जानकारी नहीं है परन्तु यह आन्तरिक अंकेक्षण है। इसी बात को जिलो के बीच तुलनात्मकता से देखने पर स्पष्टता होती है कि सबसे बेहतर स्थिति राजनांदगांव जिले की है वही कमजारे स्थिति सरगुजा और बस्तर में दिखाई देती है जो क्रमशः ७५, ७५ प्रतिशत ही है। सरपंच के बीच विभागीय आन्तरिक अंकेक्षण की जानकारी है। स्थानीय निधि संपरिक्षा की जानकारी सरपंच के बीच नहीं है।



स्त्रोत - सरपंच साक्षात्कार

पंचायत के पास पारदर्शिता एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त करने का एक मात्र रास्ता सामाजिक अंकेक्षण का होता है उसके अनुपालन की जानकारी की स्थिति का आंकलन करने से स्पष्टता होती है कि ६०.६ प्रतिशत सरपंचों को पता है कि उनके पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण किये गये है जिसमें ६२.५ प्रतिशत सरपंचों के अनुसार ग्राम पंचायत में एक सामाजिक अंकेक्षण हुआ है वही २८.९ प्रतिशत सरपंचों के अनुसार उनके पंचायत में २ बार सामाजिक अंकेक्षण हुआ है। इसी मुद्दे को जिलेवार देखने से स्पष्ट



होता है कि सरगुजा एवं राजनांदगांव जिले में बेहतर स्थिति है जहां पर शतप्रतिशत सरपंच को पता है कि उनकी पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण हुये है।

पंचायत द्वारा किये जा रहे सामाजिक अंकेक्षण के मुद्दों की जानकारी की

स्थिति के विश्लेषण से स्पष्टता होती है कि ६२.९ प्रतिशत सरपंचों को पंचायत द्वारा किये जा रहे सामाजिक अंकेक्षण के विषयों पर चर्चा के मुद्दों की जानकारी है वही ३७.६ प्रतिशत सरपंचों को जानकारी ही नहीं है कि उनके पंचायत में किये गये सामाजिक अंकेक्षण के मुद्दे क्या थे। जिनको मुद्दों की जानकारी है उनके द्वारा बताये गये मुद्दों को समाजिक अंकेक्षण की स्थिति एवं गुणवत्ता में शामिल किया गया है।


इसी विषय को जिलेवार बाटने से स्पष्टता होती है कि महासमुंद में शतप्रतिशत सरपंचो को जानकारी है कि सामाजिक अंकेक्षण के मुद्दे क्या थे वहीं सरगुजा जिले में बहुत कम २५.० प्रतिशत सरपंचो को ही पता है कि सामाजिक अंकेक्षण के मुद्दे क्या थे।

उक्तानुसार तीनों सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी की स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि वित्तीय अंकेक्षण की तुलना में सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी सरपंचो के बीच अधिक पायी जाती है वहीं वित्तीय अंकेक्षण, विशेष अंकेक्षण की जानकारी बहुत कम पायी जाती है।

अध्ययन में पाया गया है कि सरपंचो के बीच वित्तीय अंकेक्षण की स्पष्टता नहीं है उनको केवल यह पता है कि पंचायत में वित्तीय अंकेक्षण होता है, कुछ सरपंच इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी होते हैं परन्तु वार्षिक सामान्य वित्तीय अंकेक्षण और विशेष अंकेक्षण में अंतर की जानकारी नहीं होती है। सरपंच के पास बहुत स्पष्टता करने के बाद उनके द्वारा कहा जाता है कि कुछ योजनाओं का आडिट अलग अलग ही होता है तो पंचायत का भी साल में एक बार किया जाता है।

सचिव कभी भी पंचायत का खाता, वित्तीय अंकेक्षण पर मेरे साथ चर्चा नहीं करते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा किये जा रहे अंकेक्षण की जानकारी नहीं है। सचिव जहां कहता है वहां पढ़ने के बाद ही दस्तकत करते हैं परन्तु जबतक सचिव विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करेंगे तब तक दस्तवेजो को समझना कठिन होता है और यह आसान नहीं है कि सचिव को हर समय पूछते ही रहे इसलिए कभी कभी बीना पूछते ही दस्तकत कर देते हैं इसके कारण सभी दस्तावेजो को नहीं समझ पाते हैं

५.२.५.४. ग्राम पंचायत में वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण की जानकारी



ग्राम पंचायत द्वारा अपना वार्षिक प्रशासकीय एवं लेखा प्रतिवेदन निर्माण किया जाना अनिवार्य है परन्तु उसकी जानकारी बहुत कम सरपंच को है।

जानकारी की स्थिति के विश्लेषण से स्पष्टता होती है कि बहुत कम सरपंचो को पता है कि उनकी पंचायत के द्वारा वार्षिक लेखा और प्रशासकीय प्रतिवेदन का निर्माण किया जाता है जो क्रमशः ३१.३ व १२.५ प्रतिशत है। इसी स्थिति को जिलेवार बाटकर देखने से स्पष्टता होती है कि वार्षिक लेखा प्रतिवेदन


निर्माण की जानकारी महासमुंद जिले में औसतन दिखाई देती है वहीं सरगुजा जिले में बहुत कमजोर स्थिति है। वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन निर्माण की जानकारी सरगुजा व राजनांदगांव जिले में २५ प्रतिशत सरपंचो तक दिखाई देती है वहीं यह अन्य जिलो में शून्य हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी में लेखा प्रतिवेदन की जानकारी का प्रमाण अधिक है वहीं प्रशासकीय प्रतिवेदन की जानकारी बहुत कम है। अक्सर यह दोनो प्रतिवेदन निर्माण करने का प्रपत्र एक ही है परन्तु अधिक स्पष्टता के लिये अलग अलग चर्चा की गई है। अलग-अलग और विस्तृत चर्चा से स्पष्ट हुआ है कि पंचायत द्वारा किये जा रहे वित्तीय आडिट रिपोर्ट को ही सरपंचो द्वारा वार्षिक लेखा प्रतिवेदन समझा जा रहा है जिसके कारण वार्षिक लेखा प्रतिवेदन निर्माण की जानकारी प्रशासकीय प्रतिवेदन के तुलना में बेहतर दिखाई देती है।

५.२.५.५ पंचायत में वित्तीय अंतरण के स्रोतो की जानकारी

पंचायत में उसके आन्तरिक स्रोत तथा बाह्य स्रोतो से आय प्राप्त होती है । यहां पर पंचायत को बाह्य स्रोतो से होने वाले वित्तीय अंतरण की जानकारी की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण इस लिये भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत का मुखीया होने के कारण सरपंच को पता होना आवश्यक है कि पंचायत में किस-किस योजनाओं का पैसा किस-किस माध्यम से प्राप्त होता है । लिहाजा यहां पर वित्तीय अंतरण से संबंधित सरपंच की जानकारी का विश्लेषण किया गया है। जिसके लिये अधिक उपयोग में आने वाली योजनाओं को ही शामिल किया गया है जिसमें सांसद निधि, विधायक निधि, वित्त आयोग, एसजीएसवाय, मनरेगा आदि योजना शामिल है।

सरपंचो के बीच वित्तीय अंतरण की जानकारी



तथ्यो से स्पष्ट है कि सांसद निधि की जानकारी केवल २८.१ प्रतिशत सरपंचो को ही है, जिसका वितरण जनपद पंचायत के माध्यम से होता है। अन्य सरपंचो को तो पता ही नहीं है कि सांसद निधि के अंतरण का माध्यम क्या है।

इंदिरा आवास बहुत प्रचारीत योजना है, परन्तु उसके वित्तीय अंतर की जानकारी भी बहुत कम सरपंचो को है, वही एसजीएसआय की और बहुत कमजोर स्थिति है।

योजनाओं में मनरेगा महत्वपूर्ण योजना है परन्तु २५.० प्रतिशत सरपंचो को पता ही नहीं है कि उसके पैसा का अंतरण कहां से होता है। वहीं वित्त आयोग द्वारा प्राप्त की जा रही राशि के स्रोत की भी जानकारी

नहीं है। उक्त जानकारी में सरपंच द्वारा स्पष्ट किया गया था कि इंदिरा आवास व एसजीएसवाय योजना की राशि प्रत्यक्ष हितग्राही को प्राप्त होती है इसलिये उसकी जानकारी नहीं होती है, परन्तु मनरेगा, वित्त आयोग की राशि से पंचायत द्वारा ही कार्य किये जाते हैं फिर भी सरपंच को पता नहीं है कि यह राशि

कहा से प्राप्त होती है। जिस वर्ग को राशि प्राप्त होने के माध्यमों की जानकारी है उनके बीच भी एकता नहीं दिखाई देती है कुछ लोगो ने कहा है कि वित्त आयोग की राशि जिले से प्राप्त होती है वही कुछ लोगो का कहना है कि वित्त आयोग की राशि जनपद से प्राप्त होती है।

विश्लेषण से स्पष्टता होती है कि शतप्रतिशत सरपंचो के बीच उनको प्राप्त होने वाले राशि के माध्यमो की जानकारी नहीं है । जिनको भी जानकारी है वहां पर जिला एवं जनपद के बीच भ्रम है।

सरपंच की जागरूकता से संबंधित मुख्य मुद्दे

- ☞ अध्ययन के अनुसार पंचायत में किये जा रहे कार्यों की ही जानकारी सरपंचों के बीच है जिसकी सत्यता पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों के दस्तावेजों के हस्ताक्षर से होता है।
- ☞ सरपंचों के बीच महिलाओं के अनुपात में देखा गया है कि महिला सरपंचों का अनुपात बहुत अधिक है परन्तु वास्तविकता में पाया गया है कि महिला सरपंच के पति ही कार्यकारी कार्यकर्ता हैं जिसके कारण महिला सरपंच को जानकारी बहुत कम है।
- ☞ अध्ययन में पाया गया है कि महिला सरपंच के साथ चर्चा करते समय अधिकांश उसके पति द्वारा ही जवाब दिया जाता था, परन्तु अध्ययन की महत्ता समझाने के कारण अधिकांश स्थान पर सरपंच पति ने सहयोग किया है।
- ☞ अध्ययन के दौरान कई महिला सरपंच के स्वीकार किया है कि “उनको जानकारी नहीं होने का मुख्य कारण उनके पति द्वारा ही पंचायत का कार्य देखना है” । जिसके कारण महिला सरपंच पंचायत के कार्यों से बहुत अच्छी तरह परिचित नहीं हैं।
- ☞ सरपंचों के बीच शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है जिसका प्रभाव उसकी जागरूकता पर दिखाई देता है।
- ☞ ८१.० प्रतिशत से अधिक सरपंच पहली बार निर्वाचित हुये हैं, जिनके कार्यकाल को तीन साल हो रहे हैं परन्तु उनकी क्षमता निर्माण के प्रयास मजबूत नहीं होने के कारण पंचायत के प्रति जागरूकता कम दिखाई देती है।
- ☞ अध्ययन में पाया गया है कि सरपंच किताबी भाषा को बहुत कम समझते हैं जिसके कारण उनको दस्तावेजों को भी समझना मुश्किल होता है, परन्तु सचिव के समझाने पर समझ जाते हैं । यहां सवाल यह है कि सचिव से कार्य कराने का अधिकार सरपंच के पास है परन्तु सरपंच ही पंचायत के दस्तावेजों को सचिव की मदद से समझता है।

अतः यह आवश्यक होता जाता है कि पंचायत की मूल संरचना एवं उसके दस्तावेज व हिसाब-किताब की जानकारी सरपंच को होना आवश्यक है ताकि वे सचिव से काम करा पायें व बजट निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ पायें। इसलिये सरपंच को केवल पंचायत की जानकारी तथा उसके अधिकार पर ही प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है बल्कि पंचायत की प्रक्रिया एवं दस्तावेजों पर भी प्रशिक्षण आवश्यक है।

५.३ ग्राम पंचायत के सचिव में जानकारी का स्तर


ग्राम पंचायत को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने, क्रियान्वित/संचालित करने और पंचायत में लम्बे समय तक कार्य करने वाला/अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला एक मात्र सचिव ही होता है। अतः आवश्यक यह हो जाता है कि सचिव के पास न्यूनतम क्षमताएं मौजूद हों ताकि वो सरपंच को तकनीकी सहयोग कर पाये सचिव की वर्तमान स्थिति को चयनित पंचायतों में समझने के लिये

- ✓ सचिव का सामाजिक व शैक्षणिक स्तर
- ✓ सचिव की क्षमता निर्माण के लिये किये गये प्रयास
- ✓ सचिव के बीच जानकारी की स्थिति को विश्लेषित किया गया है।

५.३.१ सचिव का सामाजिक व शैक्षणिक परिचय

सचिव के सामाजिक व शैक्षणिक परिचय में उसके शैक्षणिक स्थिति के आधार के साथ सचिवों में महिला सचिव का अनुपात तथा सामाजिक वर्गवार स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

ग्राम पंचायत सचिवों में महिला सचिव का अनुपात



तथ्यों से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये ग्राम पंचायत के सचिव में महिला सचिवों का अनुपात बहुत ही कम है। जो कुल सचिव का केवल ९.४ प्रतिशत ही है वहीं ९०.६ प्रतिशत पुरुष सचिव है।

इस विश्लेषण से यह स्पष्टता है कि पुरुष सचिवों की तुलना में महिला सचिवों का प्रमाण बहुत कम है जिसका प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव महिला सरपंच की सक्रियता पर संभावित है।

सामाजिक वर्गवार स्थिति

तालिका क्र २६ सचिवों की सामाजिक वर्गवार स्थिति					
	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
अनूसूचित जाति	12.5	12.5	0.0	12.5	9.4
अनूसूचित जनजाति	12.5	37.5	75.0	0.0	31.3
पिछड़ा वर्ग	37.5	25.0	25.0	87.5	43.8
सामान्य	37.5	25.0	0.0	0.0	15.6
अन्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्त्रोत - सचिव साक्षात्कार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि

- ☞ सबसे अधिक सचिव पिछड़ा वर्ग समुदाय से हैं वहीं सबसे कम सचिव अनूसूचित जाति समुदाय के हैं। सचिवों में ३१.३ प्रतिशत अनूसूचित जाति की भी भागीदारी दिखाई दे रही है जो अन्य जाति की तुलना में औसतन ठिक ही है।
- ☞ सचिवों की सामाजिक स्थिति को जिलेवार बांटकर देखने से स्पष्टता होती है कि महासमुंद जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के सचिवों का प्रमाण अधिक है वहीं बस्तर जिले में अनूसूचित जनजाति के सचिव का प्रमाण अन्य जिलों की तुलना में अधिक है।

५.३.२ शैक्षणिक स्थिति एवं कार्यअनुभव

तालिका से स्पष्ट होता है कि ६८.७ प्रतिशत सचिवों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है जिसमें ४६.६ प्रतिशत स्नातक और २१.६ प्रतिशत स्नातकोत्तर सचिव शामिल हैं।

सचिवों की शैक्षणिक स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि महासमुंद जिले के १०० प्रतिशत सचिव उच्च शिक्षा प्राप्त

तालिका क्र २७. सचिवों की शैक्षणिक स्थिति					
	अम्बिकापुर	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
निरक्षर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
साक्षर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्राथमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	25.0	25.0	75.0	0.0	31.3
उच्चतर माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
स्नातक	50.0	62.5	25.0	50.0	46.9
स्नातकोत्तर	25.0	12.5	0.0	50.0	21.9
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्त्रोत - सचिव साक्षात्कार

किये हैं जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षा सचिवों ने प्राप्त की है वहीं बस्तर जिले में ७५.० प्रतिशत सचिव उच्च माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की है। राजनांदगांव व सरगुजा जिले में सचिवों के बीच उच्च शिक्षा का प्रमाण ७५ - ७५ प्रतिशत दिखाई देता है। सचिवों की शैक्षणिक स्थिति के विश्लेषण से स्पष्टता होती है कि सचिवों के बीच उच्च शिक्षा का प्रमाण बहुत अच्छा है जिसमें महासमुंद, सरगुजा व राजनांदगांव की स्थिति मजबूत है।

सचिवों का कार्यानुभव


व्यक्ति का कार्यानुभव उसके द्वारा किये जा रहे कार्यों में गुणात्मक बदलाव लाता है लिहाजा सचिवों के कार्यकाल का विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्र २८ कार्यानुभव					
नियुक्ति वर्ष	सरगुजा	राजनांदगांव	बस्तर	महासमुंद	कुल
1995 to 2000	25.0	62.5	50.0	50.0	46.9
2001 to 2004	12.5	0.0	12.5	0.0	6.3
2005 to 2010	37.5	25.0	37.5	0.0	25.0
2010 to 2011	25.0	12.5	0.0	50.0	21.9
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ४६.९ प्रतिशत सचिव सन १९९५ से कार्य कर रहे हैं। इन सचिवों के पास १५ से १७ साल कार्य करने का अनुभव है वहीं २०१०-११ से केवल २१.९ प्रतिशत सचिव कार्य कर रहे हैं। इसी स्थिति को जिलेवार देखने से स्पष्टता होती है कि राजनांदगांव में ६२.५ प्रतिशत सचिव पिछले १५ से १७ साल से सचिव का कार्य कर रहे हैं वहीं महासमुंद जिले में ५० प्रतिशत सचिव पिछले २ साल से कार्य कर रहे हैं। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सचिवों के पास कार्य करने का अनुभव है। कार्य की गुणवत्ता का अंदाज उनकी जानकारी के स्तर से लगाया जा सकता है।

५.३.३ सचिवों का प्रशिक्षण, आयोजक एवं उनकी सीख

ग्रामपंचायत एक महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग सचिव है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम पंचायत का सचिव हर मोड़ पर मजबूत रहे ताकि अपने सरपंच को तकनीकी सलाह दे पाये। इस दिशा में बहुत प्रयास किये जा रहे हैं, यहां पर उन प्रयासों एवं उनके परिणामों का विश्लेषण किया गया है।



तालिका से स्पष्ट है कि कुल सचिवों में ८७.५ प्रतिशत सचिवों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है परन्तु इन प्रशिक्षणों की गुणवत्ता की स्थिति का अंदाजा उनके विषय एवं सचिव की सीख से लगाया जा सकता है।

प्रशिक्षण की स्थिति को जिले के बीच देखने से स्पष्टता होता है कि महासमुंद जिले में शतप्रतिशत सचिवों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है वहीं अन्य जिलो में भी प्रशिक्षण का स्तर बेहतर है जो ७५.० प्रतिशत से अधिक ही है।

सचिवों की क्षमतावर्धन के लिये प्रशिक्षण आयोजनकर्ता संस्थाओं को देखने से स्पष्टता होती है कि शासकीय संस्थाओं के साथ साथ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी सचिवों की क्षमता निर्माण के लिये प्रयास किये गये है। इस में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास संस्थान, सचिव प्रशिक्षण केंद्र चंदखुरी, गैर सरकारी संथा, योजना मण्डल, उपसंचालक पंचायत विभाग, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत शामिल है। इसी स्थिति को जिलेवार

सचिवों का प्रशिक्षण आयोजनकर्ता

- ✓ ग्रामीण विकास संस्थान
- ✓ सचिव प्रशिक्षण केंद्र चंदखुरी
- ✓ गैर सरकारी संस्था
- ✓ जिला पंचायत,
- ✓ जनपद पंचायत
- ✓ योजना मण्डल,
- ✓ सचिव प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर
- ✓ उपसंचालक, पंचायत विभाग

देखने से स्पष्टता होती है कि ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा राजनांदगांव व बस्तर जिले में प्रशिक्षण आयोजित किये गये है वहीं गैर सरकारी संस्था द्वारा केवल राजनांदगांव में ही प्रशिक्षण आयोजित किये गये है वहीं प्रशिक्षण प्रक्रिया सबसे अधिक भूमिका जनपद पंचायत एवं जिल पंचायत की दिखाई देती है जो सभी जिलों में है। विशेषतः सरगुजा जिले में उपसंचालक, पंचायत विभाग द्वारा सचिवों को प्रशिक्षित करने के प्रयास किये गये है इसके अलावा किसी भी जिले में नहीं पाया गया है।

प्रशिक्षण के विषय

- ✓ पंचायत राज अधिनियम,
- ✓ दस्तावेजों का संधारण
- ✓ केस बुक/लेजर संधारण,
- ✓ बजट अनुमान,
- ✓ दोहरा लेखा प्रणाली
- ✓ प्रिया साफ्टवेयर

सचिव को दिये गये प्रशिक्षण के विषयों को विश्लेषित करने पर स्पष्टता होती है कि सरपंच के प्रशिक्षण के विषय सचिव के प्रशिक्षण विषय से भिन्न नहीं है, अंतर यह है कि सरपंचों की तुलना में सचिवों को अधिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है जिसका मुख्य कारण यह है कि यहां अधिकांश सचिव १९९५ से कार्यरत है। मतलब उनके अनुभव को १५ साल हो रहे है। अर्थात इसके परिणाम पंचायतों की कार्यप्रणाली पर दिखायी देना चाहियें।

इन्ही विषयों को जिलेवार बाटने से स्पष्टता होती है कि लगभग सभी जिलो में इन विषयों पर सचिवों का प्रशिक्षण किया गया है। कुछ अंतर बस यह दिखायी देता है कि राजनांदगांव जिले में दोहरा लेखा प्रणाली विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है वहीं बस्तर में प्रिया साफ्टवेयर विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है वहीं सरगुजा जिले में बीआरजीएफ, मनरेगा योजना के अन्तर्गत लेखा प्रणाली पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात सचिव द्वारा कही गयी है।

सचिव प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे

✓ सरपंच के प्रशिक्षण से जुड़े हुये मुद्दे यहां पर भी दिखायी देते है जैसे सन १९९५ के बैच व २००० के आसपास के बैच में सेवा में शामिल हुये सचिवों को करीबन १५-१५ दिन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है वही सन २००० के बाद सेवा में शामिल हुये सचिवों को लगातार १५ दिन के प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुये है।

✓ विविध योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिवों के प्रशिक्षण बहुत हुये है परन्तु पंचायतों का बजट निर्माण, लेखा प्रणाली एवं करारोपण पर गहनता से प्रशिक्षण बहुत कम हुये है।

✓ सन २००२ के बाद सचिवों को लगभग ४ दिन, २ दिन या एक दिन के ही प्रशिक्षण प्राप्त हो रहे है।

✓ प्रशिक्षण की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि उपरोक्तानुसार विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त होने की बात कही गयी है परन्तु पंचायत में वास्तविक रूप से उसका उपयोग नहीं दिखायी देता है जैसे किसी भी पंचायत में अधिनियम के अनुरूप बजट निर्माण नहीं किया जाता है, अधिनियम के अनुसार किसी भी पंचायत में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जा रहा है।

2 से ४ दिन के प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होते है। प्रशासनिक अधिकारी को साल भर प्रशिक्षण दिया जाता है फिर हमारे उपर गांव स्तर पर शासन की सभी योजनाएं क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी है फिर हम लोगो को एक माह भर का भी प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता है। पंचायत में आकर कोई भी पंचायत की धारा पढ़ाकर चला जाता है परन्तु कई वर्षों की नौकरी के बाद भी हम रेकार्ड लिखने के अलावा पंचायत को नहीं समझ पाये है।

सही मायने में सरपंच को सहयोग करने की हमारी जिम्मेदारी होती परन्तु हम ही पंचायत को नहीं समझते है।

हमें पशिक्षण चाहीये

- करीबन ३ से ४ माह
- लेखा संधारण, प्रबंध,
- धारा पर
- योजना निर्माण पर
- नयी योजना क्रियान्वयन पर उदा: १३ वित्तआयोग
- कम्प्युटर के उपयोग पर

सचिव, ग्राम पंचायत

प्रशिक्षण से सचिवों की विशेष सीख

सचिवों के प्रशिक्षण प्रणाली में विशेष मुद्दे उभरते हुये दिखाई दे रहे हैं परन्तु महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रशिक्षणों के माध्यम से सचिवों ने क्या सीख प्राप्त की है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है।

विश्लेषण से स्पष्टता होती है कि विविध प्रशिक्षण के माध्यम से सचिवों को पंचायत अधिनियम की जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ पंचायत कार्यप्रणाली एवं कुछ दस्तावेजों का संधारण व करारोपण की जानकारी सचिवों को प्राप्त हुई है।

इन ही तथ्यों को जिलेवार बांटकर देखने से स्पष्ट होता है कि लगभग चारो जिले में इन विषयों पर सचिवों के प्रशिक्षण किये गये हैं परन्तु गहन अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सचिवों को प्रशिक्षण पंचायत के महत्वपूर्ण घटकों पर दिया गया है परन्तु उन घटकों के गहराई तक पहुचने के प्रयास नहीं के बराबर हुये हैं परिणामस्वरूप पंचायत में एक कैश बुक और रोकड वही, चेक बुक, बिल व्हाउचर के अलावा अन्य दस्तावेज आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं। केवल यही नहीं रिकार्ड संधारण की गुणवत्ता भी बहुत निम्न दर्जे की है। किसी भी पंचायत में बजट निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया नहीं देखी गयी है।

- पंचायत अधिनियम की जानकारी
- पंचायत की कार्यप्रणाली
- पंचायत के कर्तव्य
- लेखा संधारण की जानकारी
- केश बुक भरना,
- आवक जावक, मांग पत्र पंजी का संधारण
- रिकार्ड मेंटेनेस,
- करारोपन की जानकारी
- एकाउंट लिखना,
- बैंक समाधान
- रजिस्टर पंजी,

उपलब्ध तथ्यों से समझा जा सकता है कि

- बजट निर्माण के लिये सचिवों को प्रायोगिक/व्यवहारीक तौर पर प्रशिक्षण नहीं मिले है।
- लगभग पंचायत के सभी आयामों पर सचिवों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है परन्तु पंचायत स्तर पर उसकी उपयोगिता बहुत कम है जैसे, सभी दस्तावेज संधारण नहीं किये जाते हैं, स्थानीय स्तर पर सचिव व सरपंच के बीच समन्वय दिखाई देता है वही पंच पंचायत की कार्यप्रणाली में बहुत कम शामिल होते हैं।
- सचिवों के लिये सीखने एवं सीखाने की संस्थागत व्यवस्था का अभाव है। जनपद स्तर पर बैठक होती है परन्तु उसमें मार्गदर्शन/सीख साझा करने के बजाय जानकारी एकत्र की जाती है और नयी जानकारी निर्माण के लिये निर्देश दिये जाते हैं।
- नयी व्यवस्था या योजना के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं परन्तु वे औपचारिक ही होते हैं।
- सचिव की मुख्य भूमिका सरपंच का सलाहकार, समन्वय एवं प्रबंधन के लिहाज से होती है परन्तु इन विषयों पर सचिवों को प्रशिक्षण नहीं दिये जा रहे हैं।

- सचिव समुदाय के बीच उनके विकास के लिये कार्य करता है परन्तु समुदाय के साथ संचार की प्रक्रियां, व्यवहार, गतिशिलता पर उनकी क्षमता बहुत कम है जिसके कारण ग्राम सभा में भागीदारी, कर संकलन का प्रतिशत बहुत कम होता है साथ ही इस दिशा में सचिवों की क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण नहीं दिये जा रहे हैं।

पंचायत स्तर पर एक मात्र सचिव को ऐसे संसाधन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जहां किसी भी विभाग, संस्था या व्यक्ति को गांव की जानकारी चाहिये, उसके लिये सर्वप्रथम पंचायत सचिव को खोजा जाता है परन्तु उसको एक संसाधन व्यक्ति के रूप में विकसित करने के प्रयास बहुत कम हुये हैं। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उसको केवल पंचायत, योजना की जानकारी दी जाती है परन्तु उसके आन्तरिक विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। “सचिव स्वयं कहते हैं, प्रशिक्षण में केवल नाम मात्र की जानकारी उपलब्ध होती है, अधिकतम समय वरीष्ठ सचिवों की सलाह से ही कार्य किया जाता है या अधिकारियों की नाराजगी से सीखते हैं।

अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सचिव न केवल पंचायत का सचिव है बल्कि उसको एक संसाधन व्यक्ति के रूप में विकसित किया जाना चाहिये जिसके लिये संस्थागत रणनीति की आवश्यकता होगी।

५.४ सचिव व सरपंच के स्थिति के तुलनात्मक तथ्य

- ✎ ८१.१ प्रतिशत तक महिला सरपंच पाये गये परन्तु ६.४ प्रतिशत तक ही महिला सचिव पाया गयी है इस स्थिति में महिला सरपंच को पुरुष सचिव की जगह महिला सचिव उपलब्ध होने से उसको कार्य करना अधिक आसान होता
- ✎ सचिव यह नियमित पद है वही सरपंच का कार्यकाल निर्धारित होता है इसलिये आवश्यक यह होता है कि दोनो की क्षमता निर्माण की व्यवस्थाएं अलग अलग हो।
- ✎ सचिवों की शैक्षणिक क्षमता बहुत ज्यादा है वही सरपंच के बीच शैक्षणिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस स्थिति में सचिवों द्वारा सरपंच को दस्तावेजों के जाल में बुनकर पंचायत की पूर्ण जानकारी सरपंच को नहीं देने की संभावना हो सकती है। इस स्थिति में सरपंच की क्षमता निर्माण के लिये विशेष रणनीति निर्माण करने की आवश्यकता होती है।
- ✎ सचिवों की क्षमता निर्माण के घटक अलग व सरपंच की क्षमता निर्माण के घटक अलग अलग होना आवश्यक है क्योंकि दोनो की भूमिका अलग अलग है परन्तु दोनो को समान विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है
- ✎ प्रशिक्षण की गुणवत्ता का न्यूनतम मानक निर्धारण करने की आवश्यकता है।

५.५ सचिव के कार्यों का विवरण एवं कार्यों में लगने वाला औसतन समय (दिन)

तालिका क्र २६

	ग्राम पंचायत सचिव के कृत्य	कुल दिन	प्रतिशत
1	ग्राम सभा के सम्मेलन	15	5.43
2	पंचायत के सम्मेलन	6	2.17
3	अन्य पंचायत के प्रशासनिक कार्य	24	8.70
4	पंचायत अधिनियम नियम एवं उपविधियों में सम्मिलित सभी रजिस्टर एवं अभिलेखों की संधारित करना।	24	8.70
5	प्रतिवेदन	7	2.54
6	आधारभूत जानकारी	7	2.54
7	कराधान संबंधी कार्य	6	2.17
8	प्रमाण पत्र जारी करना	10	3.62
9	सर्वेक्षण	17	6.16
10	निर्माण एजेसी के रूप में क्रियान्वयन	87	31.52
11	प्रिया साफ्ट / मनरेगा डेटा इन्ट्री	12	4.35
12	ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय	48	17.39
13	व्यवस्था	6	2.17
14	राष्ट्रीय समारोह	6	2.17
15	सूचना के अधिकार, जन सूचना अधिकारी	1	0.36
	कुल	276	100.00

पंचायत सचिव की शक्तियों एवं कृत्य पर पंचायत में स्वयं सचिव, करारोपण अधिकारी, सरपंच आदि के साक्षात्कार में निम्न तथ्य सामने आये -

- उपरोक्त लोगों के अनुमान से पंचायत सचिव का ३१.५ प्रतिशत समय निर्माण कार्य की गतिविधियों में निर्माण एजेसी के रूप में क्रियान्वयन करने में लगता है।
- आय-व्यय के हिसाब रखने में १७.३६ प्रतिशत कार्यदिवस लगाये जाते हैं।
- पंचायत को समय-समय पर प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन करने तथा अभिलेखों को संधारण करने में भी ८.६६ प्रतिशत समय देना पड़ता है।
- पंचायत में विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं सर्वेक्षण कार्य ६.१५ प्रतिशत व ग्रामसभा में ५.४३ प्रतिशत समय दिया जाता है।

अध्ययन के निष्कर्ष एवं रणनीतिगत सुझाव

अध्ययन में ग्रामपंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी, समूह चर्चा, पंचायत स्तर, जनपद तथा जिले स्तर पर साक्षात्कार द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों से पंचायत की वित्तीय तथा कार्यप्रणाली की स्थिति विश्लेषण की गयी है साथ ही इस प्रक्रिया द्वारा ही सकारात्मक परिवर्तन के लिये सुझाव दिये गये उन सभी सुझावों तथा अध्ययन के तथ्यों को समेकित रूप से निम्नानुसार दिया गया है....

६.१ पंचायत की वित्तीय संरचना

पंचायत की आन्तरिक आय की वृद्धि

- ☞ पंचायत में अनिवार्य करों की स्पष्टता नहीं है साथ ही वृत्ती कर, सण्डास जैसे शब्दों को नहीं समझ पाते हैं इसलिए अनिवार्य कर नहीं लगा पाते हैं अतः स्थानीय स्तर पर सरल शब्दों में मार्गदर्शिका को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- ☞ अनिवार्य करों को लागू करने के लिये किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती है हालांकि कुछ मामलों में शर्त रखी गयी है परन्तु पंचायत में स्पष्टता नहीं होने के कारण मकान कर लगाने के लिये भी ग्राम सभा की मंजूरी का इंतजार करते हैं अतः स्थानीय स्तर पर स्पष्ट करने की जरूरत है जिसमें आन्तरिक करारोपण अधिकारी की सहायता ली जा सकती है।
- ☞ जहां पर समुदाय को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं उसके बदले में नियमित कर दिया जा रहा है। अर्थात् पंचायत को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये सशक्त करना होगा।
- ☞ ६३.५ प्रतिशत तक करारोपण के संसाधन गांव में उपलब्ध हैं जिसके लिये आवश्यकता है कि पंचायत स्तर पर करारोपण के संसाधनों की पहचान एवं उनकी योजना तैयार करने के लिये अभियान चलाया जाना चाहिये।
- ☞ पंचायतें चाहती हैं कि उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाली तथा वहां के जनजीवन को प्रभावित करने वाले वाहनों से पर्यावरण शुल्क प्राप्त किया जावे जो कि कुछ पंचायतों द्वारा प्रयास भी किये गये हैं परन्तु जानकारी के अभाव/दबाव में बंद किये गये हैं इस विषय पर जिला स्तर पर चर्चा में कहा गया है कि बड़ी पंचायतें, जो वाहनों से अधिक प्रभावित हैं उनकी पहचान कर उनके बीच परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त परिवहन कर का निर्धारित शुल्क जारी करना चाहिये।
- ☞ संविधान के अनुच्छेद ३४३-छ में - पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। पंचायतों के आर्थिक विकास के लिये ११वीं अनुसूची में सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के साधनों पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है।

- ☞ पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सड़कों से गुजरने वाले वाहनों पर वर्तमान में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंजीकृत वाहनों पर छ.ग. पंचायत राज अधिनियम १९६३ के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत ऐसे वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। जबकि वे उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं ऐसे वाहनों पर ग्राम पंचायत को टैक्स लगाने का प्रावधान करना चाहिये। जिससे ग्राम पंचायतों को आय होगी वहीं ग्राम पंचायत सड़कों की मरम्मत कर क्षतिपूर्ति कर सकती है।
- ☞ पंचायत क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत संचालित ऐसे वाहन जो उस क्षेत्र से गुजरते हैं जिससे पंचायत द्वारा निर्मित सड़क, पुल, पुलियाओं को क्षति होती है उन पर कर लगाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिये।
- ☞ पंचायत में पर्याप्त मानव संसाधन नहीं होने के कारण कर संकलन में दिक्कत होती है इसलिए आवश्यक है कि कर संकलन के कार्य के लिये महिला समूह या अलग से व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिये।
- ☞ अध्ययन में आवश्यकता महसूस की गयी है कि करारोपण के मामले में पंचायतों को स्वतंत्रता देनी चाहिये, उनको सहजीकरण करने की जिम्मेदारी ब्लाक तथा जिला पंचायत विभाग को दी जा सकती है।
- ☞ कृषि उपज मण्डी की धान उत्पादन में कोई भूमिका नहीं होती है बावजूद किसानों से टैक्स लिया जाता है। इसलिए इस टैक्स से निर्धारित राशि कृषि विकास कार्यों के लिये पंचायत दिया जाना चाहिये।
- ☞ सरकार द्वारा जो धान का बोनस किसान को दिया जाता है उसको ५ से १० प्रतिशत सीधे पंचायत को दिया जा सकता है जिसका उपयोग पंचायतों द्वारा अपने यहाँ कृषि/सिंचाई व्यवस्था में किया जा सकता है। यह प्रयास पंचायत को कृषि, जिसमें अधिकांश ग्रामीणों की आजीविका निर्भर है में कुछ कारगर भूमिका निभाने का अवसर देगी।
- ☞ राज्य शासन के नियमों के अनुसार शासकीय जमीन के प्रबंधन का दायित्व तो पंचायतों के पास किन्तु उसमें स्वामित्व का अधिकार राजस्व विभाग के पास है। यदि पंचायत शासकीय भूमि जो कि उसके यहाँ उपलब्ध है का उपयोग अपनी आय बढ़ाने के लिए उदाहरण हाट बाजार लगाने के लिए करना चाहती है तो उसको इसकी मंजूरी राजस्व विभाग से लेनी पड़ती है।
- ☞ फारेस्ट की जमीन - ५ वीं अनुसूचित क्षेत्र में जिला सरगुजा आता है जिसकी ४८ प्रतिशत भूमि जंगल के अंतर्गत आती है। फारेस्ट विभाग के पास जो भूमि है, उसमें फलदार वृक्ष आदि लगाया जा सकता है जो कि अतिरिक्त संसाधन की उपलब्धता के साथ साथ पर्यावरण को भी अच्छा रखेंगे।
- ☞ लघु सिंचाई योजनाएँ, नलकूप/स्टापडेम आदि ग्राम पंचायत के अधीनस्त की जानी चाहिये ताकि पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी साथ ही शासन पर जल संसाधन विभाग का स्थापना भार कम होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिये योजना बना कर लघु सिंचाई साधनों का निर्माण करवाया जाना चाहिये जिससे सिंचाई सुविधा बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज में बढ़ोत्तरी एवं आय में वृद्धि होने से जीवन स्तर में सुधार होगा तथा पंचायतों में कर प्राप्त करने में आसानी होगी।
- ☞ पड़ती भूमि को कृषि उत्पादन हेतु तीन वर्षीय लीज पर देने का अधिकार, ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिये पड़ती भूमि पर कृषि से कृषि उपज उत्पादन बढ़ेगा साथ ग्राम पंचायत की आय में

वृद्धि होगी व बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा तथा पड़ती भूमि का सुधार होगा वही स्थाई अतिक्रमण किये जाने की चूनौतियों को दूर किया जा सकता है। पंचायतों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध बंजर शासकीय भूमि को तीन-तीन वर्ष की लीज पर खुली निलामी से आवंटित करने के अधिकार देना चाहिये।

- ☞ वनों से प्राप्त वनोपज का लाभ वन विभाग के माध्यम से सहकारी समितियों/वन समितियों द्वारा लिया जाता है। अधिकांश वन क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के पास आय के साधन नहीं होते हैं। अतः वनों से प्राप्त वनोपज की आय का २५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिये ताकि वे विकास कार्य कर सकें।
- ☞ व्यवसाय के रूप में खेती करने वाले बड़े किसानों पर जो १० एकड़ से अधिक भूमि पर कृषि करते तथा "कैश क्रॉप" के रूप में खेती करते हैं। ऐसे कृषकों पर भू राजस्व उपकर विशेष रूप से अधिरोपित करने का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- ☞ जनपद पंचायत स्तर पर पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक को कर वसूली हेतु पूर्व में प्रदाय अतिरिक्त तहसीलदार के अधिकार प्रदाय किये जाने चाहिये, जो वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, पुनः क्रियाशील किया जाकर पंचायत की करों की वसूली की कार्यवाही त्वरित की जाना चाहिये। पंचायत समाज शिक्षा संगठक का पद नाम बदलकर तहसीलदार (पंचायत) किया जाना चाहिये।

अनिवार्य कर लगाने की बाध्यता (अधिनियम में संशोधन हेतु सुझाव)

- ☞ ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य करों के अधिरोपण को नहीं लगाये जाने पर तथा कर वसूल नहीं करने पर आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करना

धारा - ७७(१) अनिवार्य कर में ग्राम पंचायत को अनिवार्य करों के अधिरोपण का अधिकार दिया गया है किन्तु दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान न होने से उनके लिये बाध्यता नहीं है। इसलिए करारोपण नहीं होता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य करों के अधिरोपण को नहीं लगाये जाने पर तथा वसूल नहीं करने पर आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिये।

- ☞ ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक ५ वर्ष में कर की दर पुनरीक्षित कर बढ़ाया जाये तथा आंतरिक राजस्व में प्रति ५ प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व अधिरोपित करों की दर पुनरीक्षित कर प्रति वर्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिये। नये भवनों पर प्रति वर्ष करारोपण किया जाना चाहिए।

६.२ वित्तीय अंतरण

- ☞ पंचायत स्तर पर राशि अंतरण में माध्यमों की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है कुछ पंचायतों जिला वहीं कुछ पंचायतों ब्लॉक को माध्यम मानती है।
- ☞ पंचायत के पास यह स्पष्टता नहीं होती है कि किस मद में एक वित्तीय वर्ष के लिये कितनी राशि प्राप्त होने वाली है परिणामतः प्राप्त राशि के उपयोग के लिये पूर्व नियोजन व्यवहारि नहीं होता है।
- ☞ निर्माण कार्यों के लिये अग्रिम राशि प्राप्त होती है परन्तु दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिये कार्य पूर्ण होना आवश्यक है तभी दूसरी किस्त जारी की जावेगी परन्तु आधे से कम अग्रिम राशि में पूर्ण कार्य किया जाना संभव नहीं है। परिणामतः इस परिस्थिति में पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिये उधारी में अधिक मूल्य में सामान खरीदा जाता है। इस स्थिति में कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने में चुनौतियां होती है।
- ☞ कार्य शुरू होने के पूर्व अग्रिम राशि प्रदाय किया जाता है परन्तु कार्यों की दूसरी किस्त और उसके बाद की किस्त समय पर नहीं दी जाती है उस समय पंचायत की कमजोर आर्थिक स्थिति को समझते हुये व्यवहारिकता के अनुसार राशि जारी करनी चाहियें।
- ☞ कई बार जनपद पंचायत में बजट नहीं होने के कारण भी पंचायत को राशि उपलब्ध नहीं होती है ऐसे समय पर जिला स्तर की संस्थाओं को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि समय पर जिस वर्ष का बजट है उसी वर्ष में जारी किया जावे।
- ☞ निर्माण कार्यों के लिये जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय की दूरी एवं सामग्री की उपलब्धता को केंद्रित करते हुये कार्यों का बजट तथा मूल्यांकन करना चाहिये क्योंकि जिले के पास की पंचायत को परिवहन व्यय कम लगता है वही दूर की पंचायतों को परिवहन व्यय अधिक लगता है।

६.३ योजना निर्माण एवं बजट अनुमान

- ☞ पंचायत में योजना निर्माण कार्य किया जाता है परन्तु सभी योजना को शामिल नहीं किया जाता है संसाधनों की पहचान नहीं होने के कारण गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारण में दिक्कत होती है साथ ही समुदाय की भागीदारी बिना उनका सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता है अतः आवश्यक यह है कि पंचायत स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से विस्तृत कार्य योजना का निर्माण किया जाना चाहिये जिसमें पंचायत की सभी योजना एवं संसाधनों का समवेश हों।
- ☞ तथ्यों से स्पष्ट है कि ८४.४ प्रतिशत पंचायतों द्वारा बजट अनुमान तैयार किया जाता है परन्तु समय पर तैयार नहीं होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अनुपालन नहीं होता है।
- ☞ बिना वार्षिक कार्ययोजना के बजट अनुमान तैयार करने से अनुपालन करने में दिक्कत होती है।

ग्राम पंचायत के बजट अनुमान तैयार करने हेतु सुझाव

- ☞ बजट निर्माण की प्रक्रिया पंचायतों में बहुत कमजोर है यद्यपि पंचायतीराज अधिनियम में बजट निर्माण के प्रपत्रों को प्रत्येक स्तर पर तय किया गया साथ ही समय-सारणी को सुनिश्चित किया गया है किन्तु समस्या भी पंचायतों के लिए निर्धारित समय को लेकर है जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के अंत तक अपना बजट पूर्ण कर लेना चाहिए वहीं राज्य सरकार अपना बजट अक्टूबर से नवम्बर माह में पूरा करती है जिस कारण से पंचायतों का बजट उसी वित्तीय वर्ष के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाता है।
- ☞ त्रिस्तरीय पंचायतों के अपने अपने बजट है परन्तु जिला स्तर से जनपद पंचायत को प्रदान करने वाली निधि जिले एवं जनपद पंचायत के बजट में दर्शायी भी जाती है या नहीं भी दर्शायी जाती है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के बजट में उक्त दोनों पंचायतों से प्राप्त निधियां दर्शायी जाती है। तीनों स्तर पर पंचायत के समानान्तर व्यवस्था है वही वास्तव में यह व्यवस्था उपर से निचे की ओर संचालित होती है। जिससे पंचायतों में भ्रम की स्थिति बनी हुयी रहती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया द्विपक्षीय होनी चाहिये जहां मांग की जानकारी निचे से संकलन की जाये वही आपूर्ति की जानकारी उच्च स्तर से बताई जाये।
- ☞ बजट निर्माण की प्रक्रिया प्रभावशाली होगी यदि पंचायतों की योजना निर्माण की प्रक्रिया हम अप्रैल से प्रारम्भ कर इसे सितम्बर तक पूरा कर दें ताकि जिला योजना समिति (डीपीसी) की योजना पंचायतों के योजना अनुसार हो सके। इसके द्वारा हम स्थानीय निकाय की योजना एवं बजट को केन्द्र/राज्य सरकार के योजना एवं बजट के साथ जोड़ सकेंगे।
- ☞ स्थानीय स्वशासन इकाईयों के प्रतिनिधियों की भूमिका बजट निर्माण में बहुत कम होती है। जिसके लिए ढाँचागत व्यवस्था बनाकर उनको प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके।
- ☞ पंचायत बजट एवं विभागों के बजट में तालमेल नहीं होता है। पंचायतों द्वारा जो बजट बनाकर जनपद पंचायतों में भेजा जाता है तथा विभिन्न विभागों के द्वारा जो बजट पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है उसमें कोई तालमेल समझ में नहीं आता है जिसके फलस्वरूप विभागों के द्वारा आबंटित बजट एवं पंचायतों की जरूरतों के बीच स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। पंचायतों एवं विभागों के बीच तालमेल तभी बैठ सकता है जब दोनों मिलकर योजना बनाए अथवा ग्राम पंचायत की योजना के आधार पर विभाग अपनी कार्ययोजना बनाये।
- ☞ अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक पंचायत में स्थायी समितियों का गठन किया जाना चाहिये तथा इन समितियों को अपने-अपने कृत्यों के अनुपालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं क्षमतावृद्धि के उपाय किये जाने चाहिये।
- ☞ प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को जिला एवं जनपद पंचायतों के साथ-साथ शासन द्वारा प्रदाय किये गये विभिन्न मदों की सम्भावित राशि की जानकारी पंचायतों में नियमित रूप से निर्धारित समयावधि में उपलब्ध होनी चाहिए।
- ☞ जिला स्तर से समय समय पर जनपद एवं पंचायतों को प्रदान करने वाले सम्भावित संसाधन को प्रत्येक पंचायतों तक पहुँचाना सुनिश्चित करे वहीं ग्राम पंचायत अगले वित्तीय वर्ष की आवश्यकता की जानकारी उपलब्ध कराये तब पंचायतों के नियोजन एवं बजट को व्यवहारिक स्वरूप में तैयार किया जा सकता है। अभी सम्भावित संसाधनों की उपलब्धता जिले स्तर तक राज्य योजना आयोग द्वारा कर दी गई जिसको पंचायत तक ले जाने की जरूरत है।

- ☞ पंचायत को कम से कम दो माह का समय बजट एवं कार्ययोजना निर्माण के लिये दिया जाना चाहिये जिससे बजट एवं कार्ययोजना निर्माण की प्रक्रिया के सभी स्थायी समितियों के सुझाव लेकर व्यवहारिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण किया जा सकेगा।
- ☞ पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमतावृद्धि हेतु ग्राम पंचायत स्तर से जिला पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिये।
- ☞ बजट अनुमान बनाने एवं करारोपण निर्धारित करने के लिये प्रत्येक पंचायत में अभियान चलाया जाना चाहिए।

पंचायत अधिनियम में पंचायत के लिये निर्धारित प्रारूप में संशोधन की जरूरत है -

- ☞ बजट प्रारूप में नये बजट शीर्ष एवं बजट कोड़ को जोड़ना चाहिये जिसमें राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के मद को एकरूपता मिले जैसे रा.रो.गा.यो., बीआरजीएफ., भारत निर्माण, छत्तीसगढ़ गौरव आदि।
- ☞ बजट शीर्ष के उप-शीर्ष एवं बजट कोड़ को अधिनियम में से बनाया जाना चाहिये जिससे राज्य स्तर पर बजट को समेकित करने में कार्य किया जा सके।
- ☞ जिन विभागों के वित्त एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा चुका है उन्हीं के बजट शीर्ष का उल्लेख किया जाना चाहिये शेष बजट शीर्ष को पंचायत में बजट से हटा देना चाहिये जिनका नियंत्रण पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसे वन विभाग एवं सामाजिक वानिकी।
- ☞ पंचायत के बजट को राज्य स्तर पर एकरूपता प्रदान करने के लिये साफ्टवेयर बनाना चाहिये जिससे पंचायत के बजट को एकजायी कर सके।
- ☞ पंचायत में विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के निर्माण का समय चक्र पंचायत के बजट सत्र के अनुकूल होना चाहिये ताकि सभी योजनाओं के संसाधनों को पंचायत के बजट में प्रस्तुत किया जा सके।
- ☞ पंचायतों में बजट निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपूरक बजट निर्माण का कार्य भी चलन में लाना चाहिये।

बजट निर्माण एवं बजट प्रावधान की मंजूरी

- ☞ पंचायतों में व्यय करते समय बजट अनुमोदन को सख्ती से लागू करना चाहिये बजट में प्रावधान होने पर ही व्यय को वैधानिक मान्यता मिलनी चाहिये अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के व्यापक प्रबंध किये जाने चाहिये।
- ☞ ग्राम पंचायतों का अपना लेखा पद्धति होना चाहिए, सीए द्वारा राज्य एवं केन्द्र के लिए मान्य पद्धति हो तो बेहतर होगा।
- ☞ पंचायत का बजट अनुमोदन होने के उपरान्त विहित प्राधिकारी से बजट संशोधन या बिना संशोधन के समयावधि में पंचायतों तक अनिवार्यतः आना चाहिये।
- ☞ पंचायतों के आडिट के दौरान बजट निर्माण की प्रक्रिया एवं उसकी गुणवत्ता को देखा जाना चाहिये। आडिटर को आडिट के दौरान वित्तीय एवं प्रशासनिक विषयों पर स्पष्ट टिप देनी चाहिये। जिसका निराकरण प्रतिवेदन पंचायत द्वारा समयावधि में बनाया जा सके।

- ☞ प्रत्येक पंचायतो को लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान ग्राम सभा से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही विहित प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिये यहां विहित प्राधिकारी की स्पष्टता भी होनी चाहिये।
- ☞ बजट अनुमान एवं वार्षिक लेखा व प्रशासकीय रिपोर्ट के लिये आडिट में दिये गये टिप का निराकरण वार्षिक ग्राम सभा में करना चाहिये। जिन टिपो को विहित अधिकारी द्वारा विलोपित किया गया उसकी स्पष्टता के साथ वसूली योग्य टिप पर वसूली के आदेश जारी करने के लिये स्पष्टता होनी चाहिये।

६.४ वित्तीय प्रबंधन के लिये सुझाव

पंचायतों को सरकारी विभागों से जो फण्ड उपलब्ध कराया जाता है उसको ग्रान्ट ऑफ पंचायत हेड में रखा जा सकता है जिसमें प्रत्येक स्कीम के लिए अलग से बुक ऑफ अकाउन्ट रखने के लिए वे जिम्मेदार होंगे।

- ☒ इन्टीग्रेटेड फण्ड मॉनिटरिंग एण्ड अकाउन्टिंग सिस्टम (IFMAS)
- ☒ ग्राम पंचायत मैनेजमेंट सिस्टम (GPMS) ये दो ही सिस्टम पश्चिम बंगाल में अपनाये जाते हैं।
- ☒ पंचायतीराज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सिस्टम साफ्टवेयर (PRIA SOFT) जिसके द्वारा आबंटित धनराशि की मॉनिटरिंग, खर्चों का तरीका, स्थानीय रेवेन्यू, जेनेरेशन तथा विभिन्न मॉनिटरिंग रिपोर्ट को विभिन्न एजेंसियों को भेजने के लिए तथा इसका उपयोग पंचायत में भी हो रहा है किन्तु यह केवल एन्ट्री तक सीमित न रह जाये इसके उपयोग को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।
- ☒ टैली जो कि अकाउन्ट सिस्टम के लिए जानी जाती है के द्वारा भी पंचायतों के अकाउंटिंग सिस्टम के लिए साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। जिसको अपनाकर भी अच्छी व्यवस्था निर्माण की जा सकती है।

६.५ पंचायत में लेखा संबंधित दस्तावेज

- ☞ दस्तावेजों के संधारण की स्थिति को सचिव को दिये गये प्रशिक्षण के विषय भी प्रभाव करते हुये दिखाई दे रहे है जैसे रोकड़ वही, लेखा प्रणाली पर सचिव को प्रशिक्षण प्राप्त हुये है इसलिए इन दस्तावेजों के संधारण का प्रतिशत अन्य दस्तावेजों के तुलना में बेहतर है वही वसूली योग्य अग्रिम राशि या अन्य दस्तावेजों पर सचिव को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने से उनका संधारण का प्रमाण बहुत ही कम जगह पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हो पायी।
- ☞ मुख्य दस्तावेजों का संधारण सभी पंचायतों में किया जा रहा है वही सहयोगी दस्तावेजों का प्रमाण बहुत कम है जैसे रोकड़ वही का संधारण किया जा रहा है परन्तु बील पंजी का व्यवस्थित संधारण नहीं किया जा रहा है परिणामतः वित्तीय अंकेक्षण में दिक्कत होती है।
- ☞ अध्ययन के दौरान अध्ययन दल को ३२ पंचायतों में केवल दो-तीन पंचायत में वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन देखने का अवसर प्राप्त हुआ था परन्तु वो भी प्रारूप पूर्णतः भरे हुये

नहीं थे अतः यह आवश्यकता है कि पंचायत स्तर पर दस्तावेजिकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया जावे साथ ही ग्रामीण डेटा बैंक के रूप में ग्राम पंचायत को विकसित किया जावे।

६.६ ग्राम पंचायत का आडिट (अंकेक्षण)

- ☞ अध्ययन में शामिल किसी भी ग्राम पंचायतों में स्थानीय संपरिक्षा निधि विभाग द्वारा वार्षिक आडिट नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया में पंचायत में संधारीत किये जा रहे दस्तावेजों की खराब गुणवत्ता व्हाउचर, पजी समय पर संधारण नहीं किये जाने के कारण दिक्कत होती है लिहाजा यह आवश्यक है कि गुणवत्ता के साथ अधिनियम में बताये गये अनिवार्य दस्तावेजों का संधारण किया जाना चाहिये।
- ☞ ग्राम पंचायतों की स्थानीय निधि संपरिक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- ☞ सामाजिक अंकेक्षण पंचायत द्वारा किया जाता है परन्तु उसका एजेण्डा उसकी तारीख जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके कारण उस तारीख को लोग उपस्थित हो पाना सुनिश्चित नहीं होता है कोरम की पूर्ती भी नहीं होती है। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक अंकेक्षण का एजेण्डा पंचायत ही तय करे साथ ही तिथि तय करने का सुझाव पंचायत की ओर से ही जाये।
- ☞ सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तथा गुणवत्ता को देखने से स्पष्ट होता है कि एजेण्डा बहुत अधिक होने के कारण चर्चा कम होती है, मजदूरी भुगतान विलंबित होने के कारण विवाद होता है परिणामतः सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होता है वही ५० प्रतिशत से अधिक पंचायतों में २ सामाजिक अंकेक्षण नहीं होते हैं। अतः आवश्यकता है कि राज्य/जिला/ब्लाक स्तर सामाजिक अंकेक्षण के लिये सपोर्ट युनिट की स्थापना हो, केवल उसका काम सामाजिक अंकेक्षण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना होगा।

६.७ पंचायतों को मजबूत करने के लिये सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था करना चाहिये

- ☞ पंचायतों की वित्तीय स्थिति का प्रबंधन तथा मजबूत करने के लिये बहुत कम पंचायत को जिला तथा जनपद पंचायत से सहयोग प्राप्त होता है वही कर लगाना तथा संकलन करने में ४० प्रतिशत पंचायतों का अपने जनप्रतिनिधि से सहयोग प्राप्त होता है जो कि सकारात्मक है परन्तु पंचायत को वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिये जिला तथा जनपद से सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था सक्रिय करने की आवश्यकता है।
- ☞ जनपद स्तर की आयोजित बैठक में जानकारी का संकलन तथा नई जानकारी तैयार करने के निर्देश दिये जाते हैं परन्तु समझ निर्माण पर बहुत कम चर्चा होती है अतः आवश्यक है कि सचिवों की मासिक बैठकों में एक दूसरे सचिव के द्वारा अपनी सीख का आदान प्रदान करना चाहिये।

६.८ प्रशासकीय सुधार

- पंचायतों में सरपंचों के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही पर सुनवाई का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के पास है किन्तु बदली हुई परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पंचायतों की कार्यप्रणाली से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं। इसके स्थान पर सुनवाई का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/डिप्टी डायरेक्टर पंचायत को देना चाहिए ताकि वे वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय दे सकें।
- ☞ वर्तमान कर ढांचा में सुधार की आवश्यकता - छ.ग. पंचायत राज अधिनियम १९६३ की धारा ७७(१) के तहत अनिवार्य एवं ऐच्छिक करों का प्रावधान किया गया है। निर्धारित कर की दरों से ग्राम पंचायतों को विशेष लाभ नहीं होता अतः अनिवार्य एवं ऐच्छिक कर की दरों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित सुझाव संलग्न है।

६.९ ग्राम पंचायत प्रतिनिधि व सचिव की क्षमता निर्माण

- ☞ वार्ड पंच के बीच युवा वार्ड पंचों की संख्या बहुत है जो पंचायत में नये प्रयोग करने में अवसर निर्माण हो सकते हैं परन्तु बहुत बड़ा वर्ग साक्षर या प्राथमिक शिक्षा तक ही पहुँच पाया है इसलिये उनकी क्षमता निर्माण के नये तरीके खोजने की जरूरत होगी। दूसरी चुनौति यह है कि ८७ प्रतिशत से अधिक वार्ड पंच के रूप में पहली बार निर्वाचित हुये हैं जिसके कारण उनके बीच स्थानीय समस्या, योजना, विषयो एवं प्रक्रिया पर विस्तृत समझ निर्माण की जरूरत है।
- ☞ विशेषतः यह है कि महिला वार्ड पंच की संख्या अधिक है जिनकी अपनी सक्रियता से निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता महिला पंचों के लिये आवश्यक है। पंचों की क्षमतावृद्धि के लिये विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।
- ☞ पंचायत सरपंच को पंचायत राज व्यवस्था का ज्ञान केवल संरचनात्मक ही है परन्तु केवल संरचना पर ही प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होता है बल्कि संरचना के अन्तर्गत सूक्ष्म घटक एवं उनको मजबूत करने के तरिकों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे पंचायत स्तर पर योजना निर्माण, बजट निर्माण, पंचायतों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिये संसाधनों की पहचान, लेखा किताबों को समझना आदि साथ ही इन पर एक बार में प्रशिक्षण नहीं हो सकते हैं इनको चरणों में करने की आवश्यकता है।
- ☞ सरपंच के बीच केवल सचिव व सरपंच के सयुक्त हस्ताक्षर खाता का संचालन करने की जानकारी परन्तु पंचायत निधि एवं उसके खातों की जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है जिसके कारण विभिन्न गड़बड़ियाँ होने उन्हे कैसे दोषी माना जा सकता है।
- ☞ सरपंच की जानकारी के स्तर के विश्लेषण से स्पष्टता होता है कि सरपंच के पास पंचायत के कार्य एवं प्रावधानों की बहुत कम जानकारी है, सरपंच के प्रशिक्षण हुये हैं परन्तु शतप्रतिशत सरपंच को प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हुये हैं साथ ही सरपंच के प्रशिक्षण पंचायत राज एवं उनके अधिकारों की जानकारी दी गयी है। अतः सरपंच को वित्तीय मामलों पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है

- ☞ कुल सचिवों में ८७.५ प्रतिशत सचिवों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है इन प्रशिक्षणों में १९९५ से २००० तक बैच के सचिव को १५-१५ दिन के प्रशिक्षण प्राप्त हुये परन्तु उसके पश्चात नियुक्त हुये सचिव को बहुत कम अवधि के प्रशिक्षण दिये गये है। अतः यह आवश्यकता होती है कि पंचायत में कार्यभार संभालने के पहले उनको करीबन ३ माह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये,
- ☞ राज्य सरकार द्वारा सचिव के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिये ताकि सचिव/पंचायत की शिक्षा पूर्व में ही प्राप्त की जाये और इस प्रमाण पत्र के आधार पर सचिव की नियुक्ती हों। अप्रशिक्षित सचिव को कार्यभार संभालने के पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था हों साथ ही प्रशिक्षण के पश्चात कम से कम एक माह किसी अनुभवि सचिव के साथ रहकर कार्य करें उसके पश्चात उसको पंचायत का कार्यभार सोपा जाना चाहिये।

पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के अन्य महत्वपूर्ण सुझाव

- ☞ अध्ययन में पाया गया है कि कुछ प्रतिनिधि को बार बार प्रशिक्षण प्राप्त होता है वही कुछ प्रतिनिधि को कार्यकाल के दो साल पूर्ण होने के बावजूद भी एक भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुये है अतः सुझाव दिया जाता है कि प्रशिक्षण प्राप्ती की स्थिति को अद्यतन करने एवं नये प्रशिक्षण की रणनीति निर्माण करने के लिये विकासखण्ड स्तर पर डेटा बेस निर्माण किया जाना चाहिये जिसमें प्रशिक्षण की स्थिति, प्रशिक्षण दिये गये विषयों की जानकारी, समय दर्ज हो ताकि नये विषय तथा अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये उनकी पहचान आसानी से हो सके।
- ☞ प्रशिक्षण की गुणवत्ता का न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाना चाहिये
- ☞ प्रशिक्षण एक प्रक्रिया के द्वारा जो करीबन समय समय पर एक साल तक विविध विषयों पर हो और किये गये प्रशिक्षण के प्रभाव, परिणाम का आंकलन किया जाना चाहिये।
- ☞ अध्ययन में पाया है कि पंचायत के सचिव की अपेक्षा सरपंच की शैक्षणिक स्थिति बहुत कमजोर है जिसके कारण पंचायत राज अधिनियम, नियम एवं शासन के विभिन्न आदेशों की जटील भाषा को समझने में वह स्वयं असमर्थ दिखाई देते है एवं पंचायत सचिव के उपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते है यहां पर पंचायत प्रतिनिधियों पर शिक्षित लोगों का दबाव बना रहता है। इसलिये पंचायत प्रतिनिधियों की विशेष क्षमता वृद्धि पर ध्यान देना चाहिये।
- ☞ पंचायत में निर्माण कार्यों के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा की तरह ही पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण की समीक्षा की जानी चाहिये। जिन क्षेत्रों में इन्हे कमजोर पाया जाता है उनकी अतिरिक्त क्षमता निर्माण के लिये कार्यक्रम बनाये जाने चाहिये।
- ☞ ११ वी अनुसूची में दिये गये विभिन्न विषयों एवं उसके संबंधित नियम, अधिनियम पर पंचायतों के लिये सहायक आंतरिक करारोपण अधिकारी को सक्षम एवं जवाबदेह बनाना चाहिये। जिससे वह अपने कार्यक्षेत्र की पंचायतों की व्यवस्थाओं में सुधार ला सकें एवं सचिवों को प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान कर सकें।

६.१० पंचायत राज अधिनियम में संशोधन हेतु सुझाव

☞ सम्पत्ति कर में संशोधन

धारा - ७७(१) अनुसूची-१क(१) छ.ग. पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस शर्तें अपवाद नियम १६६६ का नियम-५ में ६०००-१२००० रुपये मूल्य पर न्यूनतम २० पै. अधिकतम ३० पै. प्रति १०० रुपये पर, १२००० रुपये से अधिक मूल्य पर न्यूनतम १ रु. अधिकतम १.५ रु. प्रति ५०० रुपयों का प्रावधान है जिसमें ५०० वर्ग फीट तक कच्चे रिहायशी मकान कर मुक्त रहना चाहिये। ५०० वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल के कच्चे मकान एवं भूमि पर नियम-५ के अनुसार निर्धारित सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिये। पक्के किन्तु खपरैल छत के मकान पर सम्पत्ति के मूल्य का ०.१ प्रतिशत, प्रति लाख १०० रुपये पक्के किन्तु स्लैब वाली छत के मकान पर सम्पत्ति के मूल्य का ०.२५ प्रतिशत, प्रति लाख २५० रुपये। कच्चे मकान या पक्के मकान जिनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है १ रुपये प्रति वर्ग फूट के दर से उपयोग किये गये क्षेत्र सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिए। नोट - क्षेत्र के आधार पर मकान का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है बल्कि मकान का क्षेत्रफल एवं साज सज्जा सहित मकान का मूल्य निर्धारित होना चाहिये। एक ही क्षेत्रफल के दो विभिन्न मकानों के मूल्य में काफी अंतर हो सकता है। अतः कर का निर्धारण मूल्य के आधार होना चाहिये।

☞ कच्चे रिहायशी भवन (निश्चित क्षेत्र) को कर मुक्त रखा जाये।

धारा - ७७(१) अनुसूची-१क(१) छ.ग. पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस शर्तें अपवाद नियम १६६६ का नियम-५ में ६०००-१२००० रुपये मूल्य पर न्यूनतम २० पै. अधिकतम ३० पै. प्रति १०० रुपये पर, १२००० रुपये से अधिक मूल्य पर न्यूनतम १ रु. अधिकतम १.५ रु. प्रति ५०० रुपयों का प्रावधान किया गया है जिसमें ५०० वर्ग फीट तक कच्चे मकान, भवन कर से मुक्त होना चाहिये। ५०० वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल के कच्चे मकान एवं भूमि पर सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिये।

☞ मकानों के वर्गीकरण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपा जाय।

वर्गीकरण एवं मूल्यांकन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। करारोपण की अपील अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिसमें भवनों के वर्गीकरण करने का दायित्व ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपा जाय। भवनों के वर्गीकरण पर उत्पन्न विवाद या अपील करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाये।

☞ केवल शासकीय एवं पंचायत भवन पर कर नहीं लगेंगे।

धारा-७७(१) अनुसूची-१ क (१) (ख) में धारा-७७(१) अनुसूची-१ क (१) (ख) के तहत धार्मिक एवं शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले भवन तथा भूमि या कोई भाग कर मुक्त होंगे यह प्रावधान किया गया है जिसमें यह बदलाव किये जाने चाहिये कि धार्मिक प्रयोजन के भवन या उसके किसी भाग का यदि कोई व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है तो उस पर १ रूपये प्रति वर्गफूट के दर से उपयोग किये गये क्षेत्र/सम्पत्ति पर कर लगाया जाना चाहिये। शैक्षणिक प्रयोजन के ऐसे भवन या उसके किसी भाग पर व्यवसाय के रूप शैक्षणिक संस्थान का संचालन फीस लेकर किया जा रहा है तो ऐसे भवन पर उस पर १० पै. से २० पै. तक प्रति वर्गफूट के दर से सम्पत्ति पर कर लगाया जाना चाहिये।

☞ धारा ६ एवं १२६ (ख) ग्रामसभा का एजेण्डा

धारा ६ एवं १२६ (ख) में ग्रामसभा के एजेण्डा निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अधिनियम एवं नियम में वर्तमान में ग्रामसभा के एजेण्डा निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जिससे सरपंच/सचिव ग्रामीणों को विधिवत सूचना दिये बगैर ग्रामसभा के अंत में मनमाने ढंग से नये प्रस्ताव जोड़कर अनियमित कार्य करते हैं। अतः ग्रामसभा की सूचना के समय उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार करने पर प्रतिबंध हो ताकि वर्तमान प्रावधान का दुरुपयोग रोका जा सके।

☞ धारा १८ (२) बर्हिगामी सरपंच से प्रभार प्राप्त करना।

धारा १८ (२) में विहित प्राधिकारी तहसीलदार है। विहित प्राधिकारी तहसीलदार के स्थान पर पंचायत समाज शिक्षा संगठक नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रायः देखने में आता है कि पंचायत के सरपंच एवं सचिव नव नियुक्त सरपंच/सचिव राशि व अभिलेखों तथा सामाग्री आदि प्रभार में नहीं सौंपते हैं अतः पंचायत समाज शिक्षा संगठक को यह उत्तरदायित्व इस बाध्यता के साथ दिया जाना चाहिये कि यदि भू.पू. सरपंच/सचिव द्वारा सम्पूर्ण नहीं सौंपा जाता है तो सहभागी मान कर ५० प्रतिशत राशि की वसूली संबंधी अधिकारी से की जानी चाहिये।

☞ धारा ३६ - पंचायत के पदधारी होने के लिये निरर्हताएँ

धारा ३६ (१) में वर्तमान प्रावधानों के साथ अनिवार्य करों का अधिरोपण न करने पर सरपंच पद के लिये धारा ३६ के तहत निरर्हित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

☞ धारा ३६ - पंचायत के पदधारी का निलंबन

धारा ३६ (१) में धारा ३६ (१) के तहत ग्राम पंचायत के पदधारियों के निलंबन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) विहित प्राधिकारी हैं। जिसमें बदलाव यह किये जाने चाहिये कि धारा ३६ (१) के तहत ग्राम पंचायत के पदधारियों के निलंबन के लिये अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के स्थान पर

संयुक्त/उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया जाये ताकि प्रभावी कार्यवाही हो सके।

☞ धारा ४० - पंचायत के पदधारियों को हटाया जाना

धारा ४० (१) में धारा ४० (१) के तहत ग्राम पंचायत के पदधारियों को हटाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (रा.) विहित प्राधिकारी हैं जिसमें धारा ४० (१) के तहत ग्राम पंचायत के पदधारियों को पद से हटाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के स्थान पर संयुक्त/उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया जाये ताकि दोषी सरपंच/सचिव पर एक साथ कार्यवाही की जा सके।

☞ धारा ८४-पंचायत के कार्यों का निरीक्षण

धारा ८४ (१) छ.ग. पंचायत (पंचायत कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम १९९५ में धारा ८४ (१) के तहत छ.ग. पंचायत (पंचायत कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम १९९५ ग्राम पंचायत के नियम ३ (२) (क) एवं (ख) में उप संचालक सम्मिलित नहीं हैं जिसमें धारा ८४ (१) के तहत छ.ग. पंचायत (पंचायत कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम १९९५ ग्राम पंचायत के नियम ३ (२) (क) एवं (ख) में संयुक्त/उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को भी विहित प्राधिकारी नियुक्त किया जाये ताकि ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके।

☞ धारा ६२ - अभिलेख और वस्तुएँ वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति

धारा ६२ (१) में धारा ६२ (१) के तहत ग्राम पंचायत के पदधारियों से अभिलेख और वस्तुएँ वापस कराने तथा धन वसूल करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (रा.) विहित प्राधिकारी हैं जिसमें धारा ६२ (१) के तहत ग्राम पंचायत के पदधारियों से अभिलेख और वस्तुएँ वापस कराने तथा धन वसूल करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के स्थान पर संयुक्त/उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया जाये ताकि दोषी सरपंच/सचिव पर एक साथ कार्यवाही की जा सके।

६.११ ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली

☞ गांव में नीतिगत निर्णय लेने का दायित्व ग्राम सभा के पास है परन्तु गांव के सभी लोगो को ग्राम सभा बैठक की पूर्व जानकारी नहीं होती है, ग्राम सभा में विस्तृत चर्चा नहीं होती है साथ ही आवेदन करने वाले लोग अधिक होने के कारण चर्चा नहीं होती है और अन्य लोग भी शामिल नहीं होते है समूह चर्चा के दौरान लोगों से सुझाव आया कि ग्राम सभा के पहले ही आवेदन लिये जाये, एजेण्डा निर्माण किया जावे फिर ग्राम सभा बुलाकर चर्चा हो। ग्राम सभा को मजबूत करने की आवश्यकता है।

☞ ग्राम पंचायत का उचित प्रबंधन एवं बेहतर कार्यप्रणाली के बिना ग्राम पंचायत द्वारा गुणवत्ता पूर्ण कार्य एवं आय बढ़ाने वाले कार्य नहीं किये जा सकते हैं। इसके लिये आवश्यकता होती है कि पंचायत, समितियाँ एवं ग्राम सभा स्तर पर विस्तृत चर्चा हो निर्णय लिये जाये, क्रियान्वयन की योजना निर्माण की जाये परन्तु ग्राम सभा, पंचायत व स्थानीय समितियों की बैठके ही बहुत कम होती हैं जिसके कारण पंचायत स्तर पर करारोपण पर चर्चा बहुत कम होती है परिणाम स्वरूप पंचायत में करारोपण या कर संकलन का प्रमाण बहुत कम है अतः आवश्यकता है कि पंचायत की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय समितियों को मजबूत किया जावे।

७. परिशिष्ट

७.१. ग्राम पंचायत की आय-व्यय का ग्राम पंचायत वार विवरण (२०११-१२)

७.१.१ प्रारंभिक शेष, आय, व्यय एवं अंतिम शेष का विवरण

जिला सरगुजा									
ग्रा.प.	गगोली	लहपटरा	पोड़ी	धौरपुर	कुन्नी	कुंवरपुर	आसण्डीह	करा	कुल
प्र.शेष	3,21,432.00	1,15,349.00	-	26,454.00	-	Not available	-	3,590.00	4,66,825.00
आय	31,26,280.00	33,68,816.00	45,41,383.00	17,46,868.00	35,40,294.00		27,23,386.00	30,55,356.00	2,21,02,383.00
कुल	34,47,712.00	34,84,165.00	45,41,383.00	17,73,322.00	35,40,294.00		27,23,386.00	30,58,946.00	2,25,69,208.00
व्यय	32,96,144.00	31,50,387.00	44,64,156.00	17,80,198.00	35,28,294.00		25,62,706.00	15,30,673.00	2,03,12,558.00
शेष	1,51,568.00	3,33,778.00	77,227.00	-6,876.00	12,000.00		1,60,680.00	15,28,273.00	22,56,650.00

जिला राजनांदगांव									
	आमलिडिह	खमेरा	अर्जुनी	कु. भाटागाव	मानुपर	अथरा	भरीटोला	शिवनी	कुल
प्र.शेष	-	-	-	11,539.00	1,837.00	2,63,410.00	10,74,520.00	6,28,728.96	19,80,034.96
आय	37,47,365.00	44,88,830.00	61,25,710.99	59,79,742.00	73,80,330.00	36,39,449.00	30,32,359.00	49,86,900.00	3,93,80,685.99
कुल	37,47,365.00	44,88,830.00	61,25,710.99	59,91,281.00	73,82,167.00	39,02,859.00	41,06,879.00	56,15,628.96	4,13,60,720.95
व्यय	37,41,429.00	42,94,776.42	60,44,301.92	58,70,510.00	69,46,423.00	37,50,833.00	35,57,198.00	41,93,500.00	3,83,98,971.34
शेष	5,936.00	1,94,053.58	81,409.07	1,20,771.00	4,35,744.00	1,52,026.00	5,49,681.00	14,22,128.96	29,61,749.61

जिला महासमुंद

	मिथिडीह	बिरकोनी	गोपालपुर	झलप	कंचनपुर	खुटेरी	नांदगांव	सिनोधा	कुल
प्र.शेष	2,15,373.93	4,00,950.91	1,32,033.00	8,13,726.37	-	6,08,841.42	17,25,585.12	10,965.00	39,07,475.75
आय	25,06,446.00	19,08,893.00	15,13,628.00	27,71,314.00	28,49,153.00	22,63,483.00	30,39,767.00	31,54,355.00	2,00,07,039.00
कुल	27,21,819.93	23,09,843.91	16,45,661.00	35,85,040.37	28,49,153.00	28,72,324.42	47,65,352.12	31,65,320.00	2,39,14,514.75
व्यय	19,67,778.00	11,52,295.00	15,05,064.00	13,16,342.00	22,49,797.00	26,64,371.00	25,96,690.00	30,73,828.00	1,65,26,165.00
शेष	7,54,041.93	11,57,548.91	1,40,597.00	22,68,698.37	5,99,356.00	2,07,953.42	21,68,662.12	91,492.00	73,88,349.75

जिला बस्तर

	बड़ेकडमा	चंद्रगीरी	दरभा	करमरी	कुंगारपाल	मुंड़ागांव	नेगानार	सोनारपाल	कुल
प्र.शेष	3,60,709.97	2,55,205.00	5,18,654.04	-	2,55,514.00	3,74,008.00	3,68,303.87	2,59,314.00	23,91,708.88
आय	6,32,991.00	22,29,580.00	29,29,265.00	16,30,006.00	13,61,244.00	25,54,270.00	17,35,146.00	17,95,844.00	1,48,68,346.00
कुल	9,93,700.97	24,84,785.00	34,47,919.04	16,30,006.00	16,16,758.00	29,28,278.00	21,03,449.87	20,55,158.00	1,72,60,054.88
व्यय	9,05,238.97	14,14,518.00	24,80,720.00	14,97,024.00	15,66,908.00	27,98,893.00	17,19,412.50	15,70,633.00	1,39,53,347.47
शेष	88,462.00	10,70,267.00	9,67,199.04	1,32,982.00	49,850.00	1,29,385.00	3,84,037.37	4,84,525.00	33,06,707.41

७.१.२ ग्राम पंचायतों की वार्षिक आय का विवरण (२०११-१२)

जिला सरगुजा									
महायोग (ग्राम पंचायत)	गगोली	लहपटरा	पोड़ी	धौरपुर	कुन्नी	कुंवरपुर	आसण्डीह	करा	कुल
स्वयं की आय	4,120.00	17,500.00	-	46,390.00	12,000.00	Not	1,000.00	1,350.00	82,360.00
मुलभुत	1,76,577.00	1,85,364.00	2,81,875.00	1,95,705.00	99,312.00	availabl	1,24,601.00	75,936.00	11,39,370.00
१३ वित्त आयोग	1,92,149.00	2,39,809.00	4,69,644.00	1,95,068.00	1,61,399.00	e	1,38,479.00	1,29,255.00	15,25,803.00
विभागो द्वारा प्राप्त	27,43,627.00	29,18,717.00	37,85,864.00	13,04,001.00	32,61,583.00		24,59,306.00	28,43,111.00	1,93,16,209.00
अन्य (ब्याज, सरपंच मानदेय)	9,807.00	7,426.00	4,000.00	5,704.00	6,000.00		-	5,704.00	38,641.00
योग	31,26,280.00	33,68,816.00	45,41,383.00	17,46,868.00	35,40,294.00		27,23,386.00	30,55,356.00	2,21,02,383.00

जिला राजनांदगांव									
महायोग (ग्राम पंचायत)	आमलिडिह	खमेरा	अर्जुनी	कु. भाटागाव	मानुपर	अथरा	भर्रीटोला	शिवनी	कुल
स्वयं की आय	42,983.00	28,983.00	10,74,804.99	45,359.00	3,09,995.00	2,000.00	4,93,283.00	-	19,97,407.99
मुलभुत	2,36,448.00	1,02,403.00	2,75,418.00	1,90,776.00	3,36,569.00	2,10,182.00	1,81,340.00	2,09,755.00	17,42,891.00
१३ वित्त आयोग	1,59,524.00	97,340.00	3,23,714.00	1,25,636.00	2,00,000.00	54,736.00	1,96,693.00	1,03,012.00	12,60,655.00
विभागो द्वारा प्राप्त	32,89,175.00	42,55,271.00	44,19,037.00	56,03,103.00	65,23,681.00	33,71,508.00	21,51,043.00	46,74,133.00	3,42,86,951.00
अन्य (ब्याज, सरपंच मानदेय)	19,235.00	4,833.00	32,737.00	14,868.00	10,085.00	1,023.00	10,000.00	-	92,781.00
योग	37,47,365.00	44,88,830.00	61,25,710.99	59,79,742.00	73,80,330.00	36,39,449.00	30,32,359.00	49,86,900.00	3,93,80,685.99

जिला महासमुंद									
महायोग (ग्राम पंचायत)	मिथिडीह	बिरकोनी	गोपालपुर	झलप	कंचनपुर	खुटेरी	नांदगांव	सिनोधा	कुल
स्वयं की आय	4,133.00	80,134.00	97,000.00	4,94,825.00		15,876.00	5,90,945.00	22,880.00	13,05,793.00
मुलभुत	1,20,833.00	3,27,119.00	1,91,235.00	2,84,812.00	1,70,840.00	89,558.00	2,35,134.00	1,89,534.00	16,09,065.00
१३ वित्त आयोग	1,56,395.00	4,69,045.00	1,92,268.00	3,00,235.00	1,32,560.00	85,346.00	2,38,803.00	2,01,707.00	17,76,359.00
विभागो द्वारा प्राप्त	22,14,236.00	10,12,600.00	10,29,785.00	16,91,442.00	25,45,753.00	20,66,700.00	19,42,098.00	27,28,638.00	1,52,31,252.00
अन्य (ब्याज, सरपंच मानदेय)	10,849.00	19,995.00	3,340.00	00	00	6,003.00	32,787.00	11,596.00	84,570.00
योग	25,06,446.00	19,08,893.00	15,13,628.00	27,71,314.00	28,49,153.00	22,63,483.00	30,39,767.00	31,54,355.00	2,00,07,039.00

जिला बस्तर									
	बड़ेकडमा	चंद्रगीरी	दरभा	करमरी	कुंगारपाल	मुंडागांव	नेगानार	सोनारपाल	कुल
स्वयं की आय			3,500.00	888.00					4,388.00
मुलभुत	1,12,600.00	3,32,600.00	2,40,400.00	1,10,954.00		2,23,239.00	1,66,164.00	2,69,596.00	14,55,553.00
१३ वित्त आयोग	1,18,454.00	2,03,552.00	2,25,280.00	1,01,720.00	1,09,500.00	56,700.00	1,61,314.00	1,63,807.00	11,40,327.00
विभागो द्वारा प्राप्त	3,98,045.00	16,73,805.00	24,33,760.00	14,16,444.00	12,44,725.00	22,70,197.00	13,95,796.00	13,62,441.00	1,21,95,213.00
अन्य (ब्याज, सरपंच मानदेय)	3,892.00	19,623.00	26,325.00		7,019.00	4,134.00	11,872.00		72,865.00
योग	6,32,991.00	22,29,580.00	29,29,265.00	16,30,006.00	13,61,244.00	25,54,270.00	17,35,146.00	17,95,844.00	1,48,68,346.00

७.१.३ ग्राम पंचायतों का वार्षिक व्यय का विवरण (२०११-१२)

जिला सरगुजा									
	गगोली	लहपटरा	पोड़ी	धौरपुर	कुन्नी	कुंवरपुर	आसण्डीह	करा	कुल
स्थापना व्यय	19,477.00	41,200.00	4,000.00	48,200.00	53,500.00	Not Available	26,500.00	16,000.00	2,08,877.00
मरम्मत/संधारण व्यय	1,29,591.00	7,04,583.00	11,70,000.00	2,33,500.00	73,812.00		1,65,332.00	74,000.00	25,50,818.00
नये संसाधनो का निर्माण	27,43,331.00	15,58,449.00	26,08,692.00	9,05,409.00	29,36,399.00		18,17,075.00	8,24,788.00	1,33,94,143.00
अन्य व्यय	4,03,745.00	8,46,155.00	6,81,464.00	5,93,089.00	4,64,583.00		5,53,799.00	6,15,885.00	41,58,720.00
योग	32,96,144.00	31,50,387.00	44,64,156.00	17,80,198.00	35,28,294.00	-	25,62,706.00	15,30,673.00	2,03,12,558.00

जिला राजनांदगांव									
	आमलिडिह	खमेरा	अर्जुनी	कु. भाटागाव	मानुपर	अथरा	भर्रीटोला	शिवनी	
स्थापना व्यय	55,033.00	6,58,628.26	3,77,019.50	30,296.00	-	18,280.00	2,45,128.00	16,000.00	14,00,384.76
मरम्मत/संधारण व्यय	13,74,185.00	12,94,512.00	23,84,351.00	33,41,471.00	35,30,427.00	15,88,176.00	4,89,766.00	24,41,600.00	1,64,44,488.00
नये संसाधनो का निर्माण	19,36,892.00	21,63,811.23	23,28,648.30	22,54,966.00	29,31,246.00	19,52,103.00	23,17,646.00	17,35,900.00	1,76,21,212.53
अन्य व्यय	3,75,319.00	1,77,824.93	9,54,283.12	2,43,777.00	4,84,750.00	1,92,274.00	5,04,658.00	-	29,32,886.05
योग	37,41,429.00	42,94,776.42	60,44,301.92	58,70,510.00	69,46,423.00	37,50,833.00	35,57,198.00	41,93,500.00	3,83,98,971.34

जिला महासमुंद									
	मिथिडीह	बिरकोनी	गोपालपुर	झलप	कंचनपुर	खुटेरी	नांदगांव	सिनोधा	कुल
स्थापना व्यय	21,010.00	1,36,452.00	42,527.00	3,19,035.00	9,499.00	9,460.00	1,17,930.00	21,236.00	6,77,149.00
मरम्मत/संधारण व्यय	75,498.00	87,063.00	2,05,150.00	2,24,592.00	2,13,061.00	5,360.00	3,55,408.00	1,02,988.00	12,69,120.00
नये संसाधनो का निर्माण	13,22,500.00	4,52,000.00	12,39,857.00	4,94,100.00	14,25,033.00	23,91,401.00	12,48,710.00	25,94,710.00	1,11,68,311.00
अन्य व्यय	5,48,770.00	4,76,780.00	17,530.00	2,78,615.00	6,02,204.00	2,58,150.00	8,74,642.00	3,54,894.00	34,11,585.00
योग	19,67,778.00	11,52,295.00	15,05,064.00	13,16,342.00	22,49,797.00	26,64,371.00	25,96,690.00	30,73,828.00	1,65,26,165.00

जिला बस्तर									
	बड़ेकडमा	चंद्रगीरी	दरभा	करमरी	कुंगारपाल	मुंडगांव	नेगानार	सोनारपाल	कुल
स्थापना व्यय	33,600.00	65,504.00	20,317.00	0	58,600.00	4,015.00	18,797.50	13,000.00	2,13,833.50
मरम्मत/संधारण व्यय	71,522.00	68,510.00	3,84,500.00	0	19,400.00	27,696.00	2,87,222.00	1,00,000.00	9,58,850.00
नये संसाधनो का निर्माण	6,00,068.97	8,70,758.00	18,63,608.00	13,64,382.00	13,54,110.00	24,78,568.00	12,78,873.00	9,00,816.00	1,07,11,183.97
अन्य व्यय	2,00,048.00	4,09,746.00	2,12,295.00	1,32,642.00	1,34,798.00	2,88,614.00	1,34,520.00	5,56,817.00	20,69,480.00
योग	9,05,238.97	14,14,518.00	24,80,720.00	14,97,024.00	15,66,908.00	27,98,893.00	17,19,412.50	15,70,633.00	1,39,53,347.47

७.२. पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्रा. पं. के आन्तरिक आय के स्रोतों पर कर आरोपण एवं अपेक्षित आय की तुलना में वास्तविक संकलन का प्रतिशत वर्ष २०११.१२

पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्रा. पं. के आन्तरिक आय के स्रोतों पर कर आरोपण एवं अपेक्षित आय की तुलना में वास्तविक संकलन का प्रतिशत वर्ष २०११.१२							
जिला	ग्राम पंचायत का नाम	अनिवार्य कर		वैकल्पिक कर		परिसम्पत्ति से आय	
		कुल स्रोत से कर आरोपण किये गये स्रोत	मांग राशि की तुलना में संकलन का प्रतिशत	कुल स्रोत से कर आरोपण किये गये स्रोत	मांग राशि की तुलना में संकलन का प्रतिशत	कुल स्रोत से कर आरोपण किये गये स्रोत	मांग राशि की तुलना में संकलन का प्रतिशत
राजनांदगांव	अर्जुनी	100.00	66.85	100.00	62.50	60.00	98.89
	आमल्हीडीह	0.00	0.00	33.33	90.09	40.00	2.74
	कु. भाटागांव	60.00	44.84	0.00	0.00	40.00	100.00
	हथरा	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00
	मानपुर	80.00	96.72	33.33	100.00	20.00	100.00
	भरीटोला	40.00	87.05	66.67	53.36	40.00	100.00
	खमेरा	60.00	57.07	0.00	0.00	20.00	83.81
	सिवनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	45.00	81.79	29.17	60.89	30.00	97.11
सरगुजा	आसण्डीह	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गगोली	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	करा	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	धौरपुर	20.00	100.00	33.33	51.34	20.00	92.31
	पोड़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुन्नी	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लहपट्टरा	20.00	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुंवरपुर	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
	कुल	20.00	60.72	4.17	51.34	5.00	93.97

पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्रा. पं. के आन्तरिक आय के स्रोतों पर कर आरोपण एवं अपेक्षित आय की तुलना में वास्तविक संकलन का प्रतिशत वर्ष २०११-१२

जिला	ग्राम पंचायत का नाम	अनिवार्य कर		वैकल्पिक कर		परिसम्पत्ति से आय	
		कुल स्रोत से कर आरोपण किये गये स्रोत	मांग राशि की तुलना में संकलन का प्रतिशत	कुल स्रोत से कर आरोपण किये गये स्रोत	मांग राशि की तुलना में संकलन का प्रतिशत	कुल स्रोत से कर आरोपण किये गये स्रोत	मांग राशि की तुलना में संकलन का प्रतिशत
महासमुंद	मिथीडीह	20.00	38.92	0.00	0.00	20.00	92.00
	झलप	100.00	100.00	66.67	100.00	40.00	100.00
	बिरकोनी	20.00	100.00	33.33	72.50	40.00	13.42
	नांदगांव	60.00	47.96	66.67	54.17	60.00	100.00
	सिनोधा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गोपालपुर	20.00	81.05	33.33	0.00	40.00	0.00
	कनचनपुर	20.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	खुटेरी	20.00	60.54	0.00	0.00	20.00	100.00
	योग	32.50	91.30	25.00	83.68	27.50	80.73

7.3. वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011.12 में आन्तरिक आय के स्रोतो से आय की वद्धि का प्रतिशत

वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011.12 में आन्तरिक आय के स्रोतो से आय की वद्धि का प्रतिशत		
जिला	ग्रामा पंचायत	प्रतिशत
राजनांदगांव	आमल्हीडीह	63.3
	कु. भाटागांव	74.5
	अथरा	0.4
	अर्जुनी	53.6
	मानपुर	100.0
	भरीटोला	100.0
	खमेरा	100.0
	शिवनी	0
	योग	70.4
	सरगुजा	आसण्डीह
कुंवरपुर		0.0
गगोली		100.0
करा		20.0
धौरपुर		-10.8
कुन्नी		0.0
लहपटरा		-19.5
पोड़ी		0.0
कुल		-8.3
महासमुंद	मिथीडीह	100.0
	झलप	-2.8
	बिरकोनी	-40.6
	नांदगांव	-45.3
	सिनोधा	0.0
	गोपालपुर	100.0
	कनचनपुर	-64.5
	खुटेरी	100.0
योग	-21.9	

७.४. मांग एवं संकलन राशि का विवरण

७.४.१ महासमुंद जिला

2011-12 महासमुंद जिला																			
प्रकार	स्रोत के नाम	मिथिडीह		झलप		बिरकोनी		नांदगांव		सिनोधा		गोपालपुर		कंचनपुर		खुटेरी		कुल	
		मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन
अनिवार्य कर	मकान कर	7074	2753	46739	46739			7800	2500			37015	30000	3000	970	18799	11380	120427	94342
	प्रकाश कर			10548	10548			3900	1350									14448	11898
	वृत्ति कर			16735	16735													16735	16735
	बाजार फीस			132074	132074	34000	34000	3000	3200									169074	169274
	पशुओं के रजिस्ट्रेशन फीस			6000	6000													6000	6000
	योग	7074	2753	212096	212096	34000	34000	14700	7050	0	0	37015	30000	3000	970	18799	11380	326684	298249
वैकल्पिक कर	जलकर निजी			167259	167259	60000	43500	54000	30980			3000	0					284259	241739
	जलकर सार्वजनिक							7800	2500									7800	2500
	सफाई कर			1000	1000													1000	1000
	योग	0	0	168259	168259	60000	43500	61800	33480	0	0	3000	0	0	0	0	0	293059	245239
महायोग	7074	2753	380355	380355	94000	77500	76500	40530	0	0	40015	30000	3000	970	18799	11380	619743	543488	
परिसम्पत्ति से आय	रेत							104810	104810									104810	104810
	पत्थर											22380	0					22380	0
	तालाब लीज	1500	1380	12400	12400	18634	1634	10280	10280			4300	0			12980	12980	60094	38674
	व्यवसायिक परिसर से आय							4600	4600									4600	4600
	अन्य भवन			34450	34450	1000	1000												
	योग	1500	1380	46850	46850	19634	2634	119690	119690	0	0	26680	0	0	0	12980	12980	191884	148084
अन्य स्रोत	सूचना का अधिकार शुल्क																	0	0
	जनसहयोग राशि																	0	0
	पिछला बकाया राशि																	0	0
	प्रमान पत्र शुल्क																	0	0
	कांजी हाउस			3268	3268													3268	3268
	स्टाक तथा अस्तियों का विक्रय																	0	0
	राशन कार्ड शुल्क							324	324									324	324
	नामांतरण बटवारा																	0	0
बैंक ब्याज					12095	12095											12095	12095	
योग	0	0	3268	3268	12095	12095	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	15687	15687	
महायोग	8574	4133	430473	430473	125729	92229	196514	160544	0	0	66695	30000	3000	970	31779	24360	862764	742709	

७.४.२ राजनांदगांव जिला (८ ग्राम पंचायत में से ७ ग्राम पंचायत की जानकारी है और १ ग्राम पंचायत में आय नहीं होती है।)

राजनांदगांव - 2011-12																	
प्रकार	स्रोत के नाम	अर्जुनी		आमलिडीह		कु. भाटागांव		हथरा		मानपुर		भरीटोला		खमेरा		कुल	
		मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन
अनिवार्य कर	मकान कर	18750	11281			63200	28900			23750	13625			5800	850	111500	54656
	प्रकाश कर	35000	20309							7500	7500	56280	3000			98780	30809
	वृत्ति कर	5000	1430			1500							0			6500	1430
	बाजार फीस	201000	139900							277000	277000	355000	355000	11700	8300	844700	780200
	पशुओं के रजिस्ट्रेशन फीस	2200	2200			200	200	1000	1000	500	500			1950	1950	5850	5850
	योग	261950	175120	0	0	64900	29100	1000	1000	308750	298625	411280	358000	19450	11100	1067330	872945
वैकल्पिक कर	जलकर निजी	94500	59010	37320	33620					3500	3500	133200	81073			268520	177203
	जलकर सार्वजनिक	14000	9064									56200	20000			70200	29064
	सफाई कर	14000	8492													14000	8492
	योग	122500	76566	37320	33620	0	0	0	0	3500	3500	189400	101073	0	0	352720	214759
	महायोग	384450	251686	37320	33620	64900	29100	1000	1000	312250	302125	600680	459073	19450	11100	1420050	1087704
																0	0
परिसम्पत्ति से आय	रेत	479420	479420	5433	5433											484853	484853
	पत्थर	211750	250000													211750	250000
	तालाब लीज					7060	7060	1000	1000			30200	30200	15154	12700	53414	50960
	व्यवसायिक परिसर से आय	110460	63340	14400		7200	7200			6000	6000	2400	2400			140460	78940
	अन्य भवन																
	योग	801630	792760	19833	5433	14260	14260	1000	1000	6000	6000	32600	32600	15154	12700	890477	864753
अन्य स्रोत	सूचना का अधिकार शुल्क		44	30	30											30	74
	जनसहयोग राशि		18880												350	0	19230
	पिछला बकाया राशि		10500	7200												7200	10500
	प्रमाण पत्र शुल्क			1000									110			1000	110
	कांजी हाउस		934		3900	900	900					1500	1500			2400	7234
	स्टाक तथा अस्तियों का विक्रय					1099	1099									1099	1099
	राशन कार्ड शुल्क									1870	1870				4833	1870	6703
	बैंक ब्याज		20737		7235		2868		1023							0	31863
	योग	0	51095	8230	11165	1999	4867	0	1023	1870	1870	1500	1610	0	5183	13599	76813
महायोग		1186080	1095541	65383	50218	81159	48227	2000	3023	320120	309995	634780	493283	34604	28983	2324126	2029270

३.३ सरगुजा जिला 2011-12

प्रकार	स्रोत के नाम	आसण्डीह		गगोली		करा		धौरपुर		पोड़ी		कुन्नी		लहपटरा		कुवंरपुर		कुल	
		मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन	मांग	संकलन
अनिवार्य कर	मकान कर	1000	1000	3420	3420	1050	1050	2770	2770							12110		20350	8240
	प्रकाश कर			300	300													300	300
	वृत्ति कर																	0	0
	बाजार फीस											12000	12000	30000	17500			42000	29500
	पशुओं के रजिस्ट्रेशन फीस																	0	0
	योग	1000	1000	3720	3720	1050	1050	2770	2770	0	0	12000	12000	30000	17500	12110	0	62650	38040
वैकल्पिक कर	जलकर निजी							74400	38200									74400	38200
	जलकर सार्वजनिक																	0	0
	सफाई कर																	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0	74400	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	74400	38200
	महायोग	1000	1000	3720	3720	1050	1050	77170	40970	0	0	12000	12000	30000	17500	12110	0	137050	76240
परिसम्पत्ति से आय	रेत																	0	0
	पत्थर																	0	0
	तालाब लीज							5200	4800							1438	1438	6638	6238
	व्यवसायिक परिसर से आय																	0	0
	अन्य भवनो से कर																		
	योग	0	0	0	0	0	0	5200	4800	0	0	0	0	0	0	1438	1438	6638	6238
अन्य स्रोत	सूचना का अधिकार शुल्क																	0	0
	जनसहयोग राशि																	0	0
	पिछला बकाया राशि																	0	0
	प्रमान पत्र शुल्क																	0	0
	कांजी हाउस																	0	0
	स्टाक तथा अस्तियों का विक्रय																	0	0
	राशन कार्ड शुल्क							320	320									320	320
	नामांतरण बटवारा			400	400	300	300	300	300									1000	1000
	बैंक ब्याज																	0	0
योग	0	0	400	400	300	300	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	1320	
महायोग	1000	1000	4120	4120	1350	1350	82990	46390	0	0	12000	12000	30000	17500	13548	1438	145008	83798	

७.५. ग्राम पंचायत में उपलब्ध सुविधा

जिला	ग्राम पंचायत की व्यवस्था	ग्राम पंचायत भवन है	गांव की सड़के पक्की है।	गांव की सड़क पर नाली निर्माण है	नलजल योजना है	गली में प्रकाश की व्यवस्था	पंचायत निर्मल ग्राम पुरस्कृत है	गांव में सफाई के लिये कचरा पेटी की व्यवस्था है
सरगुजा	गगोली	हैं	हैं	हैं	नहीं	हैं	हैं	हैं
	लहपटारा	हैं	हैं	नहीं	नहीं	हैं	हैं	हैं
	पोड़ी	हैं	हैं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	हैं
	धौरपुर	हैं	हैं	नहीं	हैं	हैं	हैं	हैं
	कुन्नी	हैं	हैं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	हैं
	कुंवरपुर	हैं	हैं	हैं	नहीं	हैं	हैं	हैं
	आसण्डीह	हैं	हैं	नहीं	नहीं	हैं	हैं	हैं
	करा	हैं	हैं	नहीं	नहीं	हैं	हैं	हैं
राजनांदगांव	आमलिडिह	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं
	खमेरा	हैं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हैं
	अर्जुनी	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	नहीं
	कु. भाटागाव	हैं	हैं	हैं	नहीं	नहीं	हैं	हैं
	मानुपर	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	हैं
	अथरा	हैं	हैं	हैं	नहीं	हैं	नहीं	हैं
	भर्रीटोला	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं
	शिवनी	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बस्तर	नेगानार	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	नहीं
	चंद्रगीरी	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दरभा	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	हैं
	बड़ेकड़मा	हैं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	करमरी	हैं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सोनारपाल	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	नहीं
	मुंडागांव	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	नहीं
	कुंगारपाल	हैं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
महासमुंद	झलप	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	नहीं
	बिरकोनी	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	नहीं	नहीं
	नांदगांव	हैं	नहीं	नहीं	हैं	हैं	नहीं	नहीं
	सिनोधा	हैं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं
	खुटेरी	हैं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कंचनपुर	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	मिथिडीह	हैं	हैं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	नहीं
	गोपालपुर	हैं	नहीं	हैं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं
कुल हैं		३२	२६	१५	१४	२०	८	१४
कुल नहीं		०	६	१७	१८	१२	२४	१८

७.६. ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हे.)

जिला	ग्राम पंचायत की व्यवस्था	क्षेत्रफल हैक्टेयर
सरगुजा	गगोली	930.444
	लहपटरा	1230.243
	पोड़ी	1330.534
	धौरपुर	171.724
	कुन्नी	549.486
	कुंवरपुर	670.954
	आसण्डीह	531.969
	करा	1229.284
राजनांदगांव	आमलिडिह	609.677
	खमेरा	1130.909
	अर्जुनी	489.623
	कु. भाटागाव	583.985
	मानुपर	2054.016
	अथरा	1217.852
	भर्रीटोला	480.59
	शिवनी	1381.631
बस्तर	नेगानार	169.16
	चंद्रगीरी	1379.853
	दरभा	195.200
	बड़ेकड़मा	161.880
	करमरी	560.550
	सोनारपाल	202.400
	मुंडागांव	692.160
	कुंगारपाल	372.570
महासमुंद	झलप	438.620
	बिरकोनी	1228.720
	नांदगांव	1440.000
	सिनोधा	971.470
	खुटेरी	854.350
	कंचनपुर	512.760
	मिथिडीह	987.325
	गोपालपुर	1033.050

७.७. स्थानीय निधि संपरिक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के आडिट की स्थिति

स्थानीय निधि संपरिक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के आडिट की स्थिति					
जिला	स.क्र	ग्राम पंचायत नाम	वर्ष		
			2009-10	2010-11	2011-12
सरगुजा	1	गगोली	No	No	No
	2	लहपटरा	No	No	No
	3	पोड़ी	No	No	No
	4	धौरपुर	No	No	No
	5	कुन्नी	No	No	No
	6	कुंवरपुर	No	No	No
	7	आसण्डीह	No	No	No
	8	करा	No	No	No
राजनांदगांव	9	आमलिडिह	No	No	No
	10	खमेरा	No	No	No
	11	अर्जुनी	No	No	No
	12	कु. भाटागाव	No	No	No
	13	मानुपर	No	No	No
	14	अथरा	No	No	No
	15	भर्रीटोला	No	No	No
	16	शिवनी	No	No	No
बस्तर	17	नेगानार	No	No	No
	18	चंद्रगीरी	No	No	No
	19	दरभा	No	No	No
	20	मुंडगांव	No	No	No
	21	कुंगारपाल	No	No	No
	22	बड़ेकड़मा	No	No	No
	23	करमरी	No	No	No
	24	सोनारपाल	No	No	No
महासमुंद	25	मिथिडीह	No	No	No
	26	नांदगांव	No	No	No
	27	गोपालपुर	No	No	No
	28	कनचनपुर	No	No	No
	29	खुटेरी	No	No	No
	30	झलप	No	No	No
	31	बिरकोनी	No	No	No
	32	सिनोधा	No	No	No

स्थानीय निधि संपरिक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों आडिट चयनित ३२ ग्राम पंचायत में से किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं किया गया है।

७.८. जनसंख्या का विवरण

ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का विवरण – जनगणना 2011

District	ग्राम पंचायत	आश्रित ग्राम	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य वर्ग		कुल		महायोग
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
Sarguja	Asandih												
		Asandih	60	70	265	280	75	60	0	0	400	410	810
		Raghupur	50	50	200	150	70	70	0	0	320	270	590
		total	110	120	465	430	145	130	0	0	720	680	1400
	Pondi	Pondi	693		0		550		7		1250		1250
		Kenapara	325		310		150		0		785		785
		Tunga	620		0		561		0		1181		1181
		total	1638		310		1261		7		3216		3216
	Kunwarpur	Kunwarpur	434	438	61	59	13	15	0	0	508	512	1020
		Hansdand	123	135	0	0	3	4	0	0	126	139	265
		total	557	573	61	59	16	19	0	0	634	651	1285
	Gajoli	Gajoli	285	504	0	0	10	25	0	0	295	529	824
		Baghandi	300	254	5	4	9	20	0	0	314	278	592
		total	585	758	5	4	19	45	0	0	609	807	1416
	Karra	Karra	518	670	8	9	67	73	3	2	596	754	1350
	Dhorepur	Dhorepur	78	89	96	88	103	122	95	83	372	382	754
		Masaga	70	88	38	95	60	78	35	40	203	301	504
		Bhilaikala	45	56	38	53	32	28	20	29	135	166	301
		total	193	233	172	236	195	228	150	152	710	849	1559
	Kunni	Kunni	661	519	8	7	309	312	5	10	983	848	1831
	Lahpatra	Lahpatra	48		287		1457				1792		1792
Rajnandgaon	Amlidih	Amlidih	0	0	5	4	610	580			615	584	1199

ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का विवरण – जनगणना 2011

District	ग्राम पंचायत	आश्रित ग्राम	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग	कुल	महायोग						
		Barsantola	1	3	77	66	639	666			717	735	1452	
		total	1	3	82	70	1249	1246	0	0	1332	1319	2651	
	Ku. Bhatagaon	Kutulbod Bhatagaon	113	96	109	112	529	524			751	732	1483	
	Sivni	Sivni	641	633	9	21	15	35			665	689	1354	
		Umarval	238	287	10	9	17	14			265	310	575	
		total	879	920	19	30	32	49	0	0	930	999	1929	
	Hathra	Hathra	450	360	60	40	110	90			620	490	1110	
		Vako	280	254			47	42			327	296	623	
		total	730	614	60	40	157	132	0	0	947	786	1733	
	Arjuni	Arjuni	163	142	55	48	1374	1327	7	6	1599	1523	3122	
	Manpur	Manpur	1187	1263	85	99	187	238	124	85	1583	1685	3268	
		Panchalphadki	88	114	2	1	2	2	4	2	96	119	215	
		total	1275	1377	87	100	189	240	128	87	1679	1804	3483	
	Bharritola	Bharritola	549	538	59	57	561	562	160	161	1329	1318	2647	
	Khamhera	Khamhera	475	474	20	21	185	188			680	683	1363	
		Mahuljhopdi	5	5	41	46	15	17			61	68	129	
		total	480	479	61	67	200	205	0	0	741	751	1492	
	Bstar	Neganar	Neganar	374	368	0	0	207	218	52	49	633	635	1268
			Mangnar	330	325	0	0	88	85	25	30	443	440	883
		Chandragiri	Chandragiri									953	1003	1956
Darbha		Darbha	401	398	0	0	119	137	35	32	555	567	1122	
		Kakalgur	758	774	0	0	5	4	0	0	763	778	1541	
Mundagaon		Mundagaon	395	444	8	4	803	755	9	3	1215	1206	2421	
		Kohkasivni	347	336	0	0	60	65	0	0	407	401	808	
Kungarpal		Kungarpal	94	0	0	0	59	8	0		153	8	161	

ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का विवरण – जनगणना 2011

District	ग्राम पंचायत	आश्रित ग्राम	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य वर्ग		कुल		महायोग
	Badekadama	Badekadama	317	291	0	0	7	4	0	0	324	295	619
		Chotekadama	208	198	0	0	56	54	0	0	264	252	516
	Karamari	Karamari	420	410	0	0	22	20	16	15	458	445	903
		Malenga	287	285	0	0	12	8	10	7	309	300	609
	Sonarpal	Sonarpal									0	0	3265
Mahasmund	Mithidih	Mithidih	408		21		709		1130		2268		2268
		Patwarpali	117		0		251		368		736		736
	Nandgaon	12		1150		1993		3155		6310		6310	
	Gopalpur	Gopalpur	1230	1240	30	26	240	225	11	13	1511	1504	3015
	Kanchanpur	Kanchanpur	21	35	53	58	385	371			459	464	923
		Pandripani	156	150	1	2	38	46			195	198	393
		Pandripani Tukda	73	80			38	42			111	122	233
	Khuteri	Khuteri	322	294	13	14	359	348	8	9	702	665	1367
	Jhalap	Jhalap	317	328	670	675	438	446	102	104	1527	1553	3080
		Turidih	11	13	115	118	65	72			191	203	394
	Birkoni	Birkoni	75	80	240	260	2142	2101			2457	2441	4898
	Sinodha	Sinodha									0	0	1251
		Bhawa									0	0	60
Tendwahi										0	0	531	

७.६. सचिव के कार्यों का विस्तृत विवरण

ग्राम पंचायत सचिव के कृत्य
ग्राम सभा के सम्मेलन
ग्राम सभा के लिये सूचना, ऐजेण्डा तैयार करने एवं दस्तावेज संधारण , उपस्थित सदस्यों के व्यौरा एवं कार्यवाही को अभिलिखित करना
सम्मेलन में सदस्यों द्वारा चाही गई जानकारी या स्पष्टीकरण देना।
पंचायत के सम्मेलन
पंचायत के अनिवार्य एवं विशेष बैठकों को बुलाने के लिए सूचना जारी करना एवं संबंधित निर्णयों को पहुंचाना सम्मेलन मे चाही गई जानकारी प्रस्तुत करना।
पंचायत की स्थाई समिति का सम्मेलन
ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों की मासिक बैठक बुलाने सूचना एवं कार्यवाही का संधारण करना एवं संबंधित विभाग तक प्रतिवेदन की प्रस्तुती
अन्य पंचायत के प्रशासनिक कार्य
पंचायत के प्रशासन से जुड़ी हुई जानकारी अभिलेखों का संधारण करना।
ऐसे निर्णय/ मामले जो अधिनियम, नियम आदि के अनुकूल नहीं है उसकी जानकारी विहित अधिकारी को देना
पंचायतों के अभिलेखों की प्रतियों एवं चाही गई जानकारी को तैयार कर मांगने वालों को विधि पूर्वक उपलब्ध कराना एवं ऐसे आवेदनों का निपटारा।
जो पंच तीन लगातार सम्मेलन तक अनुपस्थित रहते है उनकी सूचना विहित प्रधिकारी को देना।
रिक्त स्थानों की तत्काल जानकारी विहित अधिकारी एवं जनपद स्तर पर देना।
पंचायत अधिनियम नियम एवं उपविधियों में सम्मिलित सभी रजिस्टर एवं अभिलेखों की संधारित करना।
अभिलेखों के नाम कर संकलन पंजी
ग्राम सभा / पंचायतों के द्वारा संकलपो पर कार्यान्वित करने की कार्यवाही
परिसम्पत्ति के अंतरण/ पट्टे निलामी
ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का रखरखाव एवं प्रत्येक वर्ष सत्यापन करना, अतिक्रमण हटाने के लिये पंचायत के साथ समन्वय कर कार्यवाही करना।
अधिनियम का अध्ययन
कार्यालय की सभी नास्तियों को विषयवार रखना।
पुराने दस्तावेजों को संधारित कर रखना।
विभिन्न स्तरों से प्राप्त पत्रों को सरपंच/पंचायत के समक्ष रखना
प्रतिवेदन
वार्षिक कार्य योजना का निर्माण
पंचवार्षिक कार्य योजना का निर्माण
ग्राम पंचायत की वार्षिक प्रतिवेदन /प्रशासनिक रिपोर्ट
प्रत्येक वर्ष तैयार कर पंचायत में प्रस्तुतकर विहित अधिकारी को प्रेषित करना।
संपरीक्षा रिपोर्ट बनाना एवं सम्मेलन में प्रस्तुत करना।

आधारभूत जानकारी
सचिव पंचायत के बालवाड़ी/कांजी हाउस/ वाचनालय आदि की जानकारी रखेगा।
ग्राम क्षेत्र में स्थित अन्य संस्था - सहकारी संस्था, चिकित्सालय, स्कूल, आंगनवाड़ी, पंजीबंध स्वयं सेवी संस्था आदि की जानकारी
केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ साथ जिलों पंचायत/ जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रखेगा। जिसमें योजना एवं हितग्राही की संख्या की पंचायत के समझ रखेगा।
निरीक्षण एवं संपरीक्षा टिप्पणी का अनुपालन रिपोर्ट तैयार
यात्रा भत्ता आदि देय की बनाना।
कराधान संबंधी कार्य
धारा ७७ के अन्तर्गत अनिवार्य एच्छिक करों के निर्धारण करना।
राजस्व कार्य का विवरण तैयार करना
पंचायत निधि की राशि की सुरक्षा हेतु सरपंच की लेखा नियमों को अवगत कराना।
नगद/ नगद शेष बैंक में रखना। सयुक्त हस्ताक्षर से निधि को चलाना।
लेखा नियमों के पंचायतों के (दैनिक) केश बुक का संधारण करना।
प्रत्येक माह में केशबुक का सत्यापन कर सरपंच से हस्तांतरित करना।
करों की पंजी का संधारण करना/ एवं वसूली करना (पंचायत के कर, शुल्क एवं अन्य शोध)
सहायता/ अनुदान को उचित लेजर रखना।
क्रय
सामग्री क्रय के लिये निविदा/ कोटेशन मंगवाना। तुलनात्मक सूची आदि लेकर कर पंचायत के समझ रखना।
प्रमाण पत्र जारी करना
उपयोगिता प्रमाण पत्र
जन्म, मृत्यू, विवाह,
अनापत्ती प्रमाण पत्र
निवास , जाति प्रमाण पत्र
पंचायत के सचिव द्वारा पंचायत के सामान्य अधिक्षण के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों पर नियंत्रण
सरपंच का सहयोग
पंचायत अधिनियम में सरपंच को सौंपे गये कार्यों में सहयोग करेगा।
हितग्राही
हितग्राही के चयन उपरांत प्राप्त सूची को जिला, जनपद या संबंधित विभागों तक भेजी जायेगा।
सर्वेक्षण
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे किसी भी सर्वेक्षण में सहयोग
प्राकृतिक आपदा
गांव में किसी भी व्यक्ति/ परिवार / समुदाय पर प्राकृतिक आपदा आने पर सहयोग करेगा एवं आवश्यक कार्यवाही करेगा।
पंचायत सचिव (दैनदिनी)
सचिव द्वारा दैनिक देवदिनी (डेली डायरी) भरेगा एवं उस पर सचिव के हस्ताक्षण करायेगा। एवं मासिक स्तर पर सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा एवं पंचायत समाज, शिक्षा, संगठक को प्रस्तुत करेगा।
निर्माण एजेसी के रूप में क्रियान्वयन

निर्माण कार्य के लिये कार्यों के अनुमोदन उपरांत तकनीकी स्वीकृति कराना, लेआउट पर कार्य मूल्यांकन
प्रिया साफ्ट / मनरेगा डेटा इन्ट्री
रोजगार मूलक
ग्राम पंचायत रोजगार मूलक कार्यों का समंपादन
ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय
ग्राम पंचायत की आय तथा पंचायत की विभिन्न निधि को पंचायत खाते में जमा करेगा।
व्यय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।
बाजार एवं मेलों का प्रबंधन
व्यवस्था
गांव में पीने के पानी की व्यवस्था
सड़क / प्रकाश / सफाई की व्यवस्था का पर्यवेक्षण
राष्ट्रीय समारोह
गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि कार्यक्रमों का आयोजन
अन्य कार्य
ग्राम सचिवालय
जनगणना
मतदान सूची
राशन कार्ड जारी करना।
बिजली बिल एवं अन्य देय की विवरण
नल जल संवर्धन एवं टैक्स वसूली
सोशल आडिट
सूचना के अधिकार, जन सूचना अधिकारी